

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-249

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

केन्द्रीय पूल से राज्यों को विद्युत आपूर्ति

*249. श्री बी. एस. येदियुरप्पा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों द्वारा कुल कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया और उसमें से लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी मात्रा में विद्युत का आवंटन किया गया;
- (ख) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों/केन्द्रीय पूल में किसी राज्य के आवंटन के हिस्से/कोटे का निर्धारण करने हेतु क्या मानदंड/मापदंड हैं; और
- (ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय पूल से विद्युत आपूर्ति हेतु कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों के कोटे/हिस्से को बढ़ाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केंद्रीय पूल से राज्यों को विद्युत आपूर्ति के बारे में लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 249 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : चालू वर्ष (30 जून, 2014 तक) के दौरान देश में केंद्रीय उत्पादन केंद्रों (सीजीएस) से कुल उत्पादन 102932.34 मिलियन यूनिट (एमयू) था। दिनांक 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित विद्युत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : केन्द्रीय उत्पादन केंद्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से/कोटे का आबंटन निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ग) : वर्तमान में, केन्द्रीय पूल से कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा/कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी भी समय विशेष में, केन्द्रीय उत्पादन केंद्रों की संपूर्ण अनाबंटित विद्युत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित रहती है और किसी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के आबंटन में कोई भी वृद्धि केवल तभी संभव होगी जब कुछ अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आबंटन में उतनी ही कमी की जाए।

केंद्रीय पूल से राज्यों को विद्युत आपूर्ति के बारे में लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 249 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को व्यस्ततम घंटों के दौरान कुल हिस्से (मेगावाट) का ब्यौरा

(30.06.2014 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सुनिश्चित (मेगावाट)	अनाबंटित (मेगावाट)	कुल (मेगावाट)
1	चंडीगढ़	109	69	178
2	दिल्ली	4505	30	4535
3	हरियाणा	2397	15	2412
4	हिमाचल प्रदेश	1248	0	1248
5	जम्मू एवं कश्मीर	1522	364	1886
6	पंजाब	2139	466	2605
7	राजस्थान	2514	394	2908
8	उत्तर प्रदेश	5486	898	6384
9	उत्तराखण्ड	801	96	897
10	रेलवे	0	100	100
11	पावरग्रिड	0	2	2
	उत्तरी क्षेत्र	20721	2433	23154
12	छत्तीसगढ़	1189	0	1189
13	गुजरात	3608	0	3608
14	मध्य प्रदेश	4284	499	4783
15	महाराष्ट्र	6467	539	7006
16	दमन व दीव	183	138	321
17	दादर नगर हवेली	289	623	912
18	गोवा	472	30	502
19	पावरग्रिड	0	3	3
20	डीएई का एचडब्ल्यूपी	0	14	14
	पश्चिमी क्षेत्र	16492	1847	18338
21	आंध्र प्रदेश	1560	145	1705
22	कर्नाटक	1579	316	1895
23	केरल	1425	214	1639
24	तमिलनाडु	3749	348	4097
25	तेलंगाना	1824	168	1992
26	पुडुचेरी	241	146	387
27	लक्षद्वीप	0	0	0
28	एनएलसी	100	0	100
28	पावरग्रिड	0	6	6
	दक्षिणी क्षेत्र	10478	1343	11821
29	बिहार	1509	409	1918
30	डीवीसी	5968	50	6018
31	झारखण्ड	404	133	537
32	ओडिशा	1655	47	1702
33	पश्चिम बंगाल	1465	83	1548
34	सिक्किम	137	12	149
35	अंडमान-निकोबार	0	0	0
	पूर्वी क्षेत्र	11138	734	11872
36	अरुणाचल प्रदेश	119	14	133
37	असम	553	174	727
38	मणिपुर	107	16	123
39	मेघालय	101	104	205
40	मिजोरम	50	24	74
41	नागालैंड	72	7	79
42	त्रिपुरा	95	10	105
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1097	349	1446
	कुल जोड़	59926	6706	66631

केंद्रीय पूल से राज्यों को विद्युत आपूर्ति के बारे में लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 249 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से विद्युत का आबंटन, विद्युत-आबंटन के फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसे अप्रैल, 2000 से दिशा-निर्देशों के रूप में माना जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन दो भागों में किया जाता है अर्थात् 85% का निश्चित आबंटन तथा तात्कालिक/समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आबंटित किए जाने हेतु 15% अनाबंटित विद्युत। निश्चित आबंटन में जल विद्युत स्टेशनों के मामले में प्रभावित राज्यों को 12% निःशुल्क विद्युत का आबंटन तथा स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% विद्युत और ताप एवं नाभिकीय विद्युत स्टेशनों के मामले में गृह राज्य को 10% (निःशुल्क नहीं) विद्युत का आबंटन शामिल है। शेष (क्रमशः 72%/75%) विद्युत उस क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच केंद्रीय योजना सहायता तथा विगत पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत की पद्धति के अनुसार, दोनों कारकों को समान महत्व देते हुए, वितरित की जाती है। केंद्रीय योजना सहायता गाडगिल फार्मूले के अनुसार निर्धारित की जाती है जिसमें राज्यों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी का अंशदान करने वाले राज्य अपने इक्विटी अंशदान के अनुरूप निश्चित आबंटन में लाभ प्राप्त करते हैं।

केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से विद्युत के आबंटन के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देश उन उत्पादक केंद्रों पर, जिनके लिए पीपीए पर 5 जनवरी, 2011 तक हस्ताक्षर किए गए हैं; तथा मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए लागू होते हैं। 5 जनवरी, 2011 के पश्चात, वितरण कंपनियों/यूटिलिटीयों द्वारा प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की अधिप्राप्ति की जानी होती है। एनटीपीसी की 13 नई परियोजनाओं में केंद्रीय सरकार ने जनवरी, 2011 में 50% विद्युत का 'गृह' राज्य को आबंटन करने, भारत सरकार के विवेकाधिकार पर 15% अनाबंटित विद्युत और उस क्षेत्र के अन्य संघटकों को ('गृह' राज्य को छोड़कर) 35% विद्युत के आबंटन के मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर, केंद्रीय योजना सहायता तथा विगत 5 वर्षों में उस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा की गई ऊर्जा खपत को समान रूप से महत्व देते हुए विद्युत का आबंटन किए जाने को अनुमोदन कर दिया है। इसी प्रकार की व्यवस्था सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में नाभिकीय विद्युत निगम की नई परियोजनाओं के संबंध में भी प्रदान की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-252

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

*252. कर्नल सोनाराम चौधरी:

श्री पी. पी. चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) इस समय चल रहे गैस विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है, इनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उनके द्वारा कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से उनकी भावी/चल रही परियोजनाओं हेतु गैस के आबंटन के लिए अनुरोध/मांगें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार ने गैस की अनुपलब्धता को देखते हुए नए गैस आधारित विद्युत संयंत्र पर वर्ष 2015-16 तक रोक लगाने हेतु कोई निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) इस अवधि के पश्चात् नए गैस आधारित संयंत्रों की स्थापना हेतु गैस उपलब्ध कराने के लिए क्या रणनीति अपनाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र के बारे में लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 252 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): गैस आधारित विद्युत संयंत्रों एवं उनकी संस्थापित क्षमता और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष (2014-15) के दौरान उनके द्वारा संयंत्रवार उत्पादित विद्युत के ब्यौरे अनुबंध-1 में संलग्न हैं ।

(ख): पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) को गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से गैस के आवंटन के लिए निम्नलिखित अनुरोध प्राप्त हुए थे जिन्हें दिनांक: 24.02.2012 को आयोजित अधिकारप्राप्त मंत्रीसमूह (ईजीओएम) की बैठक में उनके समक्ष रखा गया था :

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	विद्युत परियोजना	गैस की आवश्यकताएं (एमएमएससीएमडी में)
हरियाणा	1500 मे.वा., फरीदाबाद	7.5
महाराष्ट्र	1500 मे.वा., लातूर में भेल एवं महाजेन्को जेवी द्वारा	6
पुदुच्चेरी	350 मे.वा., यनम में	2 (1.3 70% पीएलएफ की दर से)
उत्तराखण्ड	राज्य में विभिन्न विद्युत परियोजनाएं	6
पंजाब	1000 मे.वा., रोपड़ में	4.5
आंध्र प्रदेश	2100 मे.वा., करीमनगर में	2.8 75% पीएलएफ की दर से
उत्तर प्रदेश	1050 मे.वा., जगदीशपुर में सेल द्वारा	5
गुजरात	702 मे.वा., पीपीवाव में 351 मे.वा., हजीरा में	2.62+1.6, 70% पीएलएफ पर
केरल	1200 मे.वा., चीमेनी, कासारगोड, केरल में	5.4
कर्नाटक	1400 मे.वा., बेंगलुरु के निकट और 2100 मे.वा., थड्डडी में	
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र	1000 मे.वा. 6 (छह), दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी)	24
महाराष्ट्र	1220 मे.वा., उरन में	5.4

तथापि, ईजीओएम द्वारा कोई आवंटन नहीं किया गया ।

इसके अतिरिक्त, गैस के आवंटन के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को समय-समय पर विभिन्न अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, जिन पर सरकार की वर्तमान गैस उपयोग नीति तथा घरेलू गैस की उपलब्धता के अनुसार आवंटन के लिए विचार किया जा रहा है ।

(ग): जी, हाँ । गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के सभी विकासकर्ताओं को 14.03.2012 को परामर्शिका जारी की गई थी कि वे विद्युत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त घरेलू गैस की अनुपलब्धता के कारण वर्ष 2015-16 तक किसी भी घरेलू गैस आधारित विद्युत संयंत्र की योजना न बनाएं ।

(घ): गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमओपीएण्डएनजी द्वारा सूचित की गई कुछ नीतियां नीचे दी गई हैं:

एमओपीएण्डएनजी ने व्यापक जनहित को पूरा करने के आशय से एक ही स्वामी के विद्युत संयंत्रों के बीच गैस को मिलाने/पथ-परिवर्तन करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) में सुधार करने के लिए उपलब्ध गैस का प्रयोग अधिक दक्षता से किया जा सके और विद्युत उत्पादन में तदनुसूची वृद्धि हो सके। एमओपीएण्डएनजी ने ऊर्जा समता आधार पर दो पक्षों के बीच प्राकृतिक गैस की अदला-बदली करने के संबंध में भी दिनांक: 14.03.2012 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।

इसके अतिरिक्त, अधिकार-प्राप्त मंत्रीसमूह (ईजीओएम) ने दिनांक: 23.08.2013 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान, उर्वरक क्षेत्र को गैस आपूर्तियां 31.5 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) के स्तर पर बनाए रखी जाएं तथा अन्य सभी अतिरिक्त नव अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) गैस, यदि कोई हो तो, की विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति, उर्वरक क्षेत्र को 31.5 एमएमएससीएमडी के आपूर्ति स्तर को पूरा करने के पश्चात ही की जाए ।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र के बारे में लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 252 के विवरण के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 (30.06.2014 तक) के दौरान गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का उत्पादन और पीएलएफ प्रतिशत

क्रम संख्या	स्टेशन का नाम	2014-15 (30.06.2014 तक)*			2013-14			2012-13			2011-12		
		क्षमता (मेगावाट) में	वास्तविक उत्पादन (मि.यू.) में	% पीएलएफ	क्षमता (मेगावाट) में	वास्तविक उत्पादन (मि.यू.) में	% पीएलएफ	क्षमता (मेगावाट) में	वास्तविक उत्पादन (मि.यू.) में	% पीएलएफ	क्षमता (मेगावाट) में	वास्तविक उत्पादन (मि.यू.) में	% पीएलएफ
केन्द्रीय													
1	अगरतला जीटी	84	144.48	78.75	84	641.69	87.21	84	632.73	85.99	84	666.12	90.28
2	अंता सीसीपीपी	419.33	387.08	42.27	419.33	1965.34	53.5	419.33	2176.45	59.25	419.33	2694.6	73.16
3	औरैया सीसीपीपी	663.36	347.87	24.01	663.36	1792.08	30.84	663.36	2774.82	47.75	663.36	3878.62	66.56
4	दादरी सीसीपीपी	829.78	575.76	31.77	829.78	3399.77	46.77	829.78	4417.58	60.77	829.78	5376.07	73.76
5	फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	534.88	56.75	431.59	1731.87	45.81	431.59	2402.85	63.56	431.59	3067.72	80.92
6	गांधार सीसीपीपी	657.39	656.86	45.75	657.39	1322.5	22.97	657.39	3478.6	60.41	657.39	3684.07	63.8
7	कथलगुरी सीसीपीपी	291	435.43	68.51	291	1726.39	67.72	291	1680.33	65.92	291	1765.17	69.06
8	कवास सीसीपीपी	656.2	577.42	40.29	656.2	1389.01	24.16	656.2	2900.99	50.47	656.2	3638.4	63.12
9	रतनागिरी सीसीपीपी	1967	0	0	1967	1506.29	7.75	1967	5127.36	26.37	2220	11619.08	59.58
10	त्रिपुरा सीसीपीपी	363.3	490.02	61.76	363.3	996.55	31.32	363.3	28.39	5.52	0	-	-
	केन्द्रीय कुल	6362.95	4149.8	29.59	6362.95	16471.49	28.18	6362.95	25620.1	45.87	6252.65	36389.85	63.01
राज्य													
11	बारामुरा जीटी	58.5	78.7	61.6	58.5	274.01	53.47	58.5	347.37	67.78	58.5	357.62	69.59
12	ढोलपुर सीसीपीपी	330	265.83	36.88	330	975.79	33.76	330	1162.69	40.22	330	2253.77	77.75
13	धुवरन सीसीपीपी	218.62	30.36	6.36	218.62	204.21	10.66	218.62	849.8	44.37	218.62	1008.7	52.53
13क	धुवरन सीसीपीपी विस्तार	376	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	हजीरा सीसीपीपी	156.1	46.49	13.64	156.1	278.79	20.39	156.1	701.27	51.28	156.1	907.62	66.19
15	हजीरा सीसीपीपी विस्तार	351	0	0	351	0	0	351	4.44	0.14	351	132.83	26.28
16	आईपी सीसीपीपी	270	268.09	45.46	270	1040.94	44.01	270	1308.21	55.31	270	1243.72	52.44
17	कराईकल सीसीपीपी	32.5	37.71	53.13	32.5	256.97	90.26	32.5	230.76	81.05	32.5	251.46	88.08
18	कोविकलपाल सीसीपीपी	107	105.93	45.33	107	497.92	53.12	107	726.74	77.53	107	705.75	75.09
19	कुट्टालम सीसीपीपी	100	137.79	63.09	100	641.37	73.22	100	55.84	6.37	100	413.29	47.05
20	लकवा जीटी	157.2	229.67	66.9	157.2	896.28	65.09	157.2	886.13	64.35	120	771.99	73.24
21	नामरूप सीसीपीपी	95	132.59	63.9	95	439.83	52.85	95	492.94	59.23	95	565.73	67.79
21क	नामरूप स्टे.	24	18.76	35.79	24	86.77	41.27	24	40.27	19.15	24	0	0
	नरिमनम जीटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
22	पिपावाव सीसीपीपी	702	0	0	702	0	0	-	-	-	-	-	-
23	प्रगति सीसीसीजीटी-III	1500	206.37	6.3	1500	644.76	5.99	1000	1437.14	17.5	750	331.38	7.24
24	प्रगति सीसीपीपी	330.4	337.07	46.71	330.4	2425.38	83.8	330.4	2508.35	86.67	330.4	2560.05	88.21
25	रामगढ़ सीसीपीपी	273.8	192.26	34.21	223.8	828.72	42.27	223.8	497.89	46.16	113.8	536.79	53.7
26	रोखिया जीटी	111	115.43	47.61	111	454.24	52.54	90	416.47	52.82	90	419.1	53.01
27	उरन सीसीपीपी	672	1001.72	68.25	672	3271.88	55.58	672	3741.07	63.55	672	4668.78	79.09
28	उत्तरन सीसीपीपी	518	0	0	518	8.31	0.18	518	954.77	21.04	518	2987.98	65.67
29	वलुथुर सीसीपीपी	186.2	307.71	75.67	186.2	1255.51	76.97	186.2	937.31	57.46	186.2	1114.56	68.14
	कुल राज्य	6569.32	3512.48	24.56	6143.32	14481.68	27.83	4920.32	17299.46	38.48	4533.12	21231.12	55.33

निजी क्षेत्र													
30	बड़ौदा सीसीपीपी	160	7.51	2.15	160	159.14	11.35	160	377.17	26.91	160	668.74	47.58
31	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200	0	0	800	0	0	-	-	-	-	-	-
32	डीएलएफ असम जीटी	24.5	0	0	24.5	0	0	24.5	0	0	24.5	0	0
33	एस्सार सीसीपीपी	300	0	0	300	0	0	300	481.47	10.67	300	135.89	3
34	गौतमी सीसीपीपी	464	0	0	464	0	0	464	997.36	24.54	464	2898.67	71.12
35	जीएमआर एनर्जी लि. काकीनाडा	220	0	0	220	0	0	220	393.39	20.41	220	1200.03	62.1
36	गोदावरी सीसीपीपी	208	222.04	48.88	208	1089.32	59.78	208	1032.98	56.69	208	1282.46	70.19
37	जेगुरुपादु सीसीपीपी	455.4	176.56	17.75	455.4	993.44	24.9	455.4	1689.04	42.34	455.4	2833.49	70.83
38	करूपपुर सीसीपीपी	119.8	191.47	73.18	119.8	726.42	69.22	119.8	881.96	84.04	119.8	797.1	75.75
39	कोनासीमा सीसीपीपी	445	0	0	445	1.54	0.04	445	914.92	23.47	445	2266.22	57.98
40	कोंडापल्ली विस्तार सीसीपीपी	366	0	0	366	0	0	366	661.51	20.63	366	2203.54	68.54
41	कोंडापल्ली सीसीपीपी	350	410.21	53.66	350	1441.45	47.01	350	1768.38	57.68	350	2030.94	66.06
42	एलवीएस पावर	55	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	55	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	55	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-
43	पी. नल्लुर सीसीपीपी	330.5	520.54	72.12	330.5	1449.6	50.07	330.5	1817.92	62.79	330.5	1526.19	52.57
44	पेड्डापूरम सीसीपीपी	220	63.94	13.31	220	490.78	25.47	220	713.2	37.01	220	1318.82	68.24
45	पुगुथन सीसीपीपी	655	105.49	7.37	655	254.31	4.43	655	1405.8	24.5	655	3067.07	53.31
46	रिठाला सीसीपीपी	108	0	0	108	0.22	0.02	108	138.82	14.67	108	241.83	29.69
47	आरवीके एनर्जी	28	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	28	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	28	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-
48	सिल्क रोड सुगर	35	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	35	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	35	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-
49	सिरबा इन्डस्ट्रीज	30	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	30	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	30	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-
50	सुजेन सीसीपीपी	1147.5	626.54	25	1147.5	2276.78	22.65	1147.5	4119.87	40.99	1147.5	7592.16	75.32
51	ट्रोम्बे सीसीपीपी	180	381.29	96.99	180	1274.78	80.85	180	1596.58	101.3	180	1567.9	99.16
52	उन्नोसुगेन सीसीपीपी	382.5	0	0	382.5	3.14	0.09	382.5	144.84	26.74	-	-	-
53	वालंतरवी सीसीपीपी	52.8	100.65	87.28	52.8	362.2	78.31	52.8	380.42	82.25	52.8	377.51	81.4
54	वतवा सीसीपीपी	100	0	0	100	0	0	100	125.19	14.29	100	459.26	52.28
55	वेमागिरी सीसीपीपी	370	0	0	370	177.51	5.48	370	960.77	29.64	370	2066.81	63.59
56	विजेश्वरन सीसीपीपी	272	258.93	43.59	272	1050.02	44.07	272	1168.17	49.03	-	-	-
	कुल निजी	8279	3346.37	16.70	7879	11750.65	18.05	7079	21769.76	34.95	6276.5	34534.63	58.89
	कुल जोड़	21211.27	11426.6	23.75	20385.3	42703.82	24.85	18362.3	64689.32	40.33	17062.3	92155.6	59.94

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2136

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

जल-विद्युत परियोजनाओं का पूरा होना

2136. श्री डी.के. सुरेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा पश्चिमी घाट के साथ-साथ स्वीकृत की गई जल-विद्युत परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिमी घाटों के साथ आने वाली गुंडिया जल विद्युत परियोजना (एचईपी) (1x200=200 मे.वा.), कर्नाटक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) के लिए सीईए में प्राप्त हुई थी। सीईए द्वारा इसे दिनांक 25.04.2008 को अनुमति प्रदान की गई थी । तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ दल (डब्लूजीईईपी), ने गुंडिया एचईपी के निष्पादन की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि विविधता की हानि और पर्यावरणीय प्रभाव महत्वपूर्ण होंगे। इसके अतिरिक्त, शिवासमुद्रम एचईपी रन ऑफ रिवर) (3x100+3x15=345 मे.वा.), कर्नाटक की डीपीआर अप्रैल, 2012 को सहमति हेतु सीईए में प्राप्त हुई थी । तथापि, दिनांक 16.05.2012 को डीपीआर इस टिप्पणी के साथ वापिस लौटा दी गई थी कि अंतरराज्यीय मामलों का समाधान होने के पश्चात् सीईए में परियोजना की जांच शुरू की जाएगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2139

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत
ओम्बड्समैन/लोकपाल

2139. श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत ओम्बड्समैन/लोकपाल के क्या कार्य हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त ओम्बड्समैन/लोकपाल द्वारा कितने निर्णय लिए गए; और

(ग) झारखण्ड सहित राज्यों के विद्युत उपभोक्ताओं के पक्ष में दिए गए उक्त निर्णयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(6) में यह व्यवस्था की गई है कि कोई उपभोक्ता, जो अधिनियम की धारा 42(5) (जिसमें उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे हेतु फोरम की स्थापना की व्यवस्था की गई है) के अंतर्गत अपनी शिकायतों का निपटारा न होने से असंतुष्ट हैं तो वह ओम्बड्समैन के नाम से जाने जाने वाले प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत के निपटारे हेतु अभ्यावेदन कर सकता है जिसे राज्य आयोग द्वारा नियुक्त एवं पदनामित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 42(7) में यह व्यवस्था भी की गई है कि ओम्बड्समैन उतने समय के भीतर और उस रीति से, जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करेंगे। ओम्बड्समैन की नियुक्ति एवं दायित्वों पर विद्युत अधिनियम, 2003 के संबंधित प्रावधान अनुबंध-1 में है।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान ओम्बड्समैन द्वारा लिए गए निर्णयों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-॥ में है।

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2139 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ओम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कर्तव्यों के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 के संबंधित प्रावधान

विद्युत अधिनियम, 2003: धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य और निर्बाध पहुँच) निम्नानुसार है:-

.....

.....

5. प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, नियत दिन से या अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने की तारीख से, इनमें जो पूर्वतर हो, छह मास के भीतर उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक मंच की स्थापना करेगा।
6. ऐसा कोई उपभोक्ता, जो उपधारा (5) के अधीन अपनी शिकायतों का प्रतितोष नहीं मिलने के कारण व्यथित है, ऐसे प्राधिकारी को अपनी शिकायतों के प्रतितोष के लिए अभ्यावेदन कर सकेगा जो ओम्बड्समैन के नाम से ज्ञात हो और जिसे राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या पदाभिहित किया जाएगा।
7. ओम्बड्समैन, उपभोक्ता की शिकायतों को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से तय करेगा जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतिरिक्त प्रश्न संख्या 2139 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान ओम्बड्समैन द्वारा लिए गए निर्णयों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	ओम्बड्समैन द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित मामलों की संख्या
1	<u>छत्तीसगढ़</u> 2010 2011 2012	उपलब्ध नहीं 23 32	उपलब्ध नहीं 7 24
2	<u>गुजरात</u> 2010 2011 2012	111 110 106	46 35 35
3	<u>हरियाणा</u> 2010 2011 2012	42 43 उपलब्ध नहीं	27 19 उपलब्ध नहीं
4	<u>कर्नाटक</u> 2010 2011 2012	उपलब्ध नहीं 21 21	उपलब्ध नहीं 17 17
5	<u>केरल</u> 2010 2011 2012	52 38 53	25 20 33
6	<u>मध्य प्रदेश</u> 2010 2011 2012	उपलब्ध नहीं 24 उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं 2 उपलब्ध नहीं
7	<u>पंजाब</u> 2010 2011 2012	उपलब्ध नहीं 33 47	उपलब्ध नहीं 10 13
8	<u>राजस्थान</u> 2010 2011 2012	उपलब्ध नहीं 7 उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं
9	<u>तमिलनाडु</u> 2010 2011 2012	उपलब्ध नहीं 20 उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं
10	<u>उत्तर प्रदेश</u> 2010 2011 2012	उपलब्ध नहीं 106 उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं 93 उपलब्ध नहीं
11	<u>उत्तराखण्ड</u> 2010 2011 2012	12 6 13	4 2 4
12	<u>पश्चिम बंगाल</u> 2010 2011 2012	उपलब्ध नहीं 782 उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं 441 उपलब्ध नहीं
13.	<u>झारखण्ड</u> 2010 2011 2012	उपलब्ध नहीं 8 8	उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं

शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2140

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत की आपूर्ति

2140. श्री एन. क्रिष्णप्पा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में केन्द्रीय विद्युत सृजन कम्पनियों द्वारा स्थापित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के पांच किलोमीटर की परिधि में ग्रामीण परिवारों को विद्युत की आपूर्ति की जा रही है;
- (ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं और ऐसे गांवों के निवासियों को कब तक विद्युत की आपूर्ति की जाएगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों/उत्पादन केन्द्रों के आस-पास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति के प्रावधान की एक स्कीम 27.04.2010 को शुरू की थी । तत्सपश्चात, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में विद्युत प्रदान करने की स्कीम पिछले तीन वर्षों में विभिन्न कारणों की वजह से बिल्कुल भी कार्यान्वित नहीं की जा सकी तथा इसे इस तथ्य की आरजीजीवीवाई 12वीं पंचवर्षीय योजना में शेष सभी गावों तथा वास-स्थलों को कवर करेगी इस स्कीम को 25.3.2013 से वापिस ले लिया गया । तथापि, एनटीपीसी के विशिष्ट अनुरोध पर कि उन्हें एनटीपीसी की 8 चल रही परियोजनाओं को "केन्द्रीय विद्युत संयंत्र के आस-पास के 5 किलोमीटर क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति का प्रावधान" की तत्कालीन स्कीम के अंतर्गत निष्पादित करने की अनुमति दी जाए, फिर भी विद्युत मंत्रालय उन्हें इसकी अनुमति देने पर सहमत है । इसके ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं ।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2140 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनटीपीसी स्टेशनों के आसपास 5 किलोमीटर में स्कीम का कार्यान्वयन - स्थिति पर एक नजर						
सभी राशि करोड़ रुपए में						
क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	गांवों की संख्या	गैर-विद्युतीकृत बीपीएल की संख्या	एपीएल की संख्या	अनुमानित लागत
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	कहलगांव	बिहार	69	15,882	17,602	29.07
2	सिंगरौली	उत्तर प्रदेश	5	191	5,269	2.06
3	टीटीपीएस	ओडिशा	51	771	13,723	15.06
4	टीएसटीपीएस	ओडिशा	57	38	5,729	12.98
5	ऊंचाहार	उत्तर प्रदेश	47	4,272	10,746	15.62
6	टांडा	उत्तर प्रदेश	89	1,836	6,545	13.60
7	रिहंद	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	6	669	2,701	13.97
8	विंध्यांचल	मध्य प्रदेश	30	2,523	14,739	16.54
कुल			354	26,182	77,054	118.90

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

...

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2152

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

तीस्ता-III जल विद्युत परियोजना

2152. श्री एम.बी. राजेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीस्ता-III जल विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना को शुरू करने में देरी हुई है और इस तरह की देरी के कारण लागत में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त परियोजना के तीव्र कार्यान्वयन के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) 1200 मेगावाट (प्रत्येक 200 मेगावाट की 6 यूनिटें) तीस्ता-III जल विद्युत परियोजना सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी पर रन आफ रीवर स्कीम है और सिक्किम सरकार के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड टीयूएल के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना निर्माणाधीन है और लगभग 89% वास्तविक प्रगति प्राप्त कर ली गई है।

(ख) समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार परियोजना सितंबर, 2012 तक चालू की जानी थी। तथापि, सितंबर, 2011 में भूकंप/2012 में अचानक आई बाढ़ इत्यादि जैसी प्राकृतिक विपदाओं और तीस्ता ऊर्जा के विभिन्न घटकों के बीच शेर धारिता के पैटर्न से उत्पन्न विवाद उठने जैसे अन्य मामलों के कारण परियोजना के चालू होने में जून, 2015 तक विलंब हुआ है।

(ग) द्रुतगति से कार्यान्वयन करने के लिए सिक्किम सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- i. प्रगति की सूक्ष्मता से निगरानी करने के लिए मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार निगरानी समिति का गठन किया गया है।
- ii. इसके अतिरिक्त, सिक्किम सरकार ने परियोजना की सूक्ष्मता से निगरानी के करने लिए तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड के निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी उपाध्यक्ष और एक निदेशक नामित किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

...

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2155

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

गांवों का विद्युतीकरण

2155. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहर, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र के 1569 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन गांवों के विद्युतीकरण के लिए मूल समय-अनुसूची क्या है और उनके विद्युतीकरण में विलंब के क्या कारण हैं; और
- (ग) केन्द्र सरकार का उक्त गांवों में विद्युतीकरण को कब तक पूरा करने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत पलामू, गढ़वा, लातेहर, पूर्व सिंहभूम तथा पश्चिम सिंहभूम जिले की परियोजनाओं को 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मंजूरी प्रदान की गई थी। झारखण्ड सरकार के अधीन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीबीएनएल) इस परियोजना हेतु क्रियान्वयन एजेंसी है। इन जिलों की कवरेज और उपलब्धि निम्नवत है:

क्रम सं.	जिले का नाम	गैर-विद्युतीकृत गांव	
		कवरेज	30.06.2014 की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट की प्रगति
1.	पलामू*	1006	1006
2.	गढ़वा*	536	536
3.	लातेहर*	570	570
4.	पूर्व सिंहभूम	812	812
5.	पश्चिम सिंहभूम	1023	836

* क्रियान्वयन एजेंसी अर्थात झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीबीएनएल) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ठेकेदार ने पहले सीबीआई जांच के कारण काम बंद कर दिया था और अब मार्च, 2015 तक समय बढ़ाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र दिया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2168

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रशुल्क का निर्धारण

2168. श्रीमती के. मरगथम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत प्रशुल्क को निर्धारित करने के लिए सरकार के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या यह सच है कि निजी विद्युत वितरण कंपनियों के प्रशुल्क बहुत अधिक हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पूरे देश में और सभी वितरण कंपनियों के प्रशुल्क में एकरूपता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क)½ : प्रशुल्क का निर्धारण उपयुक्त विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 से 64 के तहत अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाई गई नीतियों के अनुरूप किया जाता है । जबकि केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों के लिए प्रशुल्क केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है; राज्य में उत्पादन, आपूर्ति एवं पारेषण के लिए प्रशुल्क का निर्धारण राज्य विनियामक आयोगों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार, राज्य/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी/जेईआरसी)½ सार्वजनिक एवं निजी वितरण लाइसेंसधारियों, दोनों के लिए समय-समय पर प्रशुल्क निर्धारण के निबंधन एवं शर्तें अधिसूचित करते हैं । अधिनियम की धारा 61 में मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रावधान है जिन पर उपयुक्त आयोग को प्रशुल्क की निबंधन एवं शर्तों के विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए विचार करना होता है। धारा 61 के संबंधित प्रावधान अनुबंध-1 में हैं । धारा 61(i)½ के अनुसार, प्रशुल्क की निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करते समय विनियामक आयोग केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क नीति से भी निर्देशित होते हैं।

(ख^{1/2} और) (ग^{1/2} : राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के निष्पादन के संबंध में पावर फाइनेंस कारपोरेशन की रिपोर्ट में दर्शाए गए अनुसार भारत में अन्य वितरण कंपनियों सहित निजी विद्युत वितरण कंपनियों की औसत आपूर्ति लागत के ब्यौरे अनुबंध-11 में है। जैसा कि स्पष्ट है, निजी विद्युत वितरण कंपनियों की विद्युत आपूर्ति की औसत लागत अन्य वितरण कंपनियों की औसत लागत से सामान्यतः तुलनीय है।

(घ^{1/2} : वितरण कंपनियों के प्रशुल्क का निर्धारण एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्धारित सिद्धांतों तथा उसके तहत बनाई गई नीतियों के आधार पर किया जाता है। सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क का प्रत्यक्ष विनियमन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों को कम करने की दृष्टि से, सरकार उपयुक्त नीतिगत कार्य ढाँचे एवं कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादन, पारेषण तथा वितरण व्यवसाय में दक्षता को बढ़ावा दे रही है। प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से प्रशुल्क का पता लगाने पर सरकार द्वारा बल दिए जाने के साथ-साथ, इन उपायों से प्रशुल्क की दरों में भी कमी आती है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अंतर्गत विनियामकों के मंच (एफओआर) का गठन किया है। एफओआर के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय आयोग एवं राज्य आयोगों के प्रशुल्क आदेशों एवं अन्य आदेशों का विश्लेषण तथा राज्य के आदेशों से उत्पन्न आंकड़ों का संकलन जिसमें विशेष रूप से यूटिलिटीयों की दक्षता में सुधार को उल्लिखित किया गया है और विद्युत विनियामक आयोगों के बीच के विनियमों का सामंजस्य शामिल है।

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2168 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

धारा 61(प्रशुल्क विनियमन) :

उपयुक्त आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यक्षीन, प्रशुल्क निर्धारण की निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगा तथा ऐसा करते समय निम्नलिखित से मार्गनिर्देशित होगा, यथा:-

(क) उत्पादन कंपनियों एवं पारेषण लाइसेंसधारियों पर लागू प्रशुल्क के निर्धारण के लिए केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धांत या कार्यप्रणालियां ।

(ख) विद्युत का उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा आपूर्ति वाणिज्यिक सिद्धांतों पर की जाती है ।

(ग) प्रतिस्पर्धा, दक्षता, संसाधनों के किफायती प्रयोग, अच्छे निष्पादन तथा अधिकतम निवेशों को प्रोत्साहित करने वाले कारक।

(घ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा साथ ही युक्तिसंगत तरीके से विद्युत लागत की वसूली ।

(ङ) निष्पादन में दक्षता लाने वाले सिद्धांत।

(च) बहुवर्षीय प्रशुल्क सिद्धांत।

(छ) यह कि प्रशुल्क धीरे-धीरे विद्युत आपूर्ति की लागत को परिलक्षित करे तथा, उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से क्रॉस-सब्सिडी को भी घटाए।

(ज) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह-उत्पादन व उत्पादन को बढ़ावा देना ।

(झ) राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं प्रशुल्क नीति :

बशर्ते कि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 तथा निर्धारित तिथि के ठीक पूर्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट लागू अधिनियमों के तहत प्रशुल्क निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें एक वर्ष की अवधि के लिए या इस धारा के तहत प्रशुल्क की निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट किए जाने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेंगी ।

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2168 के भाग (ख)½ और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

वर्ष 2012-13 में औसत आपूर्ति लागत (एसीएस), औसत राजस्व और राजस्व अंतर (रुपए/केडब्ल्यूएच में)							
क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	एसीएस	औसत राजस्व (सब्सिडी दर्ज आधारित)	अंतर (सब्सिडी दर्ज आधारित)	औसत राजस्व (सब्सिडी प्राप्त आधारित)	अंतर (सब्सिडी प्राप्त आधारित)
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	6.54	5.18	1.36	5.18	1.36
		एनबीपीडीसीएल	5.01	4.72	0.29	4.72	0.29
		एसबीपीडीसीएल	4.62	4.37	0.25	4.37	0.25
	झारखण्ड	जेएसईबी	4.46	3.66	0.80	3.66	0.80
	ओडिशा	सेसू	3.80	3.38	0.43	3.38	0.43
		नेस्को	4.24	4.09	0.15	4.09	0.15
		सेस्को	3.34	3.22	0.12	3.22	0.12
		वेस्को	4.00	3.79	0.21	3.79	0.21
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	2.76	3.24	(0.48)	3.24	(0.48)
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	4.92	4.95	(0.03)	4.95	(0.03)
पूर्वी कुल		4.71	4.41	0.31	4.41	0.31	
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	5.37	1.41	3.96	1.41	3.96
	असम	एपीडीसीएल	5.06	4.37	0.69	4.12	0.94
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	6.98	2.10	4.88	2.10	4.88
	मेघालय	एमईईसीएल					
		एमईपीडीसीएल	3.63	3.28	0.36	3.28	0.36
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	6.79	2.46	4.32	2.46	4.32
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	5.57	2.05	3.53	2.05	3.53
त्रिपुरा	टीएसईसीएल	4.34	2.98	1.36	2.98	1.36	
पूर्वोत्तर कुल		4.99	3.55	1.43	3.42	1.56	

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	एसीएस	औसत राजस्व (सब्सिडी दर्ज आधारित)	अंतर (सब्सिडी दर्ज आधारित)	औसत राजस्व (सब्सिडी प्राप्ति आधारित)	अंतर (सब्सिडी प्राप्ति आधारित)
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	5.97	6.00	(0.03)	6.00	(0.03)
		बीएसईएस यमुना	5.92	5.96	(0.03)	5.96	(0.03)
		टीपीडीडीएल	4.71	5.06	(0.35)	5.06	(0.35)
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	4.76	4.10	0.66	4.10	0.66
		यूएचबीवीएनएल	5.52	4.35	1.17	4.35	1.17
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लि.	4.85	4.29	0.56	4.29	0.56
	जम्मू एवं कश्मीर	जे एण्ड के पीडीडी	4.10	1.43	2.66	1.43	2.66
	पंजाब	पीएसपीसीएल	4.43	4.49	(0.07)	4.44	(0.01)
	राजस्थान	एवीवीएनएल	6.19	3.72	2.47	3.72	2.47
		जेडीवीवीएनएल	5.81	3.38	2.43	3.38	2.43
		जेवीवीएनएल	5.51	3.61	1.90	3.61	1.90
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	4.97	3.03	1.94	3.03	1.94
		केस्को	5.47	3.73	1.74	3.73	1.74
		एमवीवीएन	4.92	3.37	1.55	3.37	1.55
		पश्चिम वीवीएन	4.48	3.93	0.55	3.93	0.55
		पूर्व वीवीएन	4.78	3.20	1.58	3.20	1.58
	उत्तराखण्ड	यूटी पीसीएल	3.20	3.18	0.03	3.18	0.03
उत्तरी कुल			4.98	3.95	1.03	3.95	1.04
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	6.71	4.50	2.21	4.50	2.21
		एपीईपीडीसीएल	5.89	4.57	1.32	4.57	1.32
		एपीएनपीडीसीएल	7.05	4.25	2.80	4.24	2.80
		एपीएसपीडीसीएल	7.01	4.47	2.54	4.46	2.54

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	एसीएस	औसत राजस्व (सब्सिडी दर्ज आधारित)	अंतर (सब्सिडी दर्ज आधारित)	औसत राजस्व (सब्सिडी प्राप्ति आधारित)	अंतर (सब्सिडी प्राप्ति आधारित)
	कर्नाटक	बेस्कॉम	4.35	4.20	0.16	4.20	0.16
		चेस्कॉम	4.18	3.74	0.44	3.63	0.55
		गेस्कॉम	4.42	4.14	0.28	4.14	0.28
		हेस्कॉम	4.38	4.42	(0.04)	4.42	(0.04)
		मेस्कॉम	4.53	4.54	(0.01)	4.54	(0.01)
	केरल	केएसईबी	5.64	5.76	(0.12)	5.76	(0.12)
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	3.77	2.81	0.96	2.81	0.96
	तमिलनाडु	टेन्जेडको	6.42	4.68	1.74	4.62	1.79
दक्षिणी कुल			5.90	4.56	1.34	4.54	1.36
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	3.26	3.03	0.22	3.03	0.22
		गोवा पीडी	3.55	2.77	0.78	2.77	0.78
	गुजरात	डीजीवीसीएल	5.01	5.04	(0.02)	5.04	(0.02)
		एमजीवीसीएल	4.31	4.33	(0.02)	4.33	(0.02)
		पीजीवीसीएल	3.42	3.42	(0.00)	3.42	(0.00)
		यूजीवीसीएल	3.65	3.66	(0.01)	3.66	(0.01)
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	4.55	3.49	1.05	3.49	1.06
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	4.58	3.78	0.80	3.78	0.80
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	4.53	3.56	0.97	3.56	0.97
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	4.80	4.75	0.06	4.75	0.06
पश्चिमी कुल			4.33	4.10	0.23	4.10	0.23
कुल जोड़			5.01	4.20	0.81	4.19	0.83

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2170

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

हाइड्रो इंजिनियरिंग कॉलेज की स्थापना

2170. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी), राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) और हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हाइड्रो इंजिनियरिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या कॉलेज के लिए भवन निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : जी हां, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का निर्णय श्री जयराम नरेश, तत्कालीन विद्युत राज्य मंत्री, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के बीच दिनांक 07.01.2009 को हुई बैठक के दौरान लिया गया था। एनटीपीसी लिमिटेड ने यह भी सूचित किया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा एक साथ एक समान वित्तपोषण किया जाना अपेक्षित है जोकि आपस में व्यक्त की गई सहमति के अनुसार निर्माण के लक्ष्यों से सम्बद्ध होगा। एनटीपीसी लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 37.50 करोड़ रुपए की सीमा तक वित्तीय सहायता के लिए दिनांक 3 मार्च, 2012 को हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। एनएचपीसी को अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2174

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

कुडनकूलम विद्युत परियोजना

2174. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुडनकूलम विद्युत परियोजना को शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका उत्पादन इसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंच गया है और यदि हां, तो इस परियोजना की अधिकतम क्षमता क्या है;

(घ) इस परियोजना से प्रत्येक राज्य को विद्युत की हिस्सेदारी कितनी है;

(ङ) इस परियोजना के शुरू होने के बाद केरल को कितनी बिजली का संवितरण किया गया; और

(च) क्या केन्द्र सरकार केरल की हिस्सेदारी में वृद्धि करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : कुडनकूलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट (केकेएनपीपी) में प्रत्येक 1000 मेगावाट की दो यूनिटें शामिल हैं। 07 जून, 2014 को यूनिट-1 ने पूर्ण विद्युत (1000 मेगावाट) प्राप्त कर ली है। यूनिट-2 जल्द ही चालू होने की संभावना है।

(घ) : विद्युत आवंटन के लिए विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार कुडनकूलम न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र (2x1000 मेगावाट) से उत्पादित की जाने वाली सम्पूर्ण विद्युत को दिनांक 05.02.2014 को लाभार्थी राज्यों के बीच पहले ही आवंटित कर दी गई है जो निम्नानुसार है:-

राज्य	आंध्र प्रदेश द्वारा हिस्सा के छोड़ने के पश्चात संघटको की हकदारी (मेगावाट)
कर्नाटक	442
तमिलनाडु	925 (10 % गृह राज्य हकदारी (सहित))
केरल	266
पुडुचेरी	67
अनावंटित	300
कुल	2000

(ङ.) : जनवरी, 2014 से जून, 2014 की अवधि के दौरान कुडनकूलम विद्युत परियोजना से केरल को निर्धारित ऊर्जा नीचे दी गई है:-

माह	केकेएनपीपी से केरल के लिए निर्धारित ऊर्जा (एमयू)
जनवरी-14	20.881
फरवरी-14	17.878
मार्च-14	55.428
अप्रैल-14	54.861
मई-14	40.97
जून-14	63.568

(च) : जी, नहीं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2194

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

जम्मू और कश्मीर में पनबिजली परियोजना

2194. कुमारी महबूबा मुफ्ती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) द्वारा चलाई जा रही पन बिजली परियोजनाओं की परियोजना-वार उत्पादन क्षमता कितनी है और निगम द्वारा अर्जित राजस्व कितना है;
- (ख) जम्मू और कश्मीर में एनएचपीसी द्वारा प्रचालित परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इनकी निर्माण लागत, विद्युत उत्पादन और प्रत्येक द्वारा अब तक अर्जित राजस्व कितना है;
- (ग) क्या जम्मू और कश्मीर ने संघ सरकार से उन पन बिजली परियोजनाओं जिन्होंने अपनी निवेश लागत से अधिक आय अर्जित कर ली है, का प्रतिफल प्रदान करने और एनएचपीसी के साथ निबन्धन और शर्तों पर पुनः बातचीत किए जाने का कोई औपचारिक अनुरोध किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनएचपीसी लिमिटेड के प्रचालनाधीन विद्युत केन्द्रों और वर्ष 2013-14 तक अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	विद्युत केंद्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	बैरासूल	180
2	लोकटक	105
3	सलाल	690
4	टनकपुर	120
5	चमेरा-I	540
6	उड़ी-I	480
7	रंगित	60
8	चमेरा-II	300
9	धौलीगंगा	280
10	दुलहस्ती	390

11	तीस्ता V	510
12	सेवा II	120
13	चमेरा-III	231
14	चुटक	44
15	टीएलडीपी-III	132
16	निम्मो-बाजगो	45
17	उड़ी-II	240
18	पार्वती-II	520
	कुल	4987

(ख) : वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर में कुल 2009 मेगावाट क्षमता की 7 जल विद्युत परियोजनाएं प्रचालनाधीन हैं। विद्युत के उत्पादन, लागत और अर्जित राजस्व के संबंध में इन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)में	सीओडी के अनुसार पूंजीगत लागत (करोड़ रूपए में)	वर्ष 2013-14 तक उत्पादन (मि.यू.)
1	सलाल	690	981.82	74632
2	उड़ी-I	480	3506.01	43287
3	दुलहस्ती	390	5233.96	15345
4	सेवा II	120	1095.20	1911
5	चुटक	44	2156.02	60
6	निम्मो-बाजगो	45	956.39	88
7	उड़ी-II	240	847.49	404
	कुल	2009	14776.89	135727

(क) और (ख) दोनों के मामले में वर्ष 2013-14 तक अर्जित राजस्व के संबंध में सूचना संकलित की जा रही है और यह संकलन के पश्चात उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) और (घ) : हमें जम्मू एवं कश्मीर सरकार से उन जल विद्युत परियोजनाओं, जो अपनी निवेश लागत से अधिक अर्जित कर चुकी हैं, को वापिस करने अथवा एनएचपीसी के साथ निबंधन एवं शर्तों पर पुनः बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2207

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

पनविद्युत परियोजनाएं

2207. श्री शंकर प्रसाद दत्ता:

श्री एन. क्रिष्टप्पा:

श्री पशुपति नाथ सिंह:

श्री बैजयंत जे. पांडा:

श्री सी.एस. पुट्टा राजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ऊर्जा क्षेत्र में पनविद्युत का हिस्सा 1970 में 44% से घटकर वर्तमान में 19% रह गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में पनबिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ख) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में पनबिजली विद्युत परियोजनाओं को स्थापित/निर्मित करने का है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है;
- (घ) देश में विद्यमान पनबिजली विद्युत परियोजनाओं और इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता और विद्युत उत्पादन में परियोजना और राज्य-वार ऊर्जा उत्पादन में इनका कुल योगदान कितना है;
- (ङ) सरकार के पास लंबित पनबिजली विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को राज्य-वार कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;
- (च) सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त पनबिजली विद्युत परियोजनाओं और इनके निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति, इसमें सम्मिलित कुल निवेश और इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता परियोजना और राज्य-वार कितनी है;
- (छ) क्या इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा कोई समीक्षा की गई है; और
- (ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में अरुणाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में चालू पनबिजली परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क): ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का हिस्सा जो 1969-70 में 43.50% था, वह घटकर 30 जून, 2014 की स्थिति के अनुसार 16.32% रह गया है ।

राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा जल विद्युत नीति, 2008 देश में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना तथा पूर्ण जल विद्युत संभाव्यता का उपयोग करने को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013, जल विद्युत परियोजनाओं से संबद्ध पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के मुद्दों का समाधान करते हैं।

(ख) और (ग): जी, हाँ। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाएं देश के विभिन्न भागों/पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माणाधीन/सीईए की सहमति प्राप्त हैं :

परियोजना की स्थिति	देश		विवरण संलग्न
	संख्या	मेगावाट	
निर्माणाधीन	48	14211.3	अनुबंध-I
सीईए द्वारा सहमति दी गई और निर्माण कार्य अभी प्रारंभ किया जाना है।	40	26080	अनुबंध-II

(घ): इस समय, 40730.08 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाले 188 जल विद्युत स्टेशन, जिनमें 4785.6 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली पंड स्टोरेज स्कीमें (पीएसएस) शामिल हैं, प्रचालनाधीन हैं। विवरण **अनुबंध-III** में संलग्न हैं।

(ङ): इस समय 9430 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 19 जल विद्युत स्कीमों की डीपीआर की सीईए में जांच की जा रही है। विवरण **अनुबंध-IV** में संलग्न हैं।

7730 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 27 जल विद्युत स्कीमों की डीपीआर को सीईए/सीडब्ल्यूसी/जीएसआई तथा अन्य मूल्यांकन एजेंसियों की विभिन्न टिप्पणियों का अनुपालन कर पुनः प्रस्तुत किए जाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों को वापिस किया जा चुका है। विवरण **अनुबंध-V** में संलग्न हैं।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच में विभिन्न पहलुओं अर्थात् जल विज्ञान, नींव अभियांत्रिकी एवं भूकंपीयता एवं बांध का डिजाइन एवं सुरक्षा, जल संवहन प्रणाली, विद्युत गृह, सर्ज शाफ्ट इत्यादि जैसी सिविल संरचनाओं का डिजाइन, विद्युत संभाव्यता अध्ययन, वैद्युत-यांत्रिक डिजाइन, भू-विज्ञान, विद्युत निकासी, निर्माण सामग्री तथा लागत इत्यादि का मूल्यांकन शामिल होता है। उपर्युक्त पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए सीईए, केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय/ केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र तथा भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ सलाह करता है। डीपीआर की जांच मूल्यांकनकर्ता(ओं), विकासकर्ता तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच एक बातचीत की प्रक्रिया है। इसलिए कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

(च): देश में इस समय कुल 14211.33 मेगावाट की 48 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसमें 100251.40 करोड़ रुपये का कुल संभावित निवेश शामिल है। इन परियोजनाओं के निर्माण की वर्तमान स्थिति **अनुबंध-VI** में दी गई है।

(छ) और (ज): सरकार निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की तथा जिन परियोजनाओं को सीईए द्वारा सहमति प्रदान की गई है और निर्माण कार्य अभी शुरू किए जाने हैं, उनके कार्यान्वयन की नियमित निगरानी एवं समीक्षा निम्नानुसार करती है:

(क) जिन परियोजनाओं को सीईए द्वारा सहमति दी गई है तथा निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है, उनके लिए इन परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के मुद्दों का समाधान करने के लिए सीईए/विद्युत मंत्रालय द्वारा जल विद्युत परियोजना विकासकर्ताओं के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं ।

(ख) निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए:

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की प्रगति की निगरानी नियमित रूप से स्थल दौरा करके, विकासकर्ताओं तथा अन्य पणधारियों के साथ वार्तालाप करके और मासिक प्रगति रिपोर्टों के महत्वपूर्ण अध्ययन के द्वारा करता है। अध्यक्ष, सीईए महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए विकासकर्ताओं तथा अन्य पणधारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं ।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति का स्वतंत्र रूप से अनुवर्तन तथा निगरानी करता है ।
- विद्युत मंत्रालय भी सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपकरण विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/सीपीएसयूटी परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ नियमित रूप से निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है ।

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2207 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

निष्पादनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची
(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन परियोजनाओं को छोड़कर)

30.06.2014 की स्थिति के अनुसार

क्रम स.	परियोजना का नाम	राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)
	केंद्रीय क्षेत्र		
1	किशनगंगा 3x110= 330 मेगावाट	जम्मू व कश्मीर/एनएचपीसी	330
2	पारबती स्टे. II 4x200= 800 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी	800
3	कोल डैम 4x200= 800 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश/एनटीपीसी	800
4	रामपुर 6x68.67= 412 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश/एसजेवीएनएल	137.33
5	तपोवन विष्णुगड 4x130=520 मेगावाट	उत्तराखण्ड/एनटीपीसी	520
6	टेहरी पीएसएस 4x250= 1000 मेगावाट	उत्तराखण्ड/टीएचडीसी	1000
7	लता तपोवन 3x57= 171 मेगावाट	उत्तराखण्ड/एनटीपीसी	171
8	विष्णुगड पीपलकोटि 4x111= 444 मेगावाट	उत्तराखण्ड/टीएचडीसी	444
9	तीस्ता लो डैम-IV 4x40= 160 मेगावाट	पश्चिम बंगाल/एनएचपीसी	160
10	सुबानसिरी लोअर 8x250= 2000 मेगावाट	अरुणाचल प्रदेश/एनएचपीसी	2000
11	कामेंग 4x150= 600 मेगावाट	अरुणाचल प्रदेश/नीपको	600
12	पारे 2x55= 110 मेगावाट	अरुणाचल प्रदेश/नीपको	110
13	तुरियल 2x30= 60 मेगावाट	मिजोरम/नीपको	60
		उप-जोड़ (केंद्रीय):	7132.33
	राज्य क्षेत्र		
14	बगलीहार-II 3x150= 450 मेगावाट	जम्मू व कश्मीर/जेकेपीडीसी	450
15	शाहपुरकुंडी 3x33+3x33+1x8= 206 मेगावाट	पंजाब/सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल	206
16	उहल-III 3x33.33= 100 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश/ब्यास वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीपीसी)	100
17	कशांग-I 1x65 =65 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	65
18	कशांग-II व III 1x65 + 1x65= 130 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	130
19	सैंज 2x50=100 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	100
20	स्वारा कुड्डू 3x37= 111 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	111
21	शौंगटॉंग करछम 3x150= 450 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	450
22	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40= 80 मेगावाट	महाराष्ट्र/डब्ल्यूआरडी, जीओ महा.	80

क्रम स.	परियोजना का नाम	राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)
23	नागार्जुन सागर टीआर 2x25= 50 मेगावाट	आंध्र प्रदेश/एपीजेको	50
24	लोअर जुराला 6x40= 240 मेगावाट	आंध्र प्रदेश/एपीजेको	240
25	पुलीचिंताला 4x30= 120 मेगावाट	आंध्र प्रदेश/एपीजेको	120
26	पल्लीवसल 2x30= 60 मेगावाट	केरल/केएसईबी	60
27	थोटियार 1x30 + 1x10= 40 मेगावाट	केरल/केएसईबी	40
28	न्यू उमतरु 2x20= 40 मेगावाट	मेघालय/एमईईसीएल	40
		उप-जोड़ (राज्य):	2242
	निजी क्षेत्र		
29	रतले 4x205+1x30= 850 मेगावाट	जम्मू व कश्मीर/रतले हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रा. लि.	850
30	सोरांग 2x50= 100 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश/हिमाचल सोरांग पावर	100
31	टांगनु रोमई I 2x22= 44 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश/ टांगनु रोमई पावर जेनरेशन	44
32	बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश/जीएमआर बजोली होली हाइड्रो पावर प्रा. लि.	180
33	चांजू-I 3x12= 36 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश/आईए इनर्जी	36
34	टिडॉंग-I 2x50= 100 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश/मैसर्स एनएसएल टिडॉंग	100
35	श्रीनगर 4x82.5= 330 मेगावाट	उत्तराखण्ड/मैसर्स एचपीसीएल	330
36	फाटा ब्यंग 76 मेगावाट	उत्तराखण्ड/मैसर्स लैंको	76
37	सिंगोली भटवारी 3x33= 99 मेगावाट	उत्तराखण्ड/एल एण्ड टी उत्तरांचल हाइड्रो पावर लिमिटेड	99
38	महेश्वर 10x40= 400 मेगावाट	मध्य प्रदेश/एसएमएचपीसीएल	400
39	तीस्ता- III 6x200= 1200 मेगावाट	सिक्किम/तीस्ता ऊर्जा लि.	1200
40	तीस्ता- VI 4x125= 500 मेगावाट	सिक्किम/लैंको	500
41	रंगित-IV 3x40= 120 मेगावाट	सिक्किम/जल पावर कारपो. लिमिटेड	120
42	जोरथांग लूप 2x48= 96 मेगावाट	सिक्किम/मैसर्स डैन्स एनर्जी	96
43	भास्मे 3x17= 51 मेगावाट	सिक्किम/गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर	51
44	ताशिडिंग 2x48.5= 97 मेगावाट	सिक्किम/शीघा इनर्जी प्रा. लि.	97
45	डिक्चू 3x32= 96 मेगावाट	सिक्किम/स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	96
46	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट	सिक्किम/सिक्किम हाइड्रो पावर लिमिटेड	66
47	रॉंगनीचू 2x48= 96 मेगावाट	सिक्किम/मध्य भारत पावर कारपोरेशन लिमिटेड	96
48	पनन 4x75= 300 मेगावाट	सिक्किम/हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	300
		उप-जोड़ (निजी)	4837
		कुल (केंद्रीय क्षेत्र +राज्य क्षेत्र + निजी क्षेत्र)	14211.33

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2207 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं जिनके लिए सीईए द्वारा सहमति दी गई और निर्माण अभी शुरू किया जाना है

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	पकलदुल	केंद्रीय	जे एण्ड के	1000
2	न्यू गंदरवाल	राज्य	जे एण्ड के	93
3	कुटेहर	निजी	हिमाचल प्रदेश	240
4	मियार	निजी	हिमाचल प्रदेश	120
5	चांगो यांगथांग	निजी	हिमाचल प्रदेश	180
6	कोटलीभेल स्टेज-I ए	केंद्रीय	उत्तराखण्ड	195
7	कोटलीभेल स्टेज-I बी	केंद्रीय	उत्तराखण्ड	320
8	कोटलीभेल स्टेज-II	केंद्रीय	उत्तराखण्ड	530
9	पाला मनेरी	राज्य	उत्तराखण्ड	480
10	अलकनंदा	निजी	उत्तराखण्ड	300
11	रूपसियाबगार खसियाबाड़ा	केंद्रीय	उत्तराखण्ड	261
12	व्यासी	राज्य	उत्तराखण्ड	120
13	देवसरी	केंद्रीय	उत्तराखण्ड	252
14	मतनार	राज्य	छत्तीसगढ़	60
15	रम्माम स्टेज-III	केंद्रीय	पश्चिम बंगाल	120
16	जलापुट डैम टोई	निजी	ओडिशा	18
17	तीस्ता स्टेज-IV	केंद्रीय	सिक्किम	520
18	अथिरापल्ली	राज्य	केरल	163
19	इंदिरासागर (पोलावरम)	राज्य	आंध्र प्रदेश	960
20	गुंडिया	राज्य	कर्नाटक	200
21	तिपाईमुख	केंद्रीय	मणिपुर	1500
22	लोकटक डी/एस	केंद्रीय	मणिपुर	66
23	दिबान	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	3000
24	डिबिन	निजी	अरुणाचल प्रदेश	120
25	लोअर सियांग	निजी	अरुणाचल प्रदेश	2700
26	नाफ्रा	निजी	अरुणाचल प्रदेश	120
27	न्यामजंग छू	निजी	अरुणाचल प्रदेश	780
28	तवांग स्टेज-I	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	600
29	टाटो-II	निजी	अरुणाचल प्रदेश	700
30	तवांग स्टेज-II	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	800
31	डेम्वे लोअर	निजी	अरुणाचल प्रदेश	1750
32	गोंगरी प्रा.	निजी	अरुणाचल प्रदेश	144
33	हीरोंग	निजी	अरुणाचल प्रदेश	500
34	इटालियन	निजी	अरुणाचल प्रदेश	3097
35	टालोंग लॉडा	निजी	अरुणाचल प्रदेश	225
36	नैयिंग	निजी	अरुणाचल प्रदेश	1000
37	सियोम	निजी	अरुणाचल प्रदेश	1000
38	कलाई-II	निजी	अरुणाचल प्रदेश	1200
39	कोलोडाइन स्टेज-II केंद्रीय	केंद्रीय	मिजोरम	460
40	दीखू	निजी	नागालैंड	186
	कुल			26080

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2207 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में एच.ई. स्टेशनों (25 मेगावाट से अधिक) की स्टेशन-वार संस्थापित क्षमता

क्षेत्र/सेक्टर/यूटिलिटी/स्टेशन	यूनिट की सं. X साइज (मेगावाट)	स्टेशनों की संख्या	यूनिटों की संख्या	क्षमता (मेगावाट)
क्षेत्र				
उत्तरी	-	65	221	16584.93
पश्चिमी	-	28	101	7392.00
दक्षिणी	-	68	243	11432.45
पूर्वी	-	17	61	4078.70
पूर्वोत्तर	-	10	29	1242.00
अखिल भारत (कुल)	-	188	655	40730.08
टिप्पणी:- (1) 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले स्टेशन शामिल नहीं हैं।				
(2) यूनिटों की अपरेटिड/डीरेटिड क्षमताओं को शामिल किया गया है।				
सेक्टर				
केंद्रीय				
बीबीएमबी	-	6	28	2866.30
एनएचपीसी	-	19	63	4961.20
एसजेवीएनएल	-	2	10	1774.68
टीएचडीसी	-	2	8	1400.00
एनएचडीसी	-	2	16	1520.00
डीवीसी	-	2	5	143.20
नीपको	-	4	13	755.00
उप-जोड़ केंद्रीय		37	143	13420.38
राज्य विद्युत बोर्ड/विभाग				
एचपीएसईबीएल	-	4	12	366.00
जेकेएसपीडीसीएल	-	3	9	660.00
पीएसपीसीएल	-	8	25	1051.00
आरआरवीयूएनएल	-	4	11	411.00
यूपीजेवीएनएल	-	4	15	501.60
यूजेवीएनएल	-	10	34	1252.15
जीएसईसीएल	-	2	8	540.00
एसएसएनएनएल	-	2	11	1450.00
एमपीपीजीसीएल	-	8	23	875.00
सीएसईबी	-	1	3	120.00
महार्जेंको	-	8	24	2406.00
एपजेंको	-	14	57	3783.35
केपीसीएल	-	14	68	3585.40
केएसईबी	-	13	48	1881.50
टान्जेडको	-	27	70	2182.20
जेएसईबी	-	2	2	130.00
ओएचपीसी	-	6	31	2027.50
डब्ल्यूबेसईडीसीएल	-	3	11	977.00
एपीजीपीसीएल	-	1	2	100.00
एमईईसीएल	-	4	11	282.00
राज्य का उप-जोड़	-	138	475	24581.70
निजी				

	एमपीसीएल	-	1	2	86.00
	ईपीपीएल	-	1	2	100.00
	एडीएचपीएल	-	1	2	192.00
	जेपीवीएल	-	3	11	1700.00
	टाटा हाइड्रो	-	4	15	447.00
	डीएलएचपी	-	1	1	34.00
	जीआईपीएल	-	1	2	99.00
	एलबीएचपीपीएल	-	1	2	70.00
	निजी का उप-जोड	-	13	37	2728.00
	अखिल भारत	-	188	655	40730.08
	उत्तरी क्षेत्र				
	बीबीएमबी				
1	भाखड़ा - एल	5*108	1	5	540.00
2	भाखड़ा - आर	5*157	1	5	785.00
3	गंगुवाल	1*29.25+2*24.2	1	3	77.65
4	कोटला	1*29.25+2*24.2	1	3	77.65
5	देहार	6*165	1	6	990.00
6	पोंग	6*66	1	6	396.00
	बीबीएमबी कुल		6	28	2866.30
	एनएचपीसी				
1	बैरा सियुल	3*60	1	3	180.00
2	सलल-I	3*115	1	3	345.00
3	सलल- II	3*115	1	3	345.00
4	टनकपुर	3*31.4	1	3	94.20
5	चमेरा-I	3*180	1	3	540.00
6	चमेरा-II	3*100	1	3	300.00
7	चमेरा-III	3*77	1	3	231.00
8	उरी	4*120	1	4	480.00
9	उरी II	4*60	1	4	240.00
10	धौलीगंगा	4*70	1	4	280.00
11	दुलहस्ती	3*130	1	3	390.00
12	सेवा-II	3*40	1	3	120.00
13	निम्मो बाजगो	3*15	1	3	45.00
14	चूटक	4*11	1	4	44.00
15	पारबती III	4*130	1	4	520.00
	एनएचपीसी (एनआर) कुल		15	50	4154.20
	एसजेवीएनएल				
1	नाथपा झाकरी	6*250	1	6	1500.00
2	रामपुर	4*68.67	1	4	274.68
	एसजेवीएन कुल		2	10	1774.68
	टीएचडीसी				
1	टिहरी	4*250	1	4	1000.00
2	कोटेश्वर	4*100	1	4	400.00
	टीएचडीसी (एनआर) कुल		2	8	1400.00
	केंद्रीय कुल		25	96	10195.18
	हिमाचल प्रदेश				
	एचपीएसईबीएल				
1	गिरी बाटा	2*30	1	2	60.00
2	बस्सी	4*15	1	4	60.00
3	संजय	3*40	1	3	120.00
4	लरजी	3*42	1	3	126.00

	एचपेसईबीएल कुल		4	12	366.00
	मलाना पावर कंपनी लिमिटेड (प्रा.)				
1	मलाना	2*43	1	2	86.00
	एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड (ईपीपीएल)				
1	मलाना-II	2*50	1	2	100.00
	जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (प्रा.)				
1	करचम वांगटू	4*250	1	4	1000.00
2	बासपा-II (प्रा.)	3*100	1	3	300.00
	जेपीवीएल (एचपी) कुल		2	7	1300.00
	अलैन दुहागान हाइड्रो पावर लि. (प्रा.)				
1	अलैन दुहागान (प्रा.)	2*96	1	2	192.00
	लैंको ग्रीन पावर प्रोजेक्ट लि. (प्रा.)				
1	बुधहिल (प्रा.)	2*35	1	2	70.00
	निजी कुल		6	15	1748.00
	एचपी कुल		10	27	2114.00
	जम्मू एवं कश्मीर				
	जेकेएसपीडीसी				
1	लोअर झेलम	3*35	1	3	105.00
2	अपर सिंध - II	3*35	1	3	105.00
3	बगलिहार	3*150	1	3	450.00
	जेकेएसपीडीसी कुल		3	9	660.00
	पंजाब				
	पीएसपीसीएल				
1	शानन	4*15+1*50	1	5	110.00
2	मुकेरियन स्टेज-I फेज-I	3*15	1	3	45.00
3	मुकेरियन स्टेज-I फेज-II	3*15	1	3	45.00
4	मुकेरियन स्टेज-I फेज-III	3*19.5	1	3	58.50
5	मुकेरियन स्टेज-I फेज-IV	3*19.5	1	3	58.50
6	ए.पी. साहिब स्टेज-I	2*33.5	1	2	67.00
7	ए.पी. साहिब स्टेज-II	2*33.5	1	2	67.00
8	रंजित सागर डैम	4*150	1	4	600.00
	पीएसपीसीएल कुल		8	25	1051.00
	राजस्थान				
	आरआरजेवीयूएनएल				
1	आर.पी. सागर	4*43	1	4	172.00
2	जे. सागर	3*33	1	3	99.00
3	माहीबजजा- I	2*25	1	2	50.00
4	माहीबजाज - II	2*45	1	2	90.00
	आरआरजेवीयूएनएल कुल		4	11	411.00
	उत्तर प्रदेश				
	यूपीजेवीएनएल				
1	रिहंद	6*50	1	6	300.00
2	ओबरा	3*33	1	3	99.00
3	माताटीला	3*10.2	1	3	30.60
4	खारा	3*24	1	3	72.00
	यूपीजेवीएनएल कुल		4	15	501.60
	उत्तराखण्ड				
	यूजेवीएनएल				
1	धकरानी	3*11.25	1	3	33.75
2	धालीपुर	3*17	1	3	51.00
3	कुलहल	3*10	1	3	30.00

4	चिबरो	4*60	1	4	240.00
5	खोद्री	4*30	1	4	120.00
6	रामगंगा	3*66	1	3	198.00
7	चिल्ला	4*36	1	4	144.00
8	मनेरीभाली (थिलोट) स्टेज-I	3*30	1	3	90.00
9	मनेरीभाली स्टेज-II	4*76	1	4	304.00
10	खटीमा	3*13.8	1	3	41.40
	यूजेवीएनएल कुल		10	34	1252.15
	जयप्रकाश पावर वेंचर लि. (प्रा.)				
1	विष्णुप्रयाग	4*100	1	4	400.00
	जेपीवीएल कुल		1	4	400.00
	उत्तराखण्ड कुल		11	38	1652.15
	उत्तरी क्षेत्र कुल		65	221	16584.93
	पश्चिमी क्षेत्र				
	गुजरात				
	जेएसईसीएल				
1	उकई	4*75	1	4	300.00
2	कडाना (पीएसएस)	4*60	1	4	240.00
	जीएसईसीएल कुल		2	8	540.00
	एसएसएनएनएल				
1	सरदार सरोवर - सीएचपीएस	5*50	1	5	250.00
2	सरदार सरोवर - आरबीपीएच	6*200	1	6	1200.00
	एसएसएनएनएल कुल		2	11	1450.00
	गुजरात कुल		4	19	1990.00
	मध्य प्रदेश				
	केंद्रीय/संयुक्त				
	एनएचडीसी				
1	इंदिरा सागर	8*125	1	8	1000.00
2	ओंकारेश्वर	8*65	1	8	520.00
	एनएचडीसी कुल		2	16	1520.00
	एमपीपीजीसीएल				
1	गांधी सागर	5*23	1	5	115.00
2	बारगी	2*45	1	2	90.00
3	पेंच	2*80	1	2	160.00
4	बान सागर टोन्स - I	3*105	1	3	315.00
5	बान सागर टोन्स-II	2*15	1	2	30.00
6	बान सागर टोन्स-III	3*20	1	3	60.00
7	राजघाट	3*15	1	3	45.00
8	मधिखेरा	3*20	1	3	60.00
	एमपीपीजीसीएल कुल		8	23	875.00
	मध्य प्रदेश कुल		10	39	2395.00
	छत्तीसगढ़				
	सीएसपीजीसी				
1	हंसडियो बांगो	3*40	1	3	120.00
	सीएसपीजीसी कुल		1	3	120.00
	महाराष्ट्र				
	महाजँको				
1	कोयना I व II	4*70+4*80	1	8	600.00
2	कोयना III	4*80	1	4	320.00
3	कोयना IV	4*250	1	4	1000.00
4	कोयना डीपीएच	2*18	1	2	36.00

5	वैतरणा	1*60	1	1	60.00
6	बीरा टेल रेस	2*40	1	2	80.00
7	तिल्लारी	1*60	1	1	60.00
8	घाटघर पीएसएस	2*125	1	2	250.00
	महाराजको उप-जोड़		8	24	2406.00
	टाटा पावर कंपनी				
1	भीरा	6*25	1	6	150.00
2	भिवपुरी	3*24+2*1.5	1	5	75.00
3	खोपोली	3*24	1	3	72.00
4	भीरा पीएसएस	1*150	1	1	150.00
	टाटा हाइड्रो उप-जोड़		4	15	447.00
	डोडसन-लिडबलम हाइड्रो पावर प्रा. लि. (डीएलएचपी)				
1	बंधरधारा - II	1*34	1	1	34.00
	डीएलएचपी कुल		1	1	34.00
	महाराष्ट्र कुल		13	40	2887.00
	पश्चिमी क्षेत्र कुल		28	101	7392.00
	दक्षिणी क्षेत्र				
	एपजेनको				
	आंध्र प्रदेश				
1	मुचकुंड	3*17+3*21.25	1	6	114.75
2	अपर सिलेरू स्टेज-I	2*60	1	2	120.00
3	अपर सिलेरू स्टेज-II	2*60	1	2	120.00
4	टी.बी. डैम	4*9	1	4	36.00
5	हम्पी	4*9	1	4	36.00
6	श्रीसैलम	7*110	1	7	770.00
7	एन.जे. सागर आरबीसी	2*30	1	2	60.00
8	एन.जे. सागर आरबीसी एक्सटें.	1*30	1	1	30.00
	आंध्र प्रदेश कुल		8	28	1286.75
	तेलंगाना				
9	एन.जे. सागर	1*110+7*100.8	1	8	815.60
10	लोअर सिलेरू	4*115	1	4	460.00
11	एन.जे. सागर एलबीसी	2*30	1	2	60.00
12	पोचामपड	3*9	1	3	27.00
13	श्रीसैलम एलबीपीएच	6*150	1	6	900.00
14	प्रियदर्शिनी जुराला	6*39	1	6	234.00
	तेलंगाना कुल		6	29	2496.60
	एपजेनको कुल		14	57	3783.35
	कर्नाटक				
	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.				
1	शारावथी	10*103.5	1	10	1035.00
2	लिंगामक्की	2*27.5	1	2	55.00
3	भद्रा	1*2+2*12+1.7.20+1*6	1	5	39.20
4	कालिंदी	3*135+3*150	1	6	855.00
5	सूपा डीपीएच	2*50	1	2	100.00
6	वराही	2*115	1	4	460.00
7	घाटप्रभा	2*16	1	2	32.00
8	कद्रा	3*50	1	3	150.00
9	कोडासली	3*40	1	3	120.00
10	शारावथी टेल रेस	4*60	1	4	240.00
11	अलमट्टी डैम	1*15+5*55	1	6	290.00
12	जोग	4*13.2+4*21.6	1	8	139.20

13	शिवसमुद्रम	6*3+4*6	1	10	42.00
14	मुनीराबाद	2*9+1*10	1	3	28.00
	केपीसीएल कुल		14	68	3585.40
	कर्नाटक कुल		14	68	3585.40
	केरल				
	केएसईबी				
1	इदुक्की	6*130	1	6	780.00
2	साबरीगिरी	6*50	1	6	300.00
3	कुट्टियाडी	3*25+1*50	1	4	125.00
4	कुट्टियाडी एडिशनल एक्सटें.	2*50	1	2	100.00
5	शोलायर	3*18	1	3	54.00
6	संगुलम	4*12	1	4	48.00
7	नारीमंगलम	3*15+1*25	1	4	70.00
8	पल्लीवसल	3*5+3*7.5	1	6	37.50
9	पोरिंगल कुट्टु	4*8	1	4	32.00
10	पेनियार	2*15	1	2	30.00
11	इदमलायर	2*37.5	1	2	75.00
12	लोअर पेरियार	3*60	1	3	180.00
13	कक्कड़	2*25	1	2	50.00
	केएसईबी कुल		13	48	1881.50
	केरल कुल		13	48	1881.50
	तमिलनाडु				
	टान्जेडको				
1	कुंडहा- I	3*20	1	3	60.00
2	कुंडहा- II	5*35	1	5	175.00
3	कुंडहा - III	3*60	1	3	180.00
4	कुंडहा - IV	2*50	1	2	100.00
5	कुंडहा- V	2*20	1	2	40.00
6	पार्सन्स वैली (के- VI)	1*30	1	1	30.00
7	मेडूर डैम	4*12.5	1	4	50.00
8	मेडूर टनल	4*50	1	4	200.00
9	पेरियार	4*35	1	4	140.00
10	कोडायर- I	1*60	1	1	60.00
11	कोडायर- II	1*40	1	1	40.00
12	शोलायर- I व II	2*35+1*25	1	3	95.00
13	पाइकारा	3*7+1*11+2*13.6	1	6	59.20
14	अलियार	1*60	1	1	60.00
15	सरकरापथी	1*30	1	1	30.00
16	पापनासम	4*8	1	4	32.00
17	मोयार	3*12	1	3	36.00
18	सुरुलियार	1*35	1	1	35.00
19	एल. मेट. फेज-1	2*15	1	2	30.00
20	एल. मेट. फेज-2	2*15	1	2	30.00
21	एल. मेट. फेज-3	2*15	1	2	30.00
22	एल. मेट. फेज-4	2*15	1	2	30.00
23	कदमपराई	4*100	1	4	400.00
24	पाइकारा अल्टीमेट	3*50	1	3	150.00
25	भवानी बैराज - I	2*15	1	2	30.00
26	भवानी बैराज - II	2*15	1	2	30.00
27	भवानी बैराज - III	2*15	1	2	30.00
	टान्जेडको कुल		27	70	2182.20

	दक्षिणी क्षेत्र कुल		68	243	11432.45
	पूर्वी क्षेत्र				
	झारखण्ड				
	जेएसईबी				
1	सुबर्णरेखा - I	1*65	1	1	65.00
2	सुबर्णरेखा - II	1*65	1	1	65.00
	जेएसईबी कुल		2	2	130.00
	डीवीसी				
1	मैथॉन	2*20+1*23.2	1	3	63.20
2	पंचेट	2*40	1	2	80.00
	डीवीसी कुल		2	5	143.20
	ओडिशा				
	ओएचपीसी				
1	हीराकुड - I (बुरला)	2*49.5+2*32+3*37.5	1	7	275.50
2	हीराकुड - II (चिपलिमा)	3*24	1	3	72.00
3	बालीमेला	6*60+2*75	1	8	510.00
4	रंगाली	5*50	1	5	250.00
5	अपर कोलाब	4*80	1	4	320.00
6	अपर इंद्रावती	4*150	1	4	600.00
	ओएचपीसी कुल		6	31	2027.50
	पश्चिम बंगाल				
	एनएचपीसी				
1	तीस्ता लो डैम III	4*33	1	4	132.00
	एनएचपीसी कुल		1	4	132.00
	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल				
1	जलढाका - I	3*9	1	3	27.00
2	रम्भाम-II	4*12.5	1	4	50.00
3	पुरुलिया पीएसएस	4*225	1	4	900.00
	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल कुल		3	11	977.00
	सिक्किम				
	गाटी इंफ्रा. प्रा. लि.				
1	चूजाचेन	2*49.5	1	2	99.00
	एनएचपीसी कुल		1	2	99.00
	एनएचपीसी				
1	रंगित-III	3*20	1	3	60.00
2	तीस्ता	3*170	1	3	510.00
	कुल एनएचपीसी		2	6	570.00
	पूर्वी क्षेत्र कुल		17	61	4078.70
	पूर्वोत्तर क्षेत्र				
	असम				
	एपीजीसीएल				
1	करबी लंगपी	2*50	1	2	100.00
	मेघालय				
	एमईईसीएल				
1	किरदमकुलई	2*30	1	2	60.00
2	उमियम स्टेज-I	4*9	1	4	36.00
3	उमियम स्टेज- IV	2*30	1	2	60.00
4	मिंटडू स्टेज-I	3*42	1	3	126.00
	एमईईसीएल कुल		4	11	282.00
	नीपको				
1	खांडोंग	3*25	1	3	50.00

2	कोपिली	4*50	1	4	225.00
3	दोयांग	3*25	1	3	75.00
4	रंगानदी	3*135	1	3	405.00
	नीपको कुल		4	13	755.00
	एनएचपीसी (एनईआर)				
1	लोकटक	3*35	1	3	105.00
	एनएचपीसी (एनईआर) उप-जोड़		1	3	105.00
	केंद्रीय (एनईआर) उप-जोड़		5	16	860.00
	एनईआर कुल		10	29	1242.00
	अखिल भारत कुल		188	655	40730.08

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2207 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सीईए में परीक्षाधीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीमें

क्रम सं.	स्कीम	राज्य	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	सेली	एचपी	निजी	400
2	डगमारा	बिहार	राज्य	130
3	छतरू	एचपी	निजी	126
4	डेम्वे अपर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1080
5	किरू	जे एण्ड के	राज्य (जेवी)	660
6	जेलम टमक	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	108
7	बोवाला नंद प्रयाग	उत्तराखण्ड	राज्य	300
8	सच खास	एचपी	निजी	267
9	न्यूकचरॉंग छू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	96
10	किंशी-1	मेघालय	निजी	270
11	लूहरी	एचपी	केंद्रीय	601
12	किरथई-1	जे एण्ड के	राज्य	390
13	लोअर कोपली	असम	राज्य	120
14	उमनगोट	मेघालय	राज्य	240
15	टाटो-1	अरुणाचल प्रदेश	निजी	186
16	हियो	अरुणाचल प्रदेश	निजी	240
17	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1800
18	स्वालकोट	जे एण्ड के	राज्य	1856
19	क्वार	जे एण्ड के	राज्य	560
	कुल			9430

अनुबंध-V

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2207 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

उन हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीमों जिन्हें पुनः प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्राधिकारी को वापिस कर दिया गया, का ब्यौरा (वर्ष 2002-03 एवं इसके आगे)

क्रम सं.	स्कीम	राज्य	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	किरथई-II	जे एण्ड के	राज्य	990
2	भैरो घाटी राज्य	उत्तराखण्ड	राज्य	381
3	मोरी हनोल	उत्तराखण्ड	निजी	63
4	बोगुडियार सिरकारी भ्योल	उत्तराखण्ड	निजी	146
5	टियून प्लसू	उत्तराखण्ड	राज्य	72
6	नन्द प्रयाग लंगासू	उत्तराखण्ड	राज्य	100
7	एकीकृत कशांग स्टेज-I	हिमाचल प्रदेश	राज्य	130
8	बारा भंगल	हिमाचल प्रदेश	निजी	200
9	सोन	मध्य प्रदेश	राज्य	100
10	शिवसमुद्रम	कर्नाटक	राज्य	345
11	महादाई	कर्नाटक	राज्य	320
12	कुंडहा	तमिलनाडु	राज्य	500
13	डुम्मूगुडम	आंध्र प्रदेश	राज्य	320
14	तीस्ता स्टेज-II	सिक्किम	निजी	480
15	लेथांग एचईपी	सिक्किम	निजी	96
16	करबी लंगपी	असम	राज्य	60
17	रंगानदी स्टेज-II	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	130
18	यामने स्टेज-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	84
19	हुटोंग-II एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1200
20	कलाई-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1352
21	पेमाशेल्फू एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	90
22	सिस्सिरी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	100
23	जिमलियांग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	80
24	रेगम	अरुणाचल प्रदेश	निजी	141
22	कंगटांग श्री	अरुणाचल प्रदेश	निजी	80
26	टगरूशिट	अरुणाचल प्रदेश	निजी	74
27	मोगोचू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	96
	कुल			7730

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2207 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

12वीं योजना और उसके बाद के लिए निष्पादन के अधीन जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति
(25 मेगावाट से अधिक)

(30.6.14 के अनुसार)

क्रम सं.	परियोजना का नाम निष्पादन एजेंसी सीईए की स्वीकृति/अनुमोदन की तिथि क्षमता (मेगावाट) विस्तृत नवीनतम लागत (मूल/अद्यतन)	राज्य चालू होने की तिथि (मूल/अब अनुमानित)	विस्तृत वर्तमान स्थिति
क.	12वीं योजना के दौरान निष्पादन के अधीन लाभों के जल विद्युत क्षमता		
	केन्द्रीय क्षेत्र		
1	किशनगंगा एनएचपीसी 14.01.2009 3x110 = 330 मेगावाट विस्तृत फीचर: बांध - 77 मीटर ऊंचा, कंक्रीट ग्रेविटी एचआरटी- 5.3मीटर x 24 कि.मी.लंबी एस.शाफ्ट -15मीटर डाय. x 127मी. ऊंचा पावर हाउस- अंडरग्राउंड 103मीटरx 21मीटरx 45.5मीटर टरबाइन- पेल्टन व्हील स्विचयार्ड- 220 केवी लागत: मूल:3642.04 नवीनतम : 3642.04	जम्मू एवं कश्मीर 2015-16 2016-17	डाइवर्जन कार्य- नदी का डाइवर्जन 21.6.2012 को पूरा हुआ। बांध एवं इंटेक कार्य:बांये किनारे की खुदाई (295000 घन मीटर) पूरा हुआ एचआरटी: टीबीएम/डीबीएम द्वारा खुदाई कार्य पूरा। 8410 में से डीबीएम हस्सि के 564 मीटर की लाइनिंग पूरी हुई। सर्ज शाफ्ट: ऊपर (99.5मीटर) से गहराई तक खुदाई कार्य पूर्ण दाब शाफ्ट: अपर लिंब स्लेसिंग- पूरा (233मीटर). लोअर लिंब-स्लेसिंग कार्य प्रगति पर। पावर हाउस: खुदाई कार्य पूरा एवं 7500 घन मीटर में से 4205 घन मीटर कंक्रीट कार्य पूर्ण। टीआरटी खुदाई : पूर्ण
2	पार्वती-II एनएचपीसी 11.09.2002 4x200 = 800 मेगावाट ब्रोड फीचर्स : बांध- 85मी. ऊंचा, 109. मी. लंबा शिखर तक, कंक्रीट ग्रेविटी टाइप एचआरटी- 6मी. x 31.23कि.मी. पावर हाउस- सरफेस 23.5मी. x 39.7मी. x 123मी.. टरबाइन- पेल्टन स्विचयार्ड- 13.8/400 केवी लागत: मूल:3919.59 नवीनतम : 5365.70	हिमाचल प्रदेश 2009-10 2016-17 (आगे बढ़ने की संभावना)	बांध एवं इंटेक संरचना- कंक्रीटिंग (206958 घन मीटर) कार्य पूर्ण। हेड रेस टनल- 31525 मीटर में से 26615 मीटर खुदाई कार्य पूर्ण। कुल ओवर्ट लाइनिंग: 31525 मीटर में से 17,550 मीटर पूर्ण। पावर हाउस: 65,416 क्यूमेक में से 60,936 घन मीटर कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण. जीवा नल्लाह फीडर टनल: 4560 मीटर में से 3997 मीटर खुदाई कार्य पूर्ण। 4560मीटर में से 600 मीटर कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण। ई एंड एम कार्य : एक 200 एमटी क्रेन का इरेक्शन, परीक्षण एवं कमीशनिंग कार्य पूर्ण। दूसरा 200 टी ईओटी क्रेन का इरेक्शन कार्य पूर्ण एवं कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है। यूनिट # 1: जेनरेटर बैरल कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है। रोटर का एसेम्बलिंग कार्य पूर्ण एवं सर्विस बे में स्टेटर बिल्ट इन अप का कार्य प्रगति पर है। यूनिट # 2: सर्विस बे में रोटर असेम्बली कार्य प्रगति पर है। एचएम कार्य: दाब शाफ्ट में फेरुल्स का इरेक्शन कार्य पूर्ण। रेडियल गेट का इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।
3	कोल डैम एनटीपीसी 30.6.2002/अक्टूबर, 2002	हिमाचल प्रदेश 2008-10	19-12-2013 से रिजर्वीयर भरने का कार्य प्रारंभ, तथापि डाइवर्जन टनल में रिसाव के कारण रिजर्वीयर को खाली किया गया। सुधार के उपाय किए गए और मार्च/अप्रैल, 2014 में 30 दिनों के लिए ईएल 560 मीटर तक रिजर्वीयर को पुनः

	<p>4x200 = 800 मेगावाट ब्रोड फीचर्स: बांध - 163मी. ऊंचा, रोक एवं ग्रेवल फिल पेनस्टॉक टनल: 4, 6.45मी. डाय., 1600मी. लंबा पावर हाउस- सरफेस टरबाइन- वी. फेंचाइस लागत: मूल: 4527.15 अद्यतन: 6358.91</p>	<p>2015-16 (सर्वश्रेष्ठ प्रयास 2014-15: 400 मेगावाट)</p>	<p>भरा गया एवं रिजर्वीयर इंपीट किया गया। एमडीडीएल/एफआरएल तक रिजर्वीयर को पुनः अक्टूबर, 2014 में भरा जाएगा। एमडीडीएल स्तर तक पहुंचने में 245 दिन लगेंगे और एफआरएल स्तर तक पहुंचने में 315 दिन लगेंगे।</p>
4	<p>रामपुर एसजेवीएनएल 16.12.2005/25.01.07 6x68.67 = 412 मेगावाट ब्रोड फीचर्स: एचआरटी-10.5मी. x 15.08कि.मी. एस.शाफ्ट- 38मी. x 149मी. पंप हाउस- सरफेस टरबाइन- फ्रेंचाइज स्विचयार्ड - 400 केवी लागत: मूल: 2047.03 अद्यतन: 2047.03</p>	<p>हिमाचल प्रदेश 2011-12 2013-15</p>	<p>यूनिट # 1 :- 23.03.2014 को कमीशन किया गया। यूनिट # 2 :- 21.05.2014 कमीशन किया गया। यूनिट # 5 :- 29.03.2014 कमीशन किया गया। यूनिट # 3:- बॉक्स अप यूनिट # 4 :- 12.06.2014 कमीशन किया गया। यूनिट # 6 :- बॉक्स अप</p>
5	<p>तपोवन विष्णुगढ एनटीपीसी 11.08.2004/नवंबर, 2006 4x130 = 520 मेगावाट ब्रोड फीचर्स: बैराज-12मी. की 5 बेज एचआरटी- 5.4मी. x 11.97कि.मी. पावर हाउस- भूमिगत टरबाइन- वी. पेलटन लागत: मूल: 2978.48 अद्यतन: 3846.30</p>	<p>उत्तराखंड 2011-12 2016-17 (आगे बढ़ने की संभावना)</p>	<p>नदी डाइवर्जन 13.04.2013 को पूर्ण। बैराज: पहले ही खुदाई कार्य पूर्ण और राफ्ट कंक्रिटिंग का कार्य प्रगति पर है। एचआरटी: 13370 मी. में से 9087 मी. खुदाई कार्य पूर्ण, खड्ड के कारण टीबीएम फंस गया (8.8कि.मी. में से 3.4कि.मी. शेष) पीएच केबर्न : खुदाई कार्य पूर्ण। डिसिल्टिंग चैम्बर एवं इंटेक: 1.87 लाख मी.³ में से 68175 मी.³ खुदाई कार्य पूर्ण। टीआरटी: खुदाई कार्य पूर्ण। सर्ज शाफ्ट : पूर्ण चौड़ीकरण कार्य पूर्ण। 152.3 क्यूमेक में से 81.2 क्यूमेक लाइनिंग कार्य पूर्ण। पेनस्टॉक : खुदाई कार्य पूर्ण। ई एंड एम कार्य: सर्विस बे में ईओटी क्रेन का इरेक्शन कार्य पूर्ण। सभी चार यूनिटों पर पिट लाइनर इरेक्शन कार्य पूर्ण। यूनिट#1 के लिए स्टेटर एवं रोटर असेम्बली कार्य प्रगति पर है और अचानक बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ है।</p>
6	<p>तीस्ता लो डैम-IV एनएचपीसी 30.09.2005 4x40 = 160 मेगावाट ब्रोड फीचर्स: बांध - 45मी. ऊंचा, 511मी. लंबा, कंक्रिट ग्रेविटी पावर हाउस- सरफेस 130मी. x 24मी. x 63मी. टरबाइन- कैपलान स्विचयार्ड- 11/220 केवी लागत: मूल: 1061.38</p>	<p>पश्चिम बंगाल 2009-10 2015-16 (सर्वश्रेष्ठ प्रयास 2014-15: 40 मेगावाट)</p>	<p>सिविल कार्य: पावर हाउस: 1,33,751 घन मीटर में से 1,21,903 घन मीटर कंक्रिटिंग कार्य पूर्ण। पेनस्टॉक के आसपास कंक्रिटिंग कार्य : 12000 घन मीटर में से 5654 क्यूमेक कार्य पूर्ण। पावर बांध एवं इंटेक अवसंरचना (उच्च स्तर तक): 70000 घन मीटर में से 55507 क्यूमेक कंक्रिटिंग कार्य पूर्ण। आरसीसी कंक्रिटिंग : 1,67,780 घन मीटर में से 51700 घन मीटर कार्य पूर्ण। ई एंड एम कार्य: सर्विस बे में ईओटी क्रेन का इरेक्शन कार्य पूर्ण। सभी यूनिटों के स्पाइरल केस का इरेक्शन कार्य पूर्ण। यूनिट#1: बॉक्स अप. यूनिट#2: टरबाइन एसेम्बली का कार्य प्रगति पर है। सर्विस बे में रोटर एसेम्बली, रनर हब, टरबाइन शाफ्ट एवं इनर टॉप कवर एसेम्बली का कार्य</p>

	नवीनतम : 1502.00		प्रगति पर है, इसके अतिरिक्त पिट में शेष कार्य प्रगति पर है। एचएम कार्य: रेडियल गेट का 91.7% इरेक्शन कार्य पूर्ण। पेनस्टॉक लाइनर का इरेक्शन कार्य पूर्ण। इंटेक गेट का 78% इरेक्शन कार्य पूर्ण। सिल्ट एक्सक्लूडर गेट का 77% इरेक्शन कार्य पूर्ण। स्पिलवे स्टोपलोग गेट का 77% इरेक्शन कार्य पूर्ण। इंटेक स्टोपलोग गेट का 59.5% इरेक्शन कार्य पूर्ण।
7	<p>सुबानसिरी लोअर एनएचपीसी 09.09.2003 8x250= 2000 मेगावाट</p> <p>ब्रोड फीचर्स: बांध -116मी. ऊंचा, कंक्रीट ग्रेविटी एचआरटी- 8 x 9.5मी. x 1145मी. पावर हाउस- सरफेस टरबाइन- फ्रेंचाइज स्विचयार्ड- 16/400 केवी लागत: मूल: 6285.33 नवीनतम: 10667.00</p>	<p>अरुणाचल प्रदेश असम 2010-11 2016-18 (आगे बढ़ने की संभावना)</p>	<p>बांध: खुदाई- 173000 घन मीटर में से 169441 घन मीटर कार्य पूर्ण। कंक्रीटिंग: 1823782 घन मीटर में से 575426 घन मीटर कार्य पूर्ण। इंटेक अवसंरचना : 279454 घन मीटर में से 261377 घन मीटर कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण। हेड रेस टनल (I-VIII): 7124मी. में से 7050 मी. हेडिंग खुदाई कार्य पूर्ण। 7124 मी. में से 4279 मी. बैंचिंग खुदाई पूर्ण। 7124 मी. में से 3199 मी. कंक्रीट ओवर लाइनिंग कार्य पूर्ण। सर्ज टनल (8): 3545 मी. में से 3109 मी. हेडिंग खुदाई कार्य पूर्ण। दाब शाफ्ट- लंबवत दाब शाफ्ट स्लेसिंग: 384 मी. में से 199 मी. खुदाई कार्य पूर्ण। सरफेस पावर हाउस: कंक्रीटिंग: 302600 क्यूमेक में से 124887 घन मीटर कार्य पूर्ण। ई एंड एम कार्य: यूनिट #1: एलबो इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है और टरबाइन स्टेरिंग तथा स्परल केस इरेक्शन कार्य पूर्ण। यूनिट #2: एलबो इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है और टरबाइन स्टेरिंग तथा स्परल केस इरेक्शन कार्य पूर्ण। एचएम कार्य : डाइवर्जन टनल गेट का इरेक्शन कार्य 23% पूर्ण। इंटेक-5 का इरेक्शन कार्य: 2% पूर्ण। इंटेक-7 एवं 8 का इरेक्शन कार्य - प्रत्येक का 20% कार्य पूर्ण। कुल 1594 मी. में से 201 मी. दाब शाफ्ट स्टील लाइनर का इरेक्शन कार्य पूर्ण। सुबानसिरी लोअर एचईपी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बांध विरोधी लोगों द्वारा किए गए विरोध के कारण कार्य रोक दिया गया। 16.12.2011 से कार्य रोक दिया गया है। इस संबंध में 6.12.2013 को एक त्रिपक्षीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एएएसयू (ऑल असम स्टूडेंट यूनियन) और भारत सरकार एवं एनएचपीसी के विशेषज्ञों के अनुरोध पर गठित विशेषज्ञ समूह के बीच 23.12.2013 को बातचीत की गई। असम और भारत सरकार के विशेषज्ञ समूह के बीच अंतिम बैठक 2.6.2014 को गुवाहटी में आयोजित की गई। बैठक के दौरान फाउंडेशन कंपीटेंशी, प्रचालन स्टेज के दौरान डाउन स्ट्रीम प्रभाव और बांध की ऊंचाई को कम करने की व्यवहार्यता पर विस्तार से चर्चा की गई थी। विशेषज्ञ समूहों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का स्पष्टीकरण भारत सरकार/ एनएचपीसी के विशेषज्ञों द्वारा दिया गया था। सभी तकनीकी मामलों के अंतिम समाधान के लिए परियोजना पर एक सेमिनार जुलाई, 2014 में आयोजित करने की संभावना है।</p>
8	<p>कामेंग नीपको 02 12 2004 4x150 = 600 मेगावाट ब्रोड फीचर्स: बांध :बिचोम-75मी. ऊंचा, 247.3मी. लंबा टेंगा - 25.0 ऊंचा, 103मी. लंबा एचआरटी- 6.7मी. डाय., 14.477कि.मी..</p>	<p>अरुणाचल प्रदेश 2009-10 2016-17 (आगे बढ़ने की संभावना)</p>	<p>बिचोम बांध: 760801/78000 क्यूमेक खुदाई कार्य और 93940/357490 घन मीटर कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण। टेंगा बांध: 125615/135000 घन मीटर खुदाई कार्य 52010/92850 क्यूमेक कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण। एचआरटी: खुदाई: 13324/14479.50 आरएम पूर्ण। सर्ज शाफ्ट : खुली खुदाई एवं बोरिंग कार्य पूर्ण, सर्ज शाफ्ट एवं ओरिफाइस कंक्रीट लाइनिंग : 62.8/71.35 आरएम पूर्ण। एचपीटी: लंबवत एवं क्षैतिज हिस्सों का बोरिंग कार्य पूर्ण तथा वाल्व हाउस सहित</p>

	<p>ऊंचा दाब टनल (एचपीटी) कुल लंबाई 3.64 कि.मी. सर्ज शाफ्ट : 25मी. डाय., 70मी. ऊंचा पंप हाउस- सेमी-यू/जी टरबाइन- फ्रेंचाइज</p> <p>लागत: मूल: 2496.90 अद्यतन: 4653.95</p>		<p>सरफेस पेनस्टॉक की खुली खदाई 418136/462504 क्यूमेक पूर्ण।</p> <p>पावर हाउस एवं टेल रेस : खुदाई कार्य पूर्ण। 53067/75600 क्यूमेक कंक्रिटिंग कार्य पूर्ण।</p> <p>एचएम कार्य: टेंगा क्रोशिंग सहित फेब्रीकेशन - 82%, इरेक्शन - 35% पूर्ण।</p> <p>इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्य:</p> <p>यूनिट# I, II, III एवं IV के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का इरेक्शन कार्य पूर्ण। ई एंड एम उपकरणों की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है।</p>
9	<p>पारे नौपको</p> <p>4.12.2008 2x55 = 110 मेगावाट</p> <p>ब्रोड फीचर्स:</p> <p>बांध : 78मी. ऊंचा, कंक्रिट ग्रेविटी स्पिलवे - 3 गेट गेट का आकार: 10.4मी. (चौड़ा)X 12 मी. (लंबा) क्रेस्ट लेवल: 216 मी. एचआरटी: डाय. - 7.5 मी. लंबाई- 2810.75मी. प्रेशर शाफ्ट: डाय.: 6.4 मी. लंबाई: 220मी. बाईफुकेशन पेनस्टॉक डाय.: 4.5 मी. पावर हाउस: सरफेस पी.एच. आकार: 68 मी.X 25मी. टरबाइन के प्रकार: वीएफ टीआरसी: खुली चैनल 60.62 मी. चौड़ा 49मी. लंबा लागत: 573.99 1302.89</p>	<p>अरुणाचल प्रदेश</p> <p>2013-14 2016-17</p>	<p>डाइवर्जन टनल : डीटी कार्य पूर्ण और यू/एस तथा डी/एस कॉफर बांध का निर्माण कार्य पूर्ण।</p> <p>बांध: 398000 क्यूमेक में से 364838 घन मीटर खुदाई कार्य पूर्ण। कंक्रिटिंग कार्य किया जाना शेष है।</p> <p>एचआरटी : बोरिंग कार्य पूर्ण।</p> <p>उच्च दाब टनल: बोरिंग कार्य पूर्ण।</p> <p>सर्ज शाफ्ट : सर्ज शाफ्ट की खुली खुदाई एवं बोरिंग कार्य पूर्ण तथा लाइनिंग कार्य पूर्ण।</p> <p>पावर हाउस: 119406/125000 घन मीटर खुदाई कार्य पूर्ण। 20272/35000 क्यूमेक कंक्रिटिंग कार्य पूर्ण।</p> <p>ई एंड एम कार्य:</p> <p>यूनिट I & II के डीटी लाइनरों का इरेक्शन कार्य पूर्ण। सर्विस बे पर क्रेन गाडर के ऊपर ईओटी क्रेन का मैकेनिकल इरेक्शन कार्य पूर्ण। स्विचयार्ड में सभी उपकरणों का इरेक्शन कार्य पूर्ण।</p> <p>एचएम कार्य:</p> <p>एचआरटी के लिए पेनस्टॉक फेरुल्स का फेब्रीकेशन और ट्रेस रैंक का फेब्रीकेशन कार्य प्रगति पर है।</p> <p>डी/टी इंटेल गेट का इरेक्शन कार्य पूर्ण।</p> <p>डाइवर्जन टनल इंटेल गेट के पहले और दूसरे स्टेज इम्बेडेड की स्थापना का कार्य पूर्ण।</p>
10	<p>तुरियल नौपको</p> <p>संशोधित सीसीईए 14.01.2011 2x30= 60 मेगावाट</p> <p>ब्रोड फीचर्स:</p> <p>बांध: अर्थफिल, लंबाई - 250 मी. चौड़ाई - 75 मी. डाइवर्जन टनल : पार्टली सरक्यूलर तथा पार्टली मोडीफाइड हॉर्स सू डायामीटर डाइवर्टेड कंक्रिट पोर्सन 6 मीटर स्टील लाइनर पोर्सन 6 मीटर, 5.6 मी. & 3.6 मी. पावर टनल: कंक्रिट पोर्सन - 200 मी. स्टील लाइनर पोर्सन - 140मी., 80मी. & 2.30 मी. लागत: 368.72 913.63</p>	<p>मिजोरम</p> <p>2006-07 2016-17</p>	<p>डाइवर्जन टनल (2) : खुदाई एवं लाइनिंग कार्य पूर्ण।</p> <p>मुख्य बांध: 4.30 लाख घन मीटर में से 2.97 लाख घन मीटर खुदाई कार्य पूर्ण एवं 29.13 लाख घन मीटर में से 5.69 लाख घन मीटर भराई कार्य पूर्ण।</p> <p>स्पिलवे: खुदाई कार्य लगभग पूर्ण। 92500 घन मीटर में से 26139 घन मीटर कंक्रिटिंग कार्य पूर्ण।</p> <p>पावर हाउस एवं स्विचयार्ड: खुदाई कार्य लगभग पूर्ण।</p> <p>स्टील लाइनर का फेब्रीकेशन - 1471 एमटी में से 1007 एमटी पूर्ण।</p>
	राज्य क्षेत्र		
11	<p>बगलीहार-II जेकेपीडीसी</p>	<p>जम्मू एवं कश्मीर</p>	<p>बगलीहार-II जल विद्युत परियोजना को बगलीहार-I जल विद्युत परियोजना के साथ प्रारंभ किया गया था। बांध और एचआरटी के कुछ हिस्सों से संबंधित कार्य</p>

	<p>3x150= 450 मेगावाट ब्रॉड फीचर्स: एचआरटी - 10.15 मी. डाय. सरक्यूलर एवं 1888.8 मी. long सर्ज शाफ्ट : 27.5 मी. डाय. एवं 97.5 मी. ऊंचा रेस्ट्रिक्टेड ओरीफाइस टाइप पावर हाउस: अंडरग्राउंड टीआरटी: डी-10.05 मी. एल-342.6 मी. लागत: मूल: 2113.09 अद्यतन: 2113.09</p>	<p>2014-15 2016-17</p>	<p>बगलीहार चरण-I परियोजना के साथ पूरा किया गया था। एचआरटी: खुदाई कार्य पूर्ण। 1888मी. में से 1878मी. ओवर्ट लाइनिंग कार्य और इनवर्ट लाइनिंग कार्य पूर्ण। सर्ज शाफ्ट : खुदाई कार्य पूर्ण। पेनस्टॉक : 2355 मी. में से 1699 मी. इरेक्शन कार्य पूर्ण। पीएच: खुदाई कार्य पूर्ण। कंक्रीटिंग लाइनिंग प्रक्रियाधीन है। टीआरटी: 209 मी. में से 39% ओवर्ट कंक्रीटिंग पूर्ण। यूनिट इरेक्शन: सभी तीन यूनिटों के लिए ड्राफ्ट ट्यूब पिट लाइनर का कार्य प्रगति पर है।</p>
<p>12</p> <p>उहल-III ब्यास वैली पावर कारपोरेशन लि.(एचपीएसईबी) 19.09.02 / (टीईसी -2x50 मेगावाट) 3x33.3 =100 मेगावाट (एचपीएसईबी के दिनांक 19.01.07के तहत संशोधितः) ब्रॉड फीचर्स: एचआरटी-4.15मी. x 8.47 कि.मी. एस.शाफ्ट- 13मी. x 57मी. पेनस्टॉक - 3.4मी. x 1860मी. पावर हाउस- सरफेस टरबाइन- V. फ्रैंचाइज लागत: मूल: 431.56 अद्यतन: 431.56</p>	<p>हिमाचल प्रदेश</p> <p>2006-07 2016-17</p>	<p>एचआरटी के लाइनिंग के कार्य को छोड़कर लगभग सभी सिविल कार्य पूरे हो गए हैं। 8015मी. में से 1431मी. एचआरटी का लाइनिंग कार्य पूर्ण। ई एंड एम:- सभी यूनिट्स बॉक्स अप</p>	
<p>13</p> <p>कशांग-I एच.पी. पावर कारपोरेशन लिमिटेड 31.07.08 65 मेगावाट ब्रॉड फीचर्स: एचआरटी-3.5मी. x 4.115, 2 कि.मी. लंबा एस.शाफ्ट- 2.6मी. डाय. एवं 0.5 मी. बैकफिल एवं 1346 मी. लंबा टीआरटी: 335 मी. कंबाइंड 6/4.5 मी. डी. स्ट्रीम लागत: मूल: 1079.81 अद्यतन: 1079.81 (चरण-II एवं III सहित)</p>	<p>हिमाचल प्रदेश</p> <p>2012-13 2016-17</p>	<p>ट्रेंच वेयर: 3978 क्यूमेक में से 3867.5 घन मीटर कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण। एचआरटी: खुदाई कार्य पूर्ण आवर्ट लाइनिंग अधिकांशतः पूरा किया गया एवं 1113 मी. में से 826 मी. इवर्ट लाइनिंग पूरा किया गया। प्रेसर शाफ्ट: वाल्व हाउसटॉप क्षेतिज दाब शाफ्ट का खुदाई कार्य पूरा किया गया। 1346 मी. में से 584 मी. बैकफिल कंक्रीट पूरा किया गया। ई एंड एम कार्य: मिट्टी बिछाने का कार्य प्रगति पर है। मॉडल परीक्षण पूर्ण। पावर हाउस एवं ट्रांसफार्मर हॉल कंक्रीटिंग प्रगति पर है। टीआरटी कंक्रीट लाइनिंग कार्य 335 मी. में से 197 मी. पूर्ण।</p>	
<p>14</p> <p>कशांग-II & III एच.पी. पावर कारपोरेशन लिमिटेड 1x65 + 1x65= 130 मेगावाट</p>	<p>हिमाचल प्रदेश</p> <p>2013-14 2016-17</p>	<p>केरांग-कशांग लिंक (केके लिंक) टनल का कार्य मैसर्स पटले इंजीनियरिंग लिमिटेड को अवाई किया गया। लिप्पा ग्रामीणों द्वारा लगातार अंदोलन के कारण कार्य में विलंब हुआ। मामला न्यायाधीन है।</p>	
<p>15</p> <p>सैंज एच.पी. पावर कारपोरेशन लिमिटेड 100 मेगावाट</p>	<p>एच.पी.</p> <p>2014-15 2016-17</p>	<p>बैराज. 6 बेज में से 2 बेज में कंक्रीटिंग पूरा किया गया एचआरटी : फेस-I में 935 मीटर ओवर लाइनिंग पूरा किया गया है । फेस-II में संपूर्ण बोरिंग पूरी की गई (1170 मीटर) फेस-III। 1903 मीटर बोरिंग में से 1437 मीटर बोरिंग पूरी की गई । लाइनिंग शुरू की जा रही हैं ।</p>	

	<p>29.12.2010 लागत:मूल 725.24 नवीनतम 725.24</p>		<p>पावर हाउस उत्खनन के लिए मेन एससे टनल पूरी की गई पावर हाउस : उत्खनन पूरा किया गया कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है ईएण्डएम कार्य : मेटेरियल बिछाना - 10108 मीटर में से 7616 मीटर पूरा कर लिया गया । टीआरटी :उत्खनन और कंक्रीटिंग कार्य पूरा कर लिया गया है।</p>
16	<p>सावरा कुड्डु एच.पी. पावर कारपोरेशन लिमिटेड स्वीकृति: 10.11.2004 3x37= 111 मेगावाट मुख्य-मुख्य विशेषताएं: डाइवर्जन स्ट्रक्चर: 10.45एम ऊंचाई पियानो की वियर एचआरटी डीसेप्ड, 5 मीटर डाय11.145किमी लम्बा पावर हाउस- भूमिगत टरबाइन- 500 आरपीए वीएफ स्विचयार्ड: 220 केवी लागत: मूल: 558.53 नवीनतम: 1181.90</p>	<p>एचपी 2010-11 2016-17</p>	<p>एचआरटी: एचआरटी उत्खनन के सभी फेसिज से 11764 मीटर में से 9722 मीटर पूरा कर लिया गया है । और कंक्रीटिंग के 11364 मीटर में से 1770 मीटर पूरा किया गया सर्ज सॉफ्ट: साफ्ट लाइनिंग के 70.38 मीटर पूरा कर लिया गया । पावर हाउस : 7850 घनमीटर में से 3127 घनमीटर उत्खनन और कंक्रीटिंग पूरा कर लिया गया है। . टीआरटी: लाइनिंग पूरी कर ली गई ई एण्ड एम कार्य : सभी यूनिटों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण इनबैंडमेंटस संस्थापना पूरी की गई । यूनिट संख्या 3 के लिए स्टेटर, रोटॉर, लोवर ब्रेकेट तथा अपर ब्रेकेट की स्थापना चल रही है ।</p>
17	<p>नागार्जुन सागर टीआर एपीजेन्को 17. 01. 05 2x25=50 मेगावाट मुख्य-मुख्य विशेषताएं: बांध -29.5मीटर ऊंचा स्पिलवे- 21 गेट पेनस्टॉक- 2x 5.35 मीटर पी. हाउस- सरफेस टरबाइन- वी.कपलान लागत मूल: 464.63 नवीनतम : 958.67</p>	<p>ए.पी 2008-09 2014-15</p>	<p>सिविल कार्य : मुख्य बांध : 3 रिडियल गेटों की स्थापना को छोड़कर लगभग पूरा कर लिया गया है पावर हाउस सिवल कार्य : लगभग पूरा कर लिया गया है यूनिट स्थापना : यूनिट-1 – स्टेटर और रोटोर लोवर किए गए । अपर गाइड डीयरिंग असेम्बली प्रगति पर है । यूनिट-2 स्टेटर असेम्बली प्रगति पर है ।</p>
18	<p>लोवर जुराला टीजेनको, जुलाई 2007 में टेक 6x40=240 मेगावाट (120 मेगावाट स्लिप होने की संभावना) मुख्य-मुख्य विशेषताएं : इंटेक: 18 वेंटस (प्रत्येक यूनिट के लिए 3 वेंच) 4.7मीटर चौड़ाई, पी. हाउस-सरफेस, टरबाइन- बल्ब डिजाइन हेड- 20मीटर स्विच यार्ड- 220 केवी लागत: मूल: 908.34 नवीनतम: 1474.83</p>	<p>तेलंगाना 2011-13 2014-16</p>	<p>एप्रोच चैनल, इनटेक पूल, पावर हाउस पिट के लिए उत्खनन पूरा कर लिया गया वीयर: 415276/416700 घनमीटर हो गया 172321/219039 घनमीटर कंक्रीटिंग पूरा कर लिया गया है पावर हाउस : 203000 की कुल मात्रा में से 196634 घनमीटर कंक्रीटिंग हो गया यूनिट स्थापना : यूनिट#1: यूनिट मैकेनिकली 24-12-2013 को स्पन की गई और 20 मेगावाट भार तक के लिए 29-12-2013 को थिड के साथ सिंक्रोनाइज्ड की गई । यूनिट #2: यूनिट मैकेनिकल 07.01.2014 को स्पन की गई और 10 मेगावाट भार तक के लिए 10.01.2014 को थिड के साथ सिंक्रोनाइज्ड की गई यूनिट#3: सर्विस वे मे स्पेटर असेम्बली पूरी की गई और स्थापना के लिए तैयार यूनिट#4: सर्विस वे मे तथा रोटोर की असेम्बली पूरी की गई यूनिट#5: स्टे ऑन की स्थापना पूरी की गई यूनिट#6: ड्राफ्ट ट्यूब की स्थापना पूरी की गई .</p>
19	<p>पुलिचिन्ताला टेन्जेनको 120 मेगावाट (4x30 मेगावाट) 25.04.2007 मुख्य-मुख्य विशेषताएं:</p>	<p>तेलंगाना . 2009-11 2015-17</p>	<p>सिंचाई विभाग द्वारा बांध का निर्माण कार्य प्रगति पर है पावर हाउस : पावर हाउस का उत्खनन लगभग पूरा हो गया और 89850 घनमीटर से 65232 घनमीटर कंक्रीटिंग किया गया ई एण्ड एम कार्य : ईओटी क्रेम: स्थापना पूरी की गई अभी जाँच की जानी शेष है कुछ हिस्से पुर्जा के छोड़कर आपूर्ति लगभग पूरी हो गई</p>

	डिजाइन हेड: 24 मीटर पावर हाउस : सरफेस टरबाइन : वी.कपलान वार्षिक ऊर्जा : 220 मिलियन यूनिट लागत : मूल : 380 नवीनतम : 396		यूनिट #1 से 4: ड्राफ्ट ट्यूब की स्थापना पूरी कर ली गई और कंक्रिटिंग के लिए दे दी गई है
20	पालीवसई केएसईबी 2x30= 60 मेगावाट 31.01.2007 मुख्य-मुख्य विशेषताएं: एचआरटी : 3.50मीटर X 3396मीटर सर्ज सॉफ्ट: 7.0मी X 49मीटर प्रेसर सॉफ्ट : 2.50मीटर X 1019.20मीटर पेनस्टॉक : 2.00मीटर X1161.20मीटर पावर हाउस : सरफेस टरबाइन : पेंटॉन स्विच यार्ड : 220केवी – सिंगल बस लागत : मूल : 268.02 268.02	केरल 2010-11 2016-17	इनटेक स्ट्रक्चर : उत्खनन – 28398/33492 घन मीटर पूरा कर लिया गया एचआरटी: उत्खनन –2858/3330 मीटर पूरा हो गया ओवर कंक्रिट 1634/3330 मीटर पूरा हो गया इनवर्ट कंक्रिट – 1637/3330 मीटर पूरा हो गया . सर्ज टैंक/फोरबे : उत्खनन.–7640/13400 घनमीटर । 423/843 घनमीटर । प्रेसर सॉफ्ट : उत्खनन - पूरा हो गया स्टील लाइनर का फैब्रिकेशन पूरा हो गया सरफेस पेनस्टाक : उत्खनन –103450/122600 घनमीटर- 8349/11375 घनमीटर फैब्रिकेशन पूरा कर लिया गया है और 2036 मीटर स्थापना में से 1438 मीटर पूरा कर लिया गया पावर हाउस - उत्खनन पूरा कर लिया गया है कंक्रिटिंग completed. 3811/11225घनमीटर टेल रेस चैनल (2.): उत्खनन एवं लाइनिंग पूरी कर ली गई ई एण्ड एम काय : 75% आपूर्ति पूरी हो गई पिट लाइनर स्थापना - दोनों यूनिटों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर पाइप और एमआईबी की स्थापना पूरी कर ली गई दोनों यूनिटों के लिए बैरल पूरी कर ली गई
21	थोटीयार केएसईबी 1x30 + 1x10= 40 मेगावाट 05.06.2008 मुख्य-मुख्य विशेषताएं: वीयर : 222मीटर लम्बा 11 ब्लॉक 7.5मीटर ऊंचाई टनल: सर्कुलर 2.6मीटर डाय 199मीटर लम्बा पावर हाउस : सरफेस टरबाइन : वर्टिकल पेंटॉन लागत : मूल : 136.79 नवीनतम : 150.02	केरल 2013-14 2016-17	सिविल कार्य : वीयर : कुल 5850घनमीटर में से 3258 घनमीटर पूरा कर लिया गया एप्रोच चैनल तथा इनटेक : 9100घनमीटर में से 3184 घनमीटर पूरा कर लिया गया पावर टनल : 2300घनमीटर में से 892.71 घनमीटर उत्खनन पूरा कर लिया गया पावर हाउस, स्विचयार्ड तथा निर्माण कार्य : 44500घनमीटर में से 31390 घनमीटर उत्खनन तथा 15675मीटर कंक्रिटिंग में से 961 घनमीटर पूरा कर लिया गया ई एण्ड एम तथा एच आर कार्य : उपस्कर की आपूर्ति प्रगति पर है
22	न्यू उमतर् एमईपीजीसीएल 2x20=40 मुख्य-मुख्य विशेषताएं : डाइवर्जन स्ट्रक्चर- गेटिड स्ट्रक्चर (एफआरएल- 130.1मीटर, एमडीडीएल-123.3मीटर) एचआरटी- 5मीटर डाय, 750 मीटर लंबा पावर हाउस- डीप सेट स्विच यार्ड- 132 केवी लागत :226.40 226.40	Meghalaya 2011-12 2015-16	बांध 208685 घनमीटर में से 61998 घनमीटर उत्खनन पूरा कर लिया गया कंक्रिटिंग - 73488 घनमीटर में से 19404 घनमीटर कंक्रिटिंग पूरा कर लिया गया इंटेक : 30000 घनमीटर में से 26984 घनमीटर पूरा कर लिया गया । कंक्रिटिंग किया गया जो 1300 घनमीटर की अनुमानित मात्रा से अधिक है । एचआरटी: उत्खनन पूरा किया गया स्टील स्पॉट की स्थापना पूरी की गई । लाइनिंग पूरी की गई जो 1400 घनमीटर की अनुमानित मात्रा से अधिक है । प्रेसर सॉफ्ट: पूरा किया . सर्ज सॉफ्ट: खुला उत्खनन पूरा किया गया और कंक्रिटिंग भी पूरा किया गया पावर हाउस : उत्खनन पूरा किया गया और कंक्रिटिंग परगति पर है टीआरटी: खुला उत्खनन और टनल बॉडी पूरा किया गया तथा लाइनिंग प्रगति पर है दोनों यूनिटों के लिए ई एण्ड एम ड्राफ्ट ट्यूब की स्थापना पूरी की गई । दोनों यूनिटों के लिए स्टे रिंग का अलाइमेंट प्रगति पर है ।
	निजी क्षेत्र		
23	सोरांग हिमाचल सोरांग पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जुन	एच.पी 2012-13	लगभग सभी सिविल कार्य पूरे कर लिए गए

	<p>2006/ 2x50= 100 मेगावाट मुख्य-मुख्य विशेषताएं : एचआरटी- 1.5 किमी. ट्रेच वीयर-59 मीटर पावर हाउस- भूमिगत टरबाइन- पेट्रोल ग्रोस हेड-626 मीटर स्विच याउ- 11/400 केवी (जीआईएस) लागत: मूल : 586.00 नवीनतम : 586.00</p>	<p>2015-16</p>	<p>पावर नम्बर 6 एवं 7 के बीच पारेषण लाइन स्ट्रिजिंग अभी पूरा किया जाना है दोनों यूनिटें बॉक्सअप की गई है नवम्बर, 2013 के प्रथम सप्ताह में वाटर कंडक्टर सिस्टम की भराई के दौरान क्रेक के कारण पैनस्टॉक में रिसाव हो गया उपचारात्मक उपायों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।</p>
<p>24</p>	<p>टीडोग-I मैसर्स एनएसएल टीडोग पावरजैन लिमिटेड 2x50 = 100 मेगावाट एचआरटी – डी- 3.5मीटर लंबा- 8461 मीटर पावर हाउस सर्फेस टरबाइन – वर्टिकल पेट्रोल लागत : मूल 543.15 नवीनतम 543.15</p>	<p><u>एच.पी</u> 2013-14 2016-17</p>	<p>बैराज: उत्खनन पूरा किया गया 33355 घनमीटर कंक्रीटिंग में से 24785 घनमीटर कार्य पूरा कर लिया गया . एचआरटी : 8.6 किमी. उत्खनन में से 6.5 किमी. पूरा कर लिया गया सर्ज सॉफ्ट : 1574 घनमीटर/3850 घनमीटर ओपन उत्खनन टॉप पूरा किया गया 90मीटर/110मीटर भूमिगत उत्खनन कार्य पूरा किया प्रेशर सॉफ्ट: अपर इंकलाइन्ड पोर्सन जो प्रगति पर है को छोड़कर उत्खनन कार्य पूरा कर लिया गया पावर हाउस – 90000 घनमीटर उत्खनन में से 84010 घनमीटर पूरा कर लिया गया है 13610 घनमीटर कंक्रीटिंग में से 5357घनमीटर पूरा कर लिया गया है</p>
<p>25</p>	<p>तंगनू रोमाई -I मैसर्स तंगनू रोमाई पावर जनरेशन 2x22= 44 मेगावाट 30.11.2007 एचपीएसईबी मुख्य-मुख्य विशेषताएं : ईएल पर बैरेज + 2555 मीटर एचआरटी-3.1मीटर डाय और 7.220 किमी लम्बाई सर्ज सॉफ्ट- 5मीटर डाय, टॉप लेवल 2570 मीटर और बॉटम लेवल 2520 मीटर पेनस्टॉक- 2 मीटर डाय और 609.3 मीटर लम्बा पावर हाउस- सरफेस टरबाइन – वर्टिकल फ्रांसिस लागत : मूल :255.00 नवीनतम : 255.00</p>	<p><u>एच.पी.</u> 2014-15 2016-17</p>	<p>सिविल कार्य दिनांक 14.06.2010 को मैसर्स साइ उर्जा हाइडल प्रोजेक्ट (प्रा.) लिमिटेड को अवार्ड किया गया डाइवर्जन चैनल : 28000 घनमीटर में से 17630 स्लोप कटिंग चैनल पूरा कर लिया गया और 62000 घनमीटर में से 1270 घनमीटर उत्खनन पूरा कर लिया गया डोसिलिटिंग चैम्बर एवं एसएफटीपीस : उत्खनन पूरा कर लिया गया 403.25 मी/432 मी उत्खनन पूरा कर लिया गया एचआरटी –6323मी उत्खनन में से 3128 मीटर पूरा कर लिया गया और लाइनिंग प्रगति पर है पावर हाउस स्विचयार्ड तथा विविध – 72000 m³ में से 62500 m³ उत्खनन पूरा कर लिया गया</p>
<p>26</p>	<p>श्रीनगर एचपीसी लिमिटेड 14/06/2000/ एफसी 4x82.5=330 मुख्य-मुख्य विशेषताएं : बांध –66.5मीटर ऊंचा, कंक्रीट ग्रेविटी एचआरटी- 13मीटर x 889मीटर पेनस्टॉक-4x 5.6मीटर x 114मीटर पावर हाउस- सर्फेस टरबाइन- फ्रांसिस लागत: मूल : 1699.12 नवीनतम : 2069.00</p>	<p><u>उत्तराखंड</u> 2005-06 2015-16 (Best efforts in 2014-15: 165 MW)</p>	<p>सिविल कार्य लगभग पूरा होने वाला है यूनिट स्थापना : यूनिट # 1, 2 और 3 स्थापना/बॉक्सिंगअप के अग्रिम चरण में है ।</p>
<p>27</p>	<p>फाटा बायंग मैसर्स लैंको 06.10.2008</p>	<p><u>उत्तराखंड</u> 2013-14</p>	<p>डाइवर्जन टनल: नदी डाइवर्ड की गई बांध कंक्रीटिंग : 17800/18000 घनमीटर पूरा किया गया । पावर हाउस : उत्खनन पूरा किया गया और कंक्रीटिंग प्रगति पर है</p>

	<p>2x38 मेगावाट = 76 मेगावाट मुख्य-मुख्य विशेषताएं : बांध - 26मीटर ऊंचा एचआरटी- 3.2मीटर डाय और 9.38 किमी लम्बा टरबाइन - फ्रांसिस लागत : मूल : 720.00 नवीनतम : 720.00</p>	2016-17	<p>एचआरटी :8474/9228 मीटर उत्खनन पूरा किया गया इंटेक-1 और इंटेक-॥ का उत्खनन और लाइनिंग पूरा किया गया केवल टनल: पूरा किया गया टीआरटी: 178/235 मीटर उत्खनन पूरा किया गया ई एण्ड एम कार्य : कार्य प्रगति पर है</p>
28	<p>सिंगरोली भटवारी मैसर्स एलएण्डटी 11.07.2008 3x33 मेगावाट = 99 मेगावाट मुख्य-मुख्य विशेषताएं: बैरेज -एफआरएल 1017 मीटर, एमडीडीएल 1009 मीटर , बैरेज टॉप 1020 मीटर एचआरटी- 4.65 मीटर डाय और 11.870 मीटर लम्बा सर्ज सॉफ्ट-10 मीटर डाय और 102.85 मीटर लम्बा प्रेसर सॉफ्ट -वन, 3.80 मीटर डाय और 358मी ऊंचा पेनस्टॉक- 3 नं., 2.20 मीटर डाय और 34 मीटर, 42 मीटर , 48 मीटर लम्बा क्रमशः. पावर हाउस- सरफेस टरबाइन वर्टिकल फ्रांसिस टीआरटी- ओपन चैनल , 650मीटर लम्बा लागत: मूल : 666.47 नवीनतम : 666.47</p>	<p><u>उत्तराखंड</u> 2015-16 2016-17</p>	<p>नदी डाइवर्जन - पूरा किया गया बांध एवं डायक/बैराज: 68842/90744 घनमीटर उत्खनन और 46981/76500 घनमीटर कंक्रीटिंग पूरा किया गया एचआरटी : 8300/11255 मीटर उत्खनन पूरा किया गया प्रेसर सॉफ्ट : 440.5/485 मीटर उत्खनन पूरा किया गया पावर हाउस: उत्खनन पूरा किया गया और कंक्रीटिंग 6517/18000 घनमीटर पूरा किया गया . सर्ज टैंक: उत्खनन पूरा किया गया</p>
29	<p>माहेश्वर , एसएमएपीसीएल 30 .12. 96/ 29.9.2006 (एफसी) 10x40= 400 मेगावाट मुख्य-मुख्य विशेषताएं : बांध-35मीटर ऊंचा, कंक्रीट ग्रेविटी प्रेसर सॉफ्ट-10x7.82 मीटर x 52 मीटर पावर हाउस सरफेस टरबाइन - कलपान लागत: मूल: 1569.27 नवीनतम :2449.20</p>	<p><u>एम.पी</u> 2001-02 2015-17 (Best efforts in 2014-15: 120 MW)</p>	<p>सिविल एवं एचएम कार्य : सभी प्रमुख सिविल कार्य पूरे कर लिए गए पावर हाउस क्षेत्र में सिविल कार्य विभिन्न यूनितों की स्थापना के अनुसार प्रगति पर हैं सभी 27 रेडियल गेट चालू किए गए यूनिट स्थापना : यूनिट-10: प्रारम्भिक स्पिनिंग 14.10.2011को हासिल की गई यूनिट-9 एवं 8: स्पिनिंग के लिए तैयार यूनिट-7: गाइड अपरेटर्स ट्रायल असेम्बली प्रगति पर है यूनिट-6: टरबाइन एम्बेडिड पाटर्स तथा फाउंडेशन पार्ट्स की स्थापना पूरी कर ली गई है यूनिट-5 से 1: यूनितों की स्थापना प्रारम्भिक चरण में है विकासकर्ता के साथ नकद प्रवाह समस्या के कारण कार्य नवम्बर, 2011 से बन्द है</p>
30	<p>तीस्ता-III तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल) 12.05.2006 6x200=1200 मेगावाट मुख्य-मुख्य विशेषताएं: बांध- १यूट स्पिलवे सहित कंक्रीट 60 मीटर ऊंचा एचआरटी- 7.5मीटर डाय, 13.325किमी. लम्बा प्रेसर साफ्ट- 3 . 3.8 मीटर डाय. पावर हाउस- अपर गाउंड टरबाइन- पेस्टॉन</p>	<p><u>सिक्किम</u> 2011-13 2014-16</p>	<p>बांध : सीएफआरडी, 11.5 लाख घनमीटर में से 11.13 लाख घनमीटर सामग्री लगाई गई एचआरटी : उत्खनन पूरा कर लिया गया 13824 मीटर में से 13579 मीटर ओवर्ट लाइनिंग पूरी की गई और 13824 मीटर में से 10323 मीटर इनवर्टे लाइनिंग पूरी की गई मशीनहॉल, जीआईएस हॉल तथा टीआरटी के लिए सभी एसेस टनल का उत्खनन पूरा कर लिया गया . सर्ज सॉफ्ट : साफ्ट सिक्किंग मैथड द्वारा 158 मीटर सॉफ्ट उत्खनन किया गया 8994 घनमीटर में से 4936 घनमीटर पूरा किया गया प्रेसर सॉफ्ट उत्खनन: उत्खनन पूरा कर लिया गया तथा कंक्रीटिंग एवं फेरुल्स स्थापना प्रगति पर है</p>

	<p>लागत: मूल 5705.55 नवीनतम 5705.55.</p>		<p>स्टील लाइनर की स्थापना प्रगति पर है पावर हाउस : उत्खनन पूरा कर लिया गया ट्रांसफोरमर का उत्खनन भी पूरा कर लिया गया पावर हाउस में ईओटी क्रेन चालू की गई ईएण्डएम उपस्करों की स्थापना प्रगति पर है टीआरटी : उत्खनन पूरा किया गया 1336 मीटर में से 1315 मीटर ओवर्ट लाइनिंग पूरी कर ली गई</p>
31	<p>तीस्ता-VI लैंको 27.12.2006 4x125= 500 मेगावाट मुख्य-मुख्य विशेषताएं : बैरेज: 34.27मीटर ऊंचा एचआरटी- 2,13.7किमी. ऊंचा प्रेसर सॉफ्ट : 4नं. 5.4 मीटर डाय. 130मीटर ऊंचा, टीआरटी: 4 नं. 250 मीटर औसत लम्बाई, 8.5मीटर डाय पावर हाउस- भूमिगत टरबाइन-फ्रांसिस लागत: मूल : 3283.08 नवीनतम : 3283.08</p>	<p>सिक्किम 2012-13 2016-17</p>	<p>बैराज तथा डिस्ट्रिब्यूटिंग : उत्खनन पूरा कर लिया गया और 380003 घनमीटर में से 98 प्रतिशत कंक्रिटिंग पूरा कर लिया गया एचआरटी : 10045 मीटर वाली हैडिंग उत्खनन और कुल 27505 मीटर में से 4270 मीटर बैचिंग उत्खनन पूरा कर लिया गया 1550 मीटर ओवर्ट लाइनिंग पूरी की गई . सर्ज टैंक: उत्खनन पूरा कर लिया गया और कंक्रिटिंग प्रगति पर है प्रेसर सॉफ्ट: 4 प्रेशर सॉफ्ट का भूमिगत उत्खनन पूरा कर लिया गया, एक प्रेशर साफ्ट की लाइनिंग पूरी की गई शेष लाइनिंग प्रगति पर है । . मैन अससटनल वेंटीलेशन टनल, एडिटेड टू ट्रांसफोर्मर कैवरल तथा केवल टनल तथा एडिटेड बीएफबी चैम्बर का उत्खनन पूरा कर लिया गया कंक्रिटिंग प्रगति पर है । टीआरटी - 4 टीआरटी पूरा कर लिया गया पावर हाउस - उत्खनन पूरा कर लिया गया तथा 21945/44578 घनमीटर कंक्रिटिंग पूरा कर लिया गया ट्रांसफोर्मर कैबरन उत्खनन पूरा कर लिया गया और 2539/7101 घनमीटर कंक्रिटिंग पूरा कर लिया गया टीआरटी : उत्खनन पूरा कर लिया गया 24837/43725 घनमीटर लाइनिंग पूरा कर लिया गया केबल टनल और ट्रेनचिच : उत्खनन पूरा कर लिया गया</p>
32	<p>रंजित IV जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड. 06.07.2007 3x40= 120 मेगावाट मुख्य-मुख्य विशेषताएं : बांध: कंक्रिट 44मीटर ऊंचा एचआरटी : Dडी 6.4मीटर L- 6.5किलोमीटर पावर हाउस : सरफेस टरबाइन : फ्रांसिस पावर हाउस - भूमि गत टरबाइन- फ्रांसिस लागत : मूल : 726.17 नवीनतम : 726.17</p>	<p>सिक्किम 2012-13 2016-17</p>	<p>बांध और इनटेक कार्य : 290733/519887 घनमीटर उत्खनन पूरा कर लिया गया 145413 घनमीटर में से 61008.5 घनमीटर कंक्रिटिंग पूरा कर लिया गया रोड डाइवर्जन टनल का उत्खनन पूरा कर लिया गया एचआरटी : उत्खनन प्रगति पर है और 6488 में से 3557 मीटर पूरा कर लिया गया सर्ज साफ्ट: उत्खनन पूरा कर लिया गया है और कंक्रिटिंग प्रगति पर है पावर हाउस : पावर हाउस के लिए एप्रोच सड़क का कार्य पूरा कर लिया गया है पावर हाउस में उत्खनन प्रगति पर है । डिसेल्टिंग चैम्बर : 3360 मीटर में से 2121 मीटर उत्खनन पूरा कर लिया गया है ।</p>
33.	<p>जोरथंग लूप मेसर्स डीएएनएसएनर्जी 2x48=96 मे.वा. ब्राड फीचर्स: बैरेज: ग्रैविटी फ्लोर पर परमीएबल फाउंडेशन 15 मी ऊंचा. एचआरटी : डी- 7मी एल- 6.780किमी सर्ज शाफ्ट:59मी ऊंचा और 25मी डाय. प्रेसर शाफ्ट: 172.60मी ऊंचा और 6मी डाय. पावर हाउस: सरफेस टीआर-कट और कवर कंडक्ट46.4मी लं.</p>	<p>सिक्किम 2013-14 2014-15</p>	<p>एचआरटी:6765 मीटर/6866 मीटर की खुदाई पूरी की जा चुकी है । बैरेज: सभी मुख्य सिविल कार्य पूरे किए जा चुके हैं । सर्ज शाफ्ट: खुदाई पूरी की जा चुकी है और ईएल 366.00(55 मीटर) तक की लाइनिंगपूरी की जा चुकी है । गेट ग्राव की की चिपिंग भी पूरी कर ली गई थी । सर्ज शाफ्ट बॉटम स्लैब में कंक्रिटिंग और गेट लगाने का कार्य प्रगति में है । प्रेसर शाफ्ट: खुदाई पूरी हो चुकी है । विद्युत घर: खुदाई पूरी हो चुकी है । कंक्रिटिंग पूरी होनी बाकी है । टेल रेस चैनल: खुदाई और कंक्रिटिंग पूरी हो चुकी है । दोनों यूनिटों के लिए ड्राफ्ट ट्यूब गेट कम किए गए थे, लगाए गए थे और हायस्टिंग का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है । ई एण्ड एम कार्य:</p>

	स्विचयार्ड: आउटडोर, 220 किवी/11किवीस कॉस्ट: <u>ऑरिजिनलएल: 403.00</u> एलैटेस्ट: 403.00		यूनिट 1 एवं 2: स्पाइरल केसिंग पूरी की जा चुकी है और हाइड्रोलिक प्रेशर जांच पूरी की जा चुकी है। दोनों यूनिटों के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का निर्माण और कंक्रिटिंग पूरी की जा चुकी है। कुल पीएच क्षेत्र को शामिल करते हुए ईओटी ब्रेन टेल का निर्माण, जांच एवं आरंभ पूरा कर लिया गया है। यूनिट-1 के लिए टरबाइन ड्राफ्ट मेन असेम्बली पूरी की जा चुकी है। एचएम कार्य: सभी भागों के लिए सभी पेनस्टॉक नियमों की तैयारी पूरी की जा चुकी है। दोनों स्लूइस सर्विस गेटों का निर्माण किया गया है। इन्टेक स्टॉपलॉग का निर्माण पूरा कर लिया गया है। सर्ज शॉफ्ट गेटों का निर्माण प्रगति में है। 5 संख्या के सर्विस गेट की जांच की गई है।
34.	भास्मी गति अवसंरचना 3x17=51 मे.वा. ब्राड फीचर्स : डीएम-33.2मी ऊंचा, सेमिट्रिकाएल ग्रेविटी एचआरटी-5.3मी डाय एवं 5.132 किमी लेंथ , सर्कुलर. सर्ज शाफ्ट- 89.8मी ऊंचाई एवं 14मी डाय. पी. हाउस-आउटडोर टरबाइन-वीएफ टीआरटी-2, एल- 50मी प्रत्येक. स्विचयार्ड- 132/11 किवी कॉस्ट : <u>ऑरिजिनलएल : 408.5</u> एलैटेस्ट : 408.5	सिक्किम <u>2014-15</u> 2016-17	डाइवर्जन सुरंग पूरी की जा चुकी है। एचआरटी: एडिट 309.8आरएम/781.97 आरएम पूरी की जा चुकी है। विद्युत घर: 181117/216147 सीयूएम की खुदाई पूरी की जा चुकी है। प्रेशर टनल शाफ्ट: 559.84 आरएम में से 40 आरएम की खुदाई पूरी की जा चुकी है।
ख.			
केन्द्रीय सेक्टर			
35.	टिहरी पीपीएस, टीएसडीसी, 18.7.06 नवंबर-11 (संशोधित सीसीईए) 4x250=1000 मेगावाट ब्राड फीचर्स: सर्ज शाफ्ट : यू/एस - 2 nos. डी/एस - 2 nos पावर हाउस: यू/जी टीआरटी: 2, डाय. 9मी. और लंबाई 1070मी. + 1160मी. टरबाइन: वीएफ रिवर्सिवल पंप टरबाइन लागत: मूल: <u>1657.60</u> नवीनतम: 2978.86	उत्तराखण्ड <u>2011-12</u> 2017-18	ईपीसी अनुबंध 27.7.11 से शुरू होने की तारीख के साथ 23.6.11 को सौंपा गया है। बटरफ्लाई वॉल्व चैम्बर (बीवीसी): स्टील रिब के साथ 78 आरएम क्राउन स्लैशिंग में से 8.5 आरएम पूरी की जा चुकी है। पेनस्टॉक असेम्बली चैम्बर: कुल 95 आरएम में से 26.5 आरएम की लंबाई में ब्राउन स्लैशिंग पूरी की जा चुकी है। पीएच: पावर हाउस केवर्न (203 मीटर) की ब्राउन स्लैशिंग पूरी की जा चुकी है। क्रेन बीम स्तर की की बेंचिंग पूरी की जा चुकी है। सर्विस वे के नए ऑडिट की 178 आरएम खुदाई में से 88 आरएम पूरी की जा चुकी है। सर्ज शाफ्ट डाउनस्ट्रीम (2 संख्या) दोनों शाफ्टों के लिए पायलट शाफ्ट खुदाई पूरी की जा चुकी है। सर्ज शाफ्ट के आसपास ड्रेनेज गैलरी की खुदाई प्रगति में है। टीआरटी (2 सं.-1070 मीटर और 1160 मीटर): टीआरटी-1 में 1070 आरएम में से 262.5 आरएम और टीआरटी-2 में 1160 आरएम में से 151.5 आरएम प्राप्त की गई है। ई एण्ड एम कार्य: उत्पादन एवं आपूर्तियां प्रगति में है।
36.	लता तपोवन एनटीपीसी	उत्तराखण्ड <u>2017-18</u>	पूर्व निर्माण कार्य और अवसंरचना कार्य प्रगति में है। सिविल और एचएम कार्यों के लिए ईपीसी ठेका 17.08.2012 को मेसर्स एल एंड

	अगस्त-2012 3x57= 171 मेगावाट ब्रोड फीचर्स: बैराज- प्रत्येक 11मी. के 14 बेज एचआरटी- 7.51 कि.मी., 4.7मी. डाय. पावर हाउस- अंडरग्राउंड टरबाइन- वी.फ्रेंचाइज लागत: मूल: 792.00 नवीनतम: 792.00	1018-19	टी को सौंपा गया था । ई एण्ड एम पैकेज 07.12.2012 को मेसर्स भेल को सौंपा गया था ।
37.	विष्णुगाड पीपलकोटि टीएचडीसी 21.08. 2008 4x111= 444 मेगावाट ब्रोड फीचर्स: बांध - 65मी. ऊंचा, 89.3मी.लंबा, कंक्रीट ग्रेविटी एचआरटी- 13.4 कि.मी., 8.8मी. डाय. हॉर्स शू शेप पावर हाउस-अंडरग्राउंड 127मी.x 20.3मी.x 50मी. टरबाइन- फ्रेंचाइज स्विचयार्ड- 13.8/420 केवी लागत: मूल: 2491.58 नवीनतम: 3745.08	उत्तराखण्ड <u>2018-19</u> 2018-19	सिविल और एचएम कार्य 17.01.2014 को सौंपे गए भूवैज्ञानिक जांच पूरी की जा चुकी है । अवसंरचना कार्य प्रगति में है ।
	राज्य क्षेत्र		
38.	शाहपुरकंदी सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल 3x33+3x33+1x8=206 मेगावाट लागत: मूल: 2285.81 अद्यतन 2285.81	पंजाब <u>2017-18</u> 2017-18	मुख्य बांध और हाइडल चैनल के सिविल कार्य सौंपे जा चुके हैं और निर्माणाधीन हैं ।
39.	शांगटांग करचम एच.पी. पावर कारपोरेशन लिमिटेड स्वीकृति: 16.08.2012 3x150= 450 मेगावाट ब्रोड फीचर्स: इंटेक टनल: 4 हॉर्स शू 6.4मी. डाय. 192 to 280मी. लंबाई एचआरटी- सरक्यूलर, 10.5मी. डाय., 8096मी. लंबा पावर हाउस- अंडरग्राउंड टरबाइन- वीएफ. स्विचयार्ड: 400 केवी. लागत: मूल: 2807.83 अद्यतन: 2807.83	हिमाचल प्रदेश <u>2017-18</u> 2017-18	कार्य 30.06.2012 को सौंपे गए । सीईए की स्वीकृति 16.08.2012 को प्रदान की गई । एचआरटी: ऑडिट-II का पहला ब्लास्ट 27.02.2013 को किया गया और 907 मीटर पूरी की जा चुकी है । ऑडिट-III तक संपर्क सड़क के कार्य शुरू हो चुके हैं । ई एण्ड एम: अभी सौंपा नहीं गया है ।
40.	कोएना लेफ्ट बैंक पीएसएस डब्ल्यूआरडी, एमएचएच.	महाराष्ट्र <u>2017-18</u>	सिविल कार्य: 11097 सीयूएम में से 3721 सीयूएम के इन्टेक ढांचे की खुदाई और 9700

	<p>20.02.2004 2x40 = 80 मेगावाट ब्रोड फीचर्स: उत्पादन के लिए शिवाजी सागर लेक (कोयना रिजर्वायर) से पानी निकाला गया इंटेक टनल: डाय. - 7.20 मी. लंबाई - 235.5 मी. (लेक टैप सहित) एचआरटी: डाय. - 7.20 मी. लंबाई - 80 मी. पेनस्टॉक - 2 nos डाय. - 2.9मी. लंबाई - प्रत्येक 10 मी. पावर हाउस - अंडरग्राउंड टरबाइन - रिर्वसिबल लागत: मूल: 379.78 अद्यतन: 379.78</p>	<p>2017-18</p>	<p>सीयूएम में से 2485 सीयूएम लाइनिंग पूरी की जा चुकी है । स्विचयार्ड की खुदाई पूरी की जा चुकी है । सम्पर्क सुरंग और वेंटीलेशन सुरंग की खुदाई प्रगति में है । मशीन हाल: भूमिगत खुदाई प्रगति में है । 55050 सीयूएम में से 22600 सीयूएम पूरी की जा चुकी है । ई एण्ड एम कार्य: इंजीनियरिंग उत्पादन आपूर्ति, निरीक्षण निर्माण, जांच की शुरुआत और पंप टरबाइन मोटर और संबंधित उपस्करों का व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुबंध पर 16.12.2010 को मैसर्स आईवीआरसीएल लि., पुणे के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं । इसके अलावा निम्नलिखित रूप में टीजी सेट का आदेश दिया गया है : टरबाइन पंप: मेसर्स कॉन्कर पावर, संयंत्र एवं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इंजीनियरिंग, क्रोशिया (यूरोपियन यूनियन) ईओटी क्रेन: मेसर्स पेडवाक क्रेन प्राइवेट लि., हैदराबाद को कार्य दिनांक 12.04.2013 को सौंपे गए ।</p>
	<p>निजी क्षेत्र</p>		
<p>41</p>	<p>रेंटल रेंटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रा. लि. 19.12.2012 4x205+1x30= 850 मेगावाट ब्रोड फीचर्स: बांध की ऊंचाई-133मी. लंबाई-194.8मी. स्पिलवे-राडाया. गेट-5 आकार-10.75x1420 मी. डाइवर्जन टनल:2, सरक्यूलर (राइट बैंक) प्रेसर टनल: प्रत्येक 11मी. डाय. प्रेसन शाफ्ट : प्रत्येक 6.6 मी. स्टील लाइंड पंप हाउस-अंडरग्राउंड टरबाइन- फ्रेंचाइज एवरेज ग्रास हेड-100.39मी. एडि. यूनिट(30मेगावाट) मुख्य पी.एच.कैविटी में हाउस्ड) रेटेड अहेड-98.9मी. लागत : मूल: 5517.02 अद्यतन : 5517.02</p>	<p>जम्मू एवं कश्मीर 2017-18 2017-18</p>	<p>सिविल अऔर एचएम कार्यों के लिए ईपीसी ठेका दिनांक 04.07.2013 को मेसर्स जीवीके प्रोजेक्ट एण्ड टेक्निकल सर्विसेज लि. को सौंपा गया था । सड़क और पुलों का अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति में है और अपस्ट्रीम पुल का निर्माण पूरा किया जा चुका है और डाउनस्ट्रीम पुल का निर्माण प्रगति में है ।</p>
<p>42.</p>	<p>बजोली होली मैसर्स जीएमआर बजोली होली हाइड्रो पावर प्रा. लिमिटेड 31.12.2011 3x60= 180 मेगावाट ब्रोड फीचर्स बांध की ऊंचाई-66 मी. बांध लंबाई-178 मी. डिसिल्टिंग चैम्बर- 2</p>	<p>हिमाचल प्रदेश 2017-18 2017-18</p>	<p>सिविल कार्य 29.05.2013 को मेसर्स गैम्मन इंडिया लि. को सौंपे गए थे।</p>

	<p>240 मी. x 14.5 मी. X 10.8 मी. एचआरटी- लंबाई-15.538 कि.मी., 5.6 मी. डाय. पी.एच -सरफेस लागत: मूल 1696.93 अद्यतन 1696.93</p>		
43.	<p>चंजू-1 मैसर्स आई ए एनर्जी 24.04.2010 3x12=36 मेगावाट लागत : मूल : 295.09 अद्यतन : 295.09</p>	<p>हिमाचल प्रदेश 2017-18 2017-18</p>	<p>बैरज: 287700 सीयूएम में से 253000 की खुदाई पूरी की जा चुकी है । फलैश व्यवस्था सहित डिस्लटिंग बेसिन: 20800 सीयूएम में से 17790 सीयूएम की खुदाई पूरी की जा चुकी है । 3510 सीयूएम में से 1265 कंक्रीटिंग पूरी की जा चुकी है । एआरटी:खुदाई / बोरिंग (5326 मीटर) पूरी की जा चुकी है । लाइनिंग ब्रीज की शू हो रही है । सर्ज शाफ्ट: खुदाई (532 मीटर) पूरी की जा चुकी है । पेनस्टॉक/प्रेशर शाफ्ट: 720 मीटर में से 15 मीटर की खुदाई पूरी की जा चुकी है । विद्युत घर: 152147 सीयूएम में से 125760 सीयूएम की खुदाई पूरी की जा चुकी है ।</p>
44.	<p>ताशिदिंग मी./एस शिगा एनर्जी प्रा. लि. 28.03.2011 2x48.5 = 97 मेगावाट ब्रोड फीचर्स: बैराज-ईएल 917मी. एचआरटी-4.5 मी. डाय. & 5.437 कि.मी. लंबाई , सर्ज शाफ्ट - 61.058मी. ऊंचाई और 8.5मी. डाय.. पेनस्टॉक - लंबाई बाइफक्शन 441.53 मी. बाइफक्शन के बाद 25 मी. & 30 मी. long पावर हाउस-सरफेस टीआरटी- ओपेन चैनल और 78.5 मी. लंबाई. स्विटयार्ड-आउटडोर, 220 केवी लागत : मूल : 465.95 अद्यतन : 465.95</p>	<p>सिक्किम 2013-14 1017-18</p>	<p>एआरटी (कुल 5432 मीटर) फेस-1 पर खुदाई:1151.20 मीटर फेस-2 765.00 मीटर, फेस-3 1181.48 मीटर, फेस 4816.00 मीटर सर्ज शाफ्ट: सर्ज शाफ्ट तक एडिट के लिए सरफेस की तैयारी पूरी कर ली गई है । ईएण्डएम कार्य:ईएण्डएम कार्य के लिए ठेका मेसर्स ब्लास्टक प्रोजेक्ट इंडिया लि. को सौंपा गया था । मेसर्स ब्लास्टक प्रोजेक्ट इंडिया लि. ने मॉडल टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इसे स्वीकार कर लिया गया है । विद्युत घर: ईएल 73200 मीटर पर पूर्व खुदाई एकट बीम का रेन पोरम सीमेंट कंक्रीट 89% पूरी की जा चुकी है । 95% क्लेजिंग वाल कंक्रीटिंग पूरी की जा चुकी है । सरफेसे खुदाई कार्य पूरा किया जा चुका है । शार्टक्रीटिंग कार्य पूरा किया जा चुका है ।</p>
45.	<p>डिकचू स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्टस प्रा.लि. 21.10.2011 3x32= 96 मेगावाट ब्रोड फीचर्स: बांध-35मी. ऊंचा, कंक्रीट ग्रेविटी एचआरटी-4मी. डाय. 4.6 कि.मी. लंबाई सर्कुलर. सर्ज शाफ्ट - 65मी. ऊंचा & 9मी. डाय.. पावर हाउस-अंडरग्राउंड टरबाइन-वर्टिकल फ्रेंचाइज</p>	<p>सिक्किम 2015-16 2017-18</p>	<p>बांध: 86762 सीयूएम में से 54000 सीयूएम की खुदाई पूरी की जा चुकी है। एआरटी:5456 आरएम में से 72 आरएम की खुदाई पूरी की जा चुकी है । विद्युत घर: 43520 सीयूएम में से 89.4 सीयूएम की खुदाई पूरी की जा चुकी है । टीआरटी: 295 आरएम में से 195 आरएम की खुदाई पूरी की जा चुकी है। मुख्य पहुंच वाली सुरंग: खुदाई पूरी की जा चुकी है ।</p>

	टीआरटी-4मी. डाय. एवं 1000मी. लंबाई स्विटयार्ड- 60मी. x 30मी. साईज लागत : <u>मूल : 639.57</u> अद्यतन : 639.57		
46.	रंगीता। सिक्किम हाइड्रो पावर लि. 10.02.2010 2x33= 66 मेगावाट ब्रोड फीचर्स: बांध-47मी. ऊंचा, कंक्रीट ग्रेविटी एचआरटी-3.9मी. डाय. एवं 4.745 कि.मी. लंबाई , सर्ज शाफ्ट - 65.5मी. ऊंचा & 10मी. डाय.. अंडरग्राउंड प्रेशर शाफ्ट : 1.7 मी. डाय. & 2.5 कि.मी. लंबाई. पावर हाउस-आउटडोर टरबाइन- पेल्टन वर्टिकल स्विटयार्ड- जीआईएस, 132/11केवी लागत : <u>मूल : 497.17</u> अद्यतन : 497.17	सिक्किम 2016-17 2017-18	ईपीसी ठेका फरवरी, 2012 में मेसर्स कोस्टल को सौंपा गया था । संपर्क सड़कों का कार्य और एडिट की खुदाई प्रगति में है । सुरक्षा वाली दीवार का कार्य प्रगति में है । एचआरटी को एडिट भूमिगत खुदाई प्रगति में है । मुड़ाव सुरंग:खुदाई प्रगति में है । सर्ज शाफ्ट: खुदाई प्रगति में है । विद्युत घर: सरफेस विद्युत घर की खुदाई शुरू की जा रही है ।
47.	रॉगनिचू मध्य भारत पावर कारपोरेशन लु 01.10.2008 2x48= 96 मेगावाट	सिक्किम 2015-16 2017-18	सिविल कार्य मेसर्स सीयू इंफ्रास्ट्रक्चर लि. और ईएण्डएस कार्य मेसर्स वायथ हाइड्रो पावर लि. को सौंपे गए हैं । एचएम कार्यों का ठेका अगस्त, 2012 तक दिए जाने की संभावना है । पूर्व निर्माण कार्य और एडिट की खुदाई प्रगति में है । विद्युत घर की खुदाई अक्टूबर, 2012 में शुरू होने की संभावना है । लगभग 14 किलोमीटर की सुरंग में से लगभग 1 किमी की बोरिंग पूरी की जा चुकी है ।
48.	पनन हिमगिरि हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि. 07.03.2011 4x75= 300 मेगावाट ब्रोड फीचर्स: बांध-115मी. डीपेस्ट फाउंडेशन लेवे से डिसिलटिंग चैंबर्स : अंडरग्राउंड, 2 साईज (14Lx22Wx2.5H) एचआरटी- मोडिफाइड हॉर्स शू, 6 मी. डाय. & 9549मी. लंबाई , सर्ज शाफ्ट - 102 मी. ऊंचा & 15मी. डाय.. प्रेशर शाफ्ट : 2/4, 3.4/2.4मी. डाय. & 707.4 मी. ऊंचा. पावर हाउस-सरफेस टरबाइन- वर्टिकल फ्रैंचाइज लागत : <u>मूल: 1833.00</u> अद्यतन : 1833.00	सिक्किम 2017-18 2017-18	सिविल कार्य 22.2.2014 को सौंपे गए । अवसंरचनात्मक कार्य और भूवैज्ञानिक जांच प्रगति में है।

शामिल कुल निवेश: 100251.00 रुपये

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2209

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

कैगा-कोझिकोडे उच्च तरंग लाइन

2209. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पाँवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 400 किलोवाट की कैगा-कोझिकोडे उच्च तरंग लाइन, जो कर्नाटक के कूर्ग जिले से गुजरती है, को बिछाने का कार्य कर रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वनों, पेड़ों और विभिन्न पर्यावासों पर इसका संभावित प्रभाव क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक प्रस्तावित उपाय क्या हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये लाइनें वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में न डाली जाएं और पेड़ों, पर्यावासों इत्यादि को बचाया जा सके?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। पीजीसीआईएल ने विभिन्न वैकल्पिक रूटों का अध्ययन करने के पश्चात एक रूट का चयन किया है जिसका उस क्षेत्र के वन एवं पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव होगा। पूजा स्थलों और वास स्थल क्षेत्रों को सम्भव सीमा तक छोड़ दिया गया है। फसलों और वृक्षारोपण पर कम से कम प्रभाव के कारण इस रूट का चयन किया गया है।

(ग) : राज्य सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) कर्नाटक की सलाह पर पीजीसीआईएल ने जानवरों के मुक्त विचरण के खतरे की किसी भी संभावना को रोकने के लिए सुरक्षा उपकरणों की संस्थापना और ग्राउंड क्लीयरेंस बढ़ाने के संबंध में सुझाए गए आवश्यक उपाय किए गए हैं। परियोजना की नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी (एनटीसीए) और माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की गई है और स्वीकृति प्रदान की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2214

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत दावों का बंटवारा

2214. श्री सी. आर. चौधरी:

श्री चाँद नाथ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पंजाब में जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान के विद्युत संबंधी दावों के बंटवारे के संबंध में पृष्ठाधार दस्तावेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने तक केन्द्रीय विद्युत उद्यमों के अनावंटित कोटे का कम से कम 35 प्रतिशत राजस्थान के लिए रखने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): पंजाब के जल विद्युत स्टेशनों में विद्युत की हिस्सेदारी पर पृष्ठभूमि-पत्र तैयार करने के लिए फरवरी, 1999 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक समिति का गठन किया गया था। इस मामले में समिति ने संबंधित राज्यों के विचार आमंत्रित किए थे। अपने दावों के समर्थन में राजस्थान, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न बिन्दुओं का विश्लेषण करने के पश्चात और पंजाब सरकार के विचारों के अभाव में समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह सभी संबंधित राज्यों के सर्वोत्तम हित में होगा कि वे पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों और भारत सरकार के बीच दिनांक 10.05.1984 को किए गए करार पर अनुपालन करें।

(ग) और (घ): पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों तथा भारत सरकार के बीच दिनांक 10.05.1984 को हुए करार में यह सहमति हुई थी कि आनंदपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट, मुकेरियन हाइडल प्रोजेक्ट, थीन डैम प्रोजेक्ट, यूबीडीसी चरण-II और शाहपुर काण्डी हाइडल स्कीम में विद्युत की हिस्सेदारी के लिए हरियाणा और राजस्थान द्वारा किए गए दावों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए मामले को संदर्भित करेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय से यह राय ली जानी थी कि क्या राजस्थान और हरियाणा इन हाइडल स्कीमों से उत्पादित विद्युत की हिस्सेदारी के पात्र हैं और यदि वे पात्र हैं तो प्रत्येक राज्य का हिस्सा कितना होगा।

तथापि, उसके पश्चात पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच दिनांक 29-30 जुलाई, 1992 और 6 अगस्त, 1992 को विचार-विमर्श हुआ और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय में संदर्भित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय भी लिया गया था कि संबंधित राज्य पारस्परिक परामर्श से यथोचित सहमति पर पहुंचेंगे। मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कई औपचारिक एवं अनौपचारिक बातचीत की गई। तथापि, पणधारी राज्यों के अलग-अलग मतों के कारण अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2221

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

अवसंरचना की कमी

2221. कुँवर हरिवंश सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में अवसंरचना का अभाव और टरबाइन, बॉयलर और जेनरेटर जैसे उपकरणों की कमी देश में विद्युत संकट के प्रमुख कारण हैं; और
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में विद्युत संकट से निपटने के लिए आवश्यक अवसंरचना बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): देश में विद्युत संकट, टरबाइन बायलरों और जेनरेटरों जैसे उपस्कर की कमी, मुख्य बाधा और प्रमुख कारण नहीं हैं ।

जहां तक अवसंरचना का संबंध है, उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

- (i) गैर विद्युतीकृत गांव/वासस्थलों तथा आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों/ वासस्थलों में भी ग्रामीण विद्युत अवसंरचना का सृजन करने के जरिए ग्रामीण आवासों को विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आरजीजीवीवाई शुरू की गई थी ।
- (ii) पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों - 30,000 से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों और शहरों (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000) में एटीएण्डसी हानि में कमी करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2225

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

यूएमपीपी का कार्यान्वयन

2225. श्री पी.सी. मोहन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सरगुजा (छत्तीसगढ़) भेडा बहल (ओडीशा) और चेयुर (तमिलनाडु) में बहुत दिनों से लंबित पड़ी अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) को शीघ्र शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक के द्वारा कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किए जाने की उम्मीद है;
- (ग) क्या सरकार नई मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए नया मानक बोली दस्तावेज प्रकाशित करने पर विचार कर रही है;
- (घ) क्या सरकार ने चेयुर यूएमपीपी को पर्याप्त ईंधन प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या चेयुर यूएमपीपी के विकासकर्ता के चयन के लिए अर्हता अनुरोध जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सरगुजा (छत्तीसगढ़) में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) का निष्पादन कोयला ब्लॉक के आवंटन पर निर्भर करता है। ओडीशा और तमिलनाडु में दो अन्य यूएमपीपी के संबंध में प्रस्ताव हेतु अनुरोध पहले ही जारी किया जा चुका है। प्रत्येक परियोजना की क्षमता 4000 मेगावाट है।

(ग) : सरकार अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के लिए संशोधित मानक बोली दस्तावेज (एमबीडी) पहले ही निकाल चुकी है। यूएमपीपी के लिए नए एसबीडी, जिन्हें मानक बोली दस्तावेज (एमबीडी) के नाम से जाना जाता है, विभिन्न पणधारियों के परामर्श से मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के अनुमोदन से दिनांक 20 सितम्बर, 2013 से अधिसूचित किए गए हैं।

(घ) : चेयूर यूएमपीपी आयातित कोयले पर आधारित है। तटीय स्थल पर यूएमपीपी की धारणा के अनुसार, सफल बोलीदाता को अपने स्वयं के स्रोत से आयात किए गए कोयले की व्यवस्था करनी होती है।

(ङ) : चेयूर यूएमपीपी के लिए पात्रता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) दिनांक 26.09.2013 को जारी किया गया था। 8 बोलीदाताओं से आवेदन प्राप्त हुए थे और दिनांक 28.11.2013 को खोले गए थे। सभी बोलीदाता आरएफपी स्टेज के लिए अर्हक थे। परियोजना के लिए आरएफपी दिनांक 27.12.2013 से अर्हक बोलीदाताओं के लिए बिक्री हेतु रखे गए थे।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2226

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत की खपत

2226. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुनिया के अन्य विकसित देशों की तुलना में अपने देश में विद्युत की प्रति व्यक्ति औसतन खपत कितनी है; और

(ख) प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि करने के लिए विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में वर्ष 2011-12 के लिए प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 883.63 किलोवाट-घण्टा (केडब्ल्यूएच) थी और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 के लिए विश्व के कुछ विकसित देशों में सदृश प्रति व्यक्ति विद्युत खपत नीचे दी गई है:

क्रम सं.	देश	प्रति व्यक्ति विद्युत खपत (केडब्ल्यूएच)
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	13227
2.	ऑस्ट्रेलिया	10514
3.	जापान	7847
4.	रूस	6533
5.	यूनाइटेड किंगडम	5518

देश में वर्ष 2012-13 के लिए प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 914.41 केडब्ल्यूएच है।

(ख) : प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम/उठाए जा रहे कदम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार हैं:

- (i) 12वीं योजना के दौरान, पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 30,000 मेगावाट के प्रस्तावित लक्ष्य सहित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तीव्रता लाना ।
- (ii) विद्युत की निकासी के लिए अंतरराज्यीय और अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता के सुदृढीकरण के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाना ।
- (iii) उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ बनाने के लिए और कृषि संबंधी फीडरों के पृथक्करण के लिए इस वर्ष के बजट में एक नई योजना की घोषणा की गई है ।
- (iv) कार्यान्वयन के अधीन विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय और वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का शीघ्र समाधान करना ।
- (v) ताप संयंत्रों द्वारा बढ़े हुए उत्पादन के लिए कोयला के आयातों के माध्यम से घरेलू कोयले की उपलब्धता की कमी को पूरा करना ।
- (vi) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन के उपायों का संवर्धन करना ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2228

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड का सामयिकीकरण करना

2228. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राईट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) से संबंधित मुद्दों के कारण देश के अन्य भागों के साथ दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड के सामयिकीकरण के कार्य में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा अपनी संविदागत अनुसूची से 5 माह पहले 765 केवी रायचूर-सोलापुर लाइन का प्रथम सर्किट चालू करने के साथ दिनांक 31.12.2013 को दक्षिणी ग्रिड को शेष देश के साथ पहले ही सिंक्रोनाइज किया जा चुका है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2238

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन

2238. श्री एम. उदयकुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऐसी नवाचारी प्रविधियों पर कार्य कर रही है जिनसे विद्युत-प्रशुल्क में वृद्धि किए बिना, विद्युत उत्पादन में दो खरब (दो ट्रिलियन) यूनिट तक की वृद्धि कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दो ट्रिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : उत्पादन स्टेशनों द्वारा विद्युत आपूर्ति के प्रशुल्क का निर्धारण उपयुक्त आयोग द्वारा किया जाता है। तथापि, दक्ष विद्युत उत्पादन प्रौद्योगिकी जैसे उत्पादन लागत को कम करने के लिए सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया है।

18वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) की रिपोर्ट के अनुसार 13वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त (2021-22) में प्रक्षेपित विद्युत ऊर्जा आवश्यकता लगभग 1.9 ट्रिलियन यूनिट होने की आशा है। तथापि, विद्युत का वास्तविक उत्पादन विद्युत की वास्तविक मांग पर निर्भर करेगा।

इसे प्राप्त करने के लिए, 12वीं योजना के दौरान परम्परागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 30,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है और 13वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार परम्परागत स्रोतों से लगभग 86,400 मेगावाट और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार परम्परागत स्रोतों से लगभग 30,500 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि होगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2242

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

निर्माण-कार्य बंद करना

2242. श्री जोस के. मणि:

श्री थोरा नरसिम्हम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक जल-विद्युत परियोजनाओं को समाप्त कर दिया गया है अथवा उनका निर्माण-कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का उनकी अनुमानित विद्युत उत्पादन-क्षमता सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका कार्य बंद किए जाने के परियोजना-वार क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : केन्द्रीय क्षेत्र में मैसर्स-एनटीपीसी लिमिटेड की तीन जल विद्युत परियोजनाएं नामतः लोहरीनाग पाला (600 मेगावाट), पाला मनेरी (480 मेगावाट) को सीईए द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है और इसे राज्य क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने की योजना है तथा आयोजना चरण के तहत भैरोंघटी (381 मेगावाट) का कार्य भारत सरकार के दिनांक 01.12.2010 के पत्र के तहत नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी (एनजीआरबीए) द्वारा रोक दिया गया है। ये सभी तीन जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखण्ड में हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड ने 2009 की याचिका संख्या 15 तथा 2008 की याचिका संख्या 532 में अपने दिनांक 18.05.2009 के आदेशों के तहत एनजीबीआरए को तीनों जल विद्युत परियोजनाओं नामतः

लोहरीनाग पाला, पाला मनेरी तथा भैरोंघाटी से जुड़े सभी मुद्दों पर निर्णय लेने का निदेश दिया था अर्थात क्या वह इन परियोजनाओं पर कार्य जारी रखना चाहता है या नहीं।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2010 को संपन्न एनजीआरबीए की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी और भागीरथी पर स्थित इन तीनों जल विद्युत परियोजनाओं को रोके जाने का निर्णय लिया गया था।

(घ): एनटीपीसी लिमिटेड की लोहरीनाग पाला जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) के संबंध में इस परियोजना को उत्तराखण्ड सरकार को हस्तांतरित किए जाने की औपचारिकताओं पर सुझाव देने, परियोजना स्थल सुरक्षा उपायों से निपटने तथा दावों के निपटारे को सुविधाजनक बनाने के लिए दिसम्बर 2011 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2245

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

गैस-आधारित विद्युत संयंत्र

2245. श्री प्रेम सिंह चंदमाजरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों से देश में स्थित गैस-आधारित विद्युत संयंत्र अपनी अधिव्यपिता क्षमता का मात्र 50 प्रतिशत ही उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन संयंत्रों में कम विद्युत-उत्पादन का एक कारण, इन संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत का क्रेता का उपलब्ध न होना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हां।

(ख) और (ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान गैस आधारित विद्युत केन्द्रों का औसत संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) निम्नवत है-

वर्ष	पीएलएफ %
2011-12	59.94
2012-13	40.33
2013-14	24.85
2014-15 (जून तक) *	23.75

* अनंतिम

कम उत्पादन का मुख्य कारण कृष्णा गोदावरी धीरूभाई-6 (केजीडी-6) बेसिन से गैस की अपर्याप्त उपलब्धता है। गैस आधारित उत्पादक केन्द्र रिगैसीफाइड लिक्विफाइड नैचुरल गैस (आरएलएनजी) पर भी चल सकते हैं। यद्यपि आरएलएनजी की आयातित लागत से उत्पादित विद्युत की अंतिम लागत इतनी अधिक कर देगी कि उसको बिक्री के लिए शेड्यूल करना कठिन हो जाएगा।

(क) : गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) द्वारा की गई कार्रवाई नीचे दी जा रही है:

एमओपीएंडएनजी ने व्यापक जनहित को पूरा करने के लिए एक ही स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्रों के बीच गैस की क्लबिंग/डायवर्जन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि विद्युत उत्पादन में समनुरूपी वृद्धि करने सहित संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) में सुधार करने के लिए उपलब्ध गैस का और दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा सके। एमओपीएंडएनजी ने भी एनर्जी पैरिटी आधार पर दो पक्षों के बीच प्राकृतिक गैस की स्वेपिंग के लिए दिनांक 14.03.2012 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) ने अपनी 23.08.2013 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया था कि उर्वरक क्षेत्र को आपूर्ति 31.5 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एमएमएससीएमडी) के प्रतिदिन स्तर तक बनाए रखा जाए तथा उर्वरक क्षेत्र को 31.5 एमएमएससीएमडी तक आपूर्ति स्तर को पूरा करने के बाद सभी अतिरिक्त क्यू एम्प्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी (एनईएलपी) गैस, यदि कोई हो तो उसकी आपूर्ति वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान विद्युत क्षेत्र को की जाए।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2248

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत लक्ष्य

2248. श्री चाँद नाथः

श्री पी.पी. चौधरीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान इसके अंतर्गत शामिल की जाने वाली जनसंख्या की सीमा के संदर्भ में गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में दुर्गम स्थलों पर स्थित 100 व्यक्तियों से कम जनसंख्या वाले गांवों को बिजली उपलब्ध कराये जाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
- (ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया/किये जाने का प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 100 से अधिक आबादी वाले सभी जनगणना गांवों और वासस्थलों और संबंधित राज्य डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तावित किए गए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत शामिल करने के लिए लक्षित है। शेष बचे गांवों को शामिल करने के लिए, भारत सरकार ने सितम्बर, 2013 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आरजीजीवीवाई को जारी रखने का अनुमोदन किया है जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 12,468 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए 273 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

(ख) से (घ) : आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में 25,397 गांवों के गहन विद्युतीकरण और 4,43,757 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने को शामिल करते हुए 28 परियोजनाएं संस्वीकृत की जा चुकी हैं।

आरजीजीवीवाई के वर्तमान 12वीं योजना दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वासस्थलों जिनकी जनसंख्या 100 और उससे अधिक है, इस स्कीम के अंतर्गत विद्युतीकृत किए जाने के लिए पात्र हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2267

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करना

2267. श्री आर. धुवनारायणः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उनके राज्यों में विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों और केंद्र सरकार से अनुमोदन के लिए अभी तक लंबित प्रस्तावों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) प्रस्तावों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों के कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार नई ताप विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए अब केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति अपेक्षित नहीं है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2014 तक) के दौरान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सहमति प्रदान करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं के लिए, 41 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्राप्त हुई थीं। इन परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

उपर्युक्त 41 जल विद्युत परियोजनाओं में से 11 डीपीआर सभी इनपुट्स की व्यवस्था करने के बाद पुनः प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों को वापिस कर दिए गए क्योंकि डीपीआर सभी दृष्टि से पूर्ण नहीं थे।

(ख) : इस अवधि में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं की 21 डीपीआर पर सहमति प्रदान की गई है और 19 डीपीआर अभी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास हैं।

(ग) और (घ) : विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जांच में विभिन्न पहलुओं जैसे हाइड्रोलॉजी, बांध का डिजाइन और सुरक्षा, सिविल ढांचों का डिजाइन-जैसे वाटर कंडक्टर सिस्टम, पावर हाउस, सर्ज शाफ्ट, विद्युत सम्भाव्यता अध्ययन, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल डिजाइन, भू-विज्ञान, विद्युत निकासी, निर्माण सामग्री और लागत आदि का मूल्यांकन शामिल होता है। उपर्युक्त पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)/जल संसाधन मंत्रालय(एमओडब्ल्यूआर)/केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएसएमआरएस) तथा भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण (जीएसआई) से परामर्श करता है। डीपीआर की जाँच मूल्यांकनकर्ता समूह, विकासकर्ता और संबंधित राज्य सरकार के बीच एक पारस्परिक संवाद की प्रक्रिया है। तदनुसार, लंबित डीपीआर को आवश्यक सूचना और आंकड़े संतोषजनक ढंग से प्रस्तुत करने के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2267 के विवरण के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2014 तक) के दौरान सहमति प्राप्त करने/मूल्यांकन करने के लिए सीईए में प्राप्त हाइड्रो इलैक्ट्रिक स्कीमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

क्रम सं.	स्कीम का नाम	क्षेत्र	मेगावाट	डीपीआर प्राप्ति की तिथि	अभ्युक्तियां
	जम्मू व कश्मीर				
1	किरथई-II	राज्य	990	अप्रैल, 2011	सीईए द्वारा वापिस किया गया
2	रत्ने	निजी	850	मई, 2012	19.12.2012 को सहमति दी गई
3	न्यू गंदरवाल	राज्य	93	अक्टूबर, 2012	10.06.2014 को सहमति दी गई
4	क्वर	संयुक्त उद्यम	560	जुलाई, 2012	सीईए के पास
5	कीरू	संयुक्त उद्यम	660	अगस्त, 2012	सीईए के पास
6	किरथई-I	राज्य	390	जनवरी, 2013	सीईए के पास
7	स्वालकोट	राज्य	1856	जनवरी, 2014	सीईए के पास
	हिमाचल प्रदेश				
8	मियार	निजी	120	अप्रैल, 2011	07.02.2013 को सहमति दी गई
9	सेली	निजी	400	दिसंबर, 2011	सीईए के पास
10	बारा बंधाल	निजी	200	जून, 2011	सीईए द्वारा वापिस किया गया
11	छतरू	निजी	126	अप्रैल, 2012	सीईए के पास
12	सच खास	निजी	267	जनवरी, 2013	सीईए के पास
13	लूहरी	केंद्रीय	601	मार्च, 2013	सीईए के पास
14	चांगो यांगथांग	निजी	180	नवंबर, 2013	31.03.2014 को सहमति दी गई
	उत्तराखण्ड				
15	देवसरी	केंद्रीय	252	अक्टूबर, 2011	07.08.2012 को सहमति दी गई
16	बोवला नंद प्रयाग	राज्य	300	अगस्त, 2012	सीईए के पास
17	जेलम टमक	केंद्रीय	108	दिसंबर, 2012	सीईए के पास
	बिहार				
18	दगामारा	राज्य	130	अप्रैल, 2012	सीईए के पास
	अरुणाचल प्रदेश				
19	हीरोंग	निजी	500	मई, 2011	10.04.2013 को सहमति दी गई
20	इटालिन	निजी	3097	फरवरी, 2012	12.07.2013 को सहमति दी गई
21	नेईग	निजी	1000	मई, 2011	11.09.2013 को सहमति दी गई
22	गोंगरी	निजी	144	जुलाई, 2011	04.02.2013 को सहमति दी गई
23	पेमाशेलफू	निजी	90	जुलाई, 2011	सीईए द्वारा वापिस किया गया
24	हुटोंग -II	निजी	1200	फरवरी, 2012	सीईए द्वारा वापिस किया गया
25	कलाई-I	निजी	1352	जनवरी, 2012	सीईए द्वारा वापिस किया गया
26	कलाई-II	निजी	1200	अप्रैल, 2012	08.01.2014 को सहमति दी गई
27	जिमलियांग	निजी	80	अप्रैल, 2012	सीईए द्वारा वापिस किया गया
28	रायगम	निजी	141	अप्रैल, 2012	सीईए द्वारा वापिस किया गया

29	डेम्चे अपर	निजी	1080	जुलाई, 2012	सीईए के पास
30	टगुरशिट	निजी	74	जुलाई, 2012	सीईए द्वारा वापिस किया गया
31	न्यूकचारोंग छू	निजी	267	जनवरी, 2013	सीईए के पास
32	टाटो-I	निजी	186	मई, 2013	सीईए के पास
33	कांगटांग शिहरी	निजी	80	मई, 2013	सीईए द्वारा वापिस किया गया
34	हियो	निजी	240	जुलाई, 2013	सीईए के पास
35	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	निजी	1800	अक्टूबर, 2013	सीईए के पास
36	मोगोचू	निजी	96	अक्टूबर, 2013	सीईए द्वारा वापिस किया गया
	असम				
37	लोअर कोपिली	राज्य	120	मार्च, 2013	सीईए के पास
	मेघालय				
38	किशी-I	निजी	270	फरवरी, 2013	सीईए के पास
39	उम्नगोट	राज्य	240	मार्च, 2013	सीईए के पास
	नागालैंड				
40	डिक्खू	निजी	186	अप्रैल, 2012	31.03.2014 को सहमति दी गई
	कर्नाटक				
41	शिवासमुद्रम	राज्य	345	अप्रैल, 2012	सीईए द्वारा वापिस किया गया
	सकल योग		21871		

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2277

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

राज्य विद्युत निरीक्षणालय द्वारा शुल्क वसूली

2277. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विभिन्न विद्युत उपकरणों की जांच और निरीक्षण के लिए राज्य विद्युत निरीक्षणालय द्वारा शुल्क वसूली के मामले पर कोई कदम उठाया है, चूंकि राज्य विद्युत निरीक्षणालय वर्तमान में परीक्षण और निरीक्षण शुल्क वसूलने में सक्षम नहीं हैं जिससे राज्य सरकारों पर वित्तीय भार पड़ता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार संबंधित राज्य विद्युत निरीक्षणालयों द्वारा विभिन्न विद्युत उपकरणों के परीक्षण और निरीक्षण की पूर्व प्रक्रिया की बहाली के लिए अधिनियमों और नियमों में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव करती है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम, 2003 राज्यों के साथ परामर्श से बनाया गया था। भारतीय विद्युत नियम, 1956 जो लागू थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निरीक्षण प्रभार लगाने की व्यवस्था की गई थी, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत नए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के बनाए जाने के पश्चात, 24 सितंबर, 2010 से निरस्त कर दिए गए। इस संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 में विशिष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नए विनियमों में शुल्क लगाने के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया था। विधि मंत्रालय का विचार है कि शुल्क लगाने के ऐसे प्रावधान के लिए उपयुक्त विधायी प्रावधानों की आवश्यकता होगी। तदनुसार, राज्य विधायिका निरीक्षण प्रभार लगाने इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति से कानून बना सकता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2280

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

रामागुंडम में विद्युत संयंत्रों का विस्तार

2280. श्री बंडारू दत्तात्रेयः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार रामागुंडम में विद्युत संयंत्र को विस्तारित करने को प्रस्तावित करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : प्रत्येक 660 मेगावाट की दो इकाइयों की अभिवृद्धि करके एनटीपीसी के मौजूदा 2600 मेगावाट के रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन का विस्तार कोयला लिंकेज की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2301

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

बीबीएमबी

2301. कर्नल सोनाराम चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नई दिल्ली में 26 जुलाई 1986 को हुए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा नामांकित पूर्ण कालिक सदस्यों और बीबीएमबी में नियुक्त/तैनात सचिवों और विशेष सचिवों के नाम क्या हैं और किस अवधि तक वे नियुक्त रहे तथा किन राज्यों से वे संबंध रखते हैं;
- (ग) क्या राजस्थान के मुख्य भागीदार होने के बावजूद भी उसे समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है और इस समय बीबीएमबी सचिवालय का प्रतिनिधित्व केवल संयुक्त पंजाब के उत्तराधिकारी राज्यों से संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है जैसा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में उल्लिखित है;
- (घ) यदि हां तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या राजस्थान से बोर्ड के सचिव को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त की समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हां। बोर्ड अर्थात् सदस्य (विद्युत) और सदस्य(सिंचाई) तथा बोर्ड सचिवालय अर्थात् सचिव एवं अपर सचिव (अब विशेष सचिव के रूप में पदनामित) के लिए नियुक्तियों के युक्तिकरण से संबंधित मामले पर दिनांक

26.7.1986 को आयोजित बोर्ड की 122वीं बैठक में चर्चा की गई थी लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन पाई थी ।

(ख) : पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 (2) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में दो पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है । पारंपरिक रूप से इन सदस्यों की नियुक्ति पंजाब और हरियाणा से की जाती है । वर्ष 1986 से सदस्य (विद्युत) और सदस्य (सिंचाई) की नियुक्ति का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है । वर्ष 1986 से सचिव और विशेष सचिव की नियुक्ति का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-III और अनुबंध-IV में दिया गया है ।

(ग) से (घ) : पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार संयुक्त पंजाब राज्य के उत्तरवर्ती राज्य केवल पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हैं, जबकि बीबीएमबी सचिवालय में बीबीएमबी के साझेदार राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से लिए गए अधिकारी शामिल हैं।

(ङ) : सचिव के पद पर नियुक्ति एक प्रशासनिक निर्णय है जिसे बीबीएमबी नियमावली, 1974 के नियम 9 के अनुसार बीबीएमबी/अध्यक्ष, बीबीएमबी द्वारा लागू किया जाना है। राजस्थान सरकार राजस्थान से बीबीएमबी के सचिव की नियुक्ति किए जाने की मांग उठा रही है। वर्तमान में राजस्थान से सचिव बीबीएमबी की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि सचिव का पद रिक्त नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2301 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बीबीएमबी में सदस्य (विद्युत) का पदधारिता चार्ट

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (अभियंता)	मूल राज्य	अवधि
1.	एन.एस. फ्रेवल	पंजाब	4.12.85 से 13.5.88
2.	रिक्त	पंजाब	14.5.88 से 2.8.88
3.	इंद्रजीत सिंह कालरा	पंजाब	3.8.88 से 30.6.90
4.	मेजर जनरल पी.के. गुप्ता, अध्यक्ष	भारत सरकार	1.7.90 से 22.8.90 (अतिरिक्त प्रभार)
5.	ओ.पी. जैन	पंजाब	23.8.90 से 12.8.91
6.	मेजर जनरल पी.के. गुप्ता, अध्यक्ष	भारत सरकार	12.8.91 से 18.8.92 (अतिरिक्त प्रभार)
7.	नीरवैर सिंह	पंजाब	18.8.92 से 31.5.93
8.	मेजर जनरल पी.के. गुप्ता, अध्यक्ष	भारत सरकार	31.5.93 से 17.11.93
9.	बी.के. सैनी	पंजाब	17.11.93 से 31.3.94
10.	मेजर जनरल पी.के. गुप्ता, अध्यक्ष	भारत सरकार	31.3.94 से 26.4.94 (अतिरिक्त प्रभार)
11.	आर.के. अग्रवाल	पंजाब	26.4.94 से 30.11.96
12.	मेजर जनरल पी.के. गुप्ता, अध्यक्ष	भारत सरकार	30.11.96 से 31.8.97 (अतिरिक्त प्रभार)
13.	सतीश मित्तल	पंजाब	17.3.98 से 1.11.98
14.	एस.पी. शर्मा	पंजाब	2.11.98 से 3.11.2000
15.	आर.आर. ओबराय, अध्यक्ष	भारत सरकार	4.11.2000 से 24.4.2001 (अतिरिक्त प्रभार)
16.	अमरीक सिंह	पंजाब	25.4.2001 से 28.2.2003
17.	राकेश नाथ, अध्यक्ष	भारत सरकार	1.3.2003 से 1.1.2004 (अतिरिक्त प्रभार)
18.	एस.सी. महाजन	पंजाब	2.1.2004 से 29 .8.2006
19.	अमरीक सिंह, सीई	पंजाब	13.10.2006 से 14.11.2006
20.	एन.के. अरोरा	पंजाब	28.11.2006 से 3.12.2008
21.	यू.सी. मिश्रा, अध्यक्ष	भारत सरकार	5.12.2008 से 29.4.2009 (अतिरिक्त प्रभार)
22.	वी.बी. बस्सी	पंजाब	30.4.2009 से 5.02.2011
23.	अशोक थापर	पंजाब	21.02.2011 से आज तक

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बीबीएमबी में सदस्य (सिंचाई) का पदधारिता चार्ट

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (अभियंता)	मूल राज्य	अवधि
1.	ओ.पी. दत्ता	हरियाणा	9/83 से 8/86
2.	बी.सी. मल्होत्रा	हरियाणा	4.9.86 से 30.4.88
3.	रिक्त	-	1.5.88 से 22.7.88
4.	पी.ए. कपूर	हरियाणा	23.7.88 से 1.1.92
5.	डी.आर. लूथरा	हरियाणा	1.1.92 से 31.12.94
6.	मेजर जनरल पी.के. गुप्ता	-	31.12.94 से 18.7.93 पूर्वाहन (अतिरिक्त प्रभार)
7.	विठ्ठल राम	हरियाणा	18.7.95 से 31.8.96
8.	मेजर जनरल पी.के. गुप्ता	-	31.8.96 से 15.4.97 (अतिरिक्त प्रभार)
9.	आर.एन. अग्रवाल	हरियाणा	15.4.97 से 28.2.98
10.	एच.एस. ग्रेवाल	हरियाणा	17.3.98 से 18.6.98 (देखभाल)
11.	जे.एल. गंभीर	हरियाणा	18.6.98 से 4.9.98
12.	आर.एन. अग्रवाल	हरियाणा	4.9.98 से 27.4.2000
13.	आर.आर. ओबराय	-	27.4.2000 से 23.6.2000 (अतिरिक्त प्रभार)
14.	एस.के. दुग्गल	हरियाणा	23.6.2000 से 24.11.2002
15.	बलबीर सिंह	हरियाणा	5.3.2003 से 29.12.2005
16.	अनिल अरोरा	हरियाणा	4.1.2006 से 5.7.2006/5.7.2006 से 17.9.2008, 31.12.2008 तक बढ़ाया गया है
17.	एम.के. गुप्ता	हरियाणा	31.12.2008 से 08.07.2011
18.	ए.बी. अग्रवाल	-	09.07.2011 से 26.8.2011 (अतिरिक्त प्रभार)
19.	एस.एल. अग्रवाल	हरियाणा	26.8.11 पूर्वाहन से आज तक

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2301 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बीबीएमबी में सचिव का पदधारिता चार्ट

क्रम सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री	मूल राज्य	अवधि
1.	ओ.आर. मेहता	पंजाब	मई-82 से जुलाई-86
2.	पी.सी. गांधी	राजस्थान	सितंबर-86 से मार्च-87
3.	के.टी. सुखानी	राजस्थान	मई-87 से सितंबर-87
4.	ए.सी. मेहता	राजस्थान	मार्च-88 से दिसंबर-88
5.	के.जी. अग्रवाल (अतिरिक्त प्रभार)	पंजाब	दिसंबर-88 से मार्च-90
6.	जे.सी. मक्कर	राजस्थान	मार्च-90 से अगस्त-91
7.	एस.पी. शर्मा	राजस्थान	सितंबर-91 से अप्रैल-95
8.	के.वी.एस. ठाकुर (अतिरिक्त प्रभार)	पंजाब	अप्रैल-95 से जनवरी-1997
9.	के.जी. अग्रवाल	पंजाब	फरवरी-97 से अगस्त-98
10.	के.वी.एस. ठाकुर (अतिरिक्त प्रभार)	पंजाब	सितंबर-98 से मई-99
11.	के.वी.एस. ठाकुर	पंजाब	मई-99 से अक्टूबर-2000
12.	एस.बी. सारावगी	राजस्थान	अक्टूबर-2000 से अक्टूबर-2001
13.	के.वी.एस. ठाकुर	पंजाब	अक्टूबर-2001 से मई-2002
14.	अनिल अरोरा	हरियाणा	जून-2002 से जुलाई-06
15.	पी.एस. तुलसी	राजस्थान	जुलाई-06 से फरवरी-07
16.	एम.एल. गुप्ता	पंजाब	फरवरी-07 से मार्च-07
17.	आर.सी. महाजन	हरियाणा	मार्च-07 से 10.07.2009
18.	एच.के. गुप्ता	हरियाणा	10.07.2009 से 31.10.2012
19.	आर.एस. जल्टा (अतिरिक्तप्रभार)	हिमाचल प्रदेश	1.11.2012 से 21.3.2013
20.	अशोक गुप्ता	हरियाणा	21.03.2013 से आज तक

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2301 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बीबीएमबी में विशेष सचिव का पदधारिता चार्ट

क्रम सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री	मूल राज्य	अवधि
1.	वाई.पी. कुमार	हरियाणा	02-08-1982 से 14-05-1987
2.	डी.आर. सूद	हरियाणा	15-05-1987 से 25-05-1990
3.	एस.एस. गुप्ता	हरियाणा	28-08-1990 से 26-01-1992
4.	एन.सी. सिंघल	हरियाणा	27-01-1992 से 27-01-1996
5.	आई.सी. शर्मा	हरियाणा	27-01-1996 से 31-01-2003
6.	मनमोहन सिंह	हरियाणा	31-01-2003 से 07-12-2005
7.	आर.के. सहगल	हरियाणा	07-12-2005 से 12-07-2006
8.	आर.सी. महाजन	हरियाणा	12-07-2006 से 30-03-2007
9.	आर.के. सहगल	हिमाचल प्रदेश	30-03-2007 से 31-05-2008
10.	एस.के. शर्मा	हिमाचल प्रदेश	02-06-2008 से 3.3.2012 एग्
11.	एच.के. गुप्ता, सचिव	हरियाणा	अतिरिक्त प्रभार 13.3.12 से 2.4.2012 पूर्वाहन तक प्रभावी
12.	आर.एस. जल्टा	हिमाचल प्रदेश	3.4.2012 से आज तक

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2303

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2303. श्री निनोंग इरिंग:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पहल की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र की कम्पनियों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इन निजी क्षेत्र की कम्पनियों के कार्यकरण पर नियंत्रण रखने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ । प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की खरीद को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजन से सरकार ने प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं । दीर्घावधिक एवं मध्यावधिक विद्युत क्रय करार के अधीन विद्युत की खरीद के लिए मानक बोली दस्तावेजों को थर्मल पावर प्रोजेक्टों के विकास के लिए मामला-I और मामला-II बोली हेतु जारी किया गया था । भारत सरकार ने वर्ष 2008 में हाइड्रो पावर पॉलिसी को अधिसूचित किया था, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया गया है । भारत सरकार ने पारेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ 6 जनवरी, 2006 को

प्रशुल्क नीति अधिसूचित की है । तत्पश्चात, प्रशुल्क नीति के उपर्युक्त प्रावधानों में दिनांक 8 जुलाई, 2011 के संकल्प द्वारा आशोधित किया गया है ।

(ख) : कुल 24,300 मेगावाट की मामला-II प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली परियोजनाओं के माध्यम से तैयार की जा रही थर्मल पावर परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है । पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (2011-12 से 2014-15, जून, 2014 तक) के दौरान सीईए द्वारा सहमति प्राप्त निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है । वर्ष 2013-14 तक टीबीसीबी मार्ग के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है । टीबीसीबी मार्ग के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वर्ष 2014-15 के दौरान अधिसूचित पारेषण स्कीमों का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है ।

(ग) और (घ) : विद्युत का उत्पादन डीलाइसेंसड गतिविधि है और इस पर नियंत्रण उपयुक्त आयोग द्वारा प्रशुल्क के निर्धारण की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है । विद्युत का पारेषण लाइसेंसी गतिविधि है । इसलिए उपयुक्त आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन लाइसेंस की शर्तों का निर्धारण करके इस प्रकार की निजी कंपनियों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण करता है ।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2303 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मामला-II प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अधीन कवर थर्मल पावर प्रोजेक्टों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्थान	क्षमता (मेगावाट)
	हरियाणा		
1.	झज्जर	जिला झज्जर	2x660
	पंजाब		
2.	तलवंडी साबो	जिला मंसा	3x660
3.	राजपुरा	राजपुरा जिला पटियाला	2x660
	राजस्थान		
4.	बांसवाड़ा टीपीपी	जिला बांसवाड़ा	2x660
	मध्य प्रदेश		
5.	शहपुरा	जिला जबलपुर	2x660
	उत्तर प्रदेश		
6.	अनपरा 'सी'	जिला सोनभद्र	2x600
7.	बारा	जिला इलाहाबाद	3x660
8.	करछना	जिला इलाहाबाद	2x660
9.	जवाहरपुर टीपीपी	जिला एटा	2x660
10.	दोपाहा टीपीपी	जिला सोनभद्र	3x660
11.	यमुना एक्सप्रेस-वे	जिला बुलंदशहर	3x660
	छत्तीसगढ़		
12.	भैयाथां	जिला सरगुजा	2x660
	महाराष्ट्र		
13.	महाराष्ट्र इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन	जिला भद्रावती	2x660
14.	धोपेव टीपीपी	जिला रत्नागिरी	3x660
	कर्नाटक		
15.	गुलबर्ग टीपीपी	जिला गुलबर्ग	2x660
16.	घाटप्रभा	जिला बेलगौम	2x660
	कुल (मेगावाट)		24,300

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2303 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (2011-12 से 2014-15 जून, 2014 तक) निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	स्कीम	राज्य	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता	
				यूनिट x मेगावाट	मेगावाट
	निर्माणाधीन				
1	बजोली होली	एच.पी.	मैसर्स जीएमआर बजोली होली एचपीपीएल	3x60	180
2	रत्ले	जे एण्ड के	मैसर्स रत्ले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पीपीएल	4x205+1x30	850
	निर्माण के लिए लिया जाना अभी बाकी है				
3	मियार एचईपी	एच.पी.	मैसर्स एमएचपीसीएल	3x40	120
4	टाटो-II	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स टाटो हाइड्रो पावर प्रा. लि.	4x175	700
5	गोंगरी	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स डीईपीएल	2x72	144
6	हीरोंग	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स जेएपीएल	4x125	500
7	इटालियन	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स ईएचईपीसीएल	10x307+1x19.6+1x7.4	3097
8	टलोंग लोंडा	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स जीएमआर एनर्जी लि	3x75	225
9	नेईंग	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स डीएससीएनपीपीएल	4x250	1000
10	सियोम	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स सियोम हाइड्रो पावर प्रा. लि.	6x166.67	1000
11	चांगो यांगथांग	एच.पी.	मैसर्स एमपीसीएल	3x60	180
12	दिखू	नागालैंड	मैसर्स मनु एनर्जी सिस्टम प्रा. लि.	3x62	186
13	कलई-II*	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स केपीपीएल	5x190+1x190+1x60	1200
	कुल				9382

(*): सहमति बैठक आयोजित की जा चुकी है और पत्र अभी जारी किया जाना है।

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2303 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

निजी क्षेत्र की कंपनियों की आज की तिथि तक अवार्ड की गई पारेषण स्कीमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता: आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	नॉर्थ करणपुरा पारेषण प्रणाली	मैसर्स रिलायंस पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अवार्ड की गई।
2	तालचेर-II संवर्द्धन प्रणाली	मैसर्स रिलायंस पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अवार्ड की गई।
3	रायचूर-शोलापुर पारेषण लाइन	कंसटियम ऑफ मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड - मैसर्स बीएस ट्रांसकॉम लिमिटेड और मैसर्स सिम्प्लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अवार्ड की गई।
4	वेमागिरी क्षेत्र की आईपीपी के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली: पैकेज-क	मैसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अवार्ड की गई।
5	पूर्वी क्षेत्र से विद्युत के आयात के लिए दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली का सुदृढीकरण	मैसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अवार्ड की गई।
6	एनटीपीसी लिमिटेड के कुडगी टीपीएस(3x800 मेगावाट चरण-I में) से विद्युत के निकास के लिए अपेक्षित पारेषण प्रणाली ।	मैसर्स एल एण्ड टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को अवार्ड की गई।
7.	ऊंचाहार टीपीएस का एटीएस	मैसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अवार्ड की गई।
8.	बैरासुल एचईपी - सरना 220 केवी लाइन	वन के कारण परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए संशोधित होने के कारण बोली की प्रक्रिया रद्द कर दी गई। उत्तरी क्षेत्र के संघटकों ने परियोजना के कार्यान्वयन को छोड़ देने का निर्णय लिया।
9.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना, एनआरएसएस-XXIX	स्टैरलाईट टैक्नोलॉजी लिमिटेड को अवार्ड की गई
10.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना, एनआरएसएस-XXXI (भाग-क)	मैसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अवार्ड की गई।
11.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना, एनआरएसएस-XXXI (भाग-ख)	मैसर्स एस्सल इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को अवार्ड की गई।

2. बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता: पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	एनआर द्वारा एनईआर/ईआर अधिशेष विद्युत के सक्षम आयात के लिए पारेषण स्कीम ।	दिनांक 31.03.2010 को स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड को अवार्ड किया ।
2	पश्चिम क्षेत्र और उत्तर क्षेत्र के लिए साझी प्रणाली सुदृढीकरण।	दिनांक 31.03.2011 को स्टरलाइट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड किया ।
3	पश्चिम क्षेत्र के लिए प्रणाली सुदृढीकरण ।	दिनांक 31.03.2011 को स्टरलाइट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड किया ।
4	नागापट्टिनम/कुड्डालोर क्षेत्र की आईपीपी के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली - पैकेज क	दिनांक 29.03.2012 को मैसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अवार्ड की गई।
5	पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम- VII	दिनांक 13.11.2013 को स्टरलाइट ग्रिड लिमिटेड को अवार्ड किया गया ।
6	पतरान 400 केवी एस/एस के लिए पारेषण प्रणाली ।	दिनांक 09.12.2013 को टेक्नो एंड इलैक्ट्रिक इंजिनियरिंग कंपनी लिमिटेड को अवार्ड किया गया ।
7	पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-VI	दिनांक 10.12.2013 को एस्सेल इंप्रोप्रोजेक्ट लिमिटेड को अवार्ड किया गया ।
8	राजस्थान में आरएपीपी यू-7 एवं 8 का एटीएस पार्ट ।	दिनांक 17.11.2013 को मैसर्स स्टरलाइट ग्रिड लिमिटेड को अवार्ड किया गया।
9	टोरेट पावर लिमिटेड की डीजीईएन टीपीएस (1200 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली	दिनांक 19.05.2014 को इंस्टालासियोन्स इनाबंसा एस.ए. को अवार्ड की गई।
10	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना-XXXIII	आस्थगित रखा गया है।
11	टांडा एक्सपेंशन टीपीएस (2x660 मेगावाट) के लिए एटीएस	आस्थगित रखा गया है।

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2303 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

टीबीसीबी रुट के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2014-15 के दौरा सरकार द्वारा निम्नलिखित नई पारेषण परियोजनाएं अधिसूचित की गई हैं:

1. बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता: आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	परियोजना का नाम
1	एनटीपीसी के गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली (क - भाग)
2	एनटीपीसी के गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली (ख - भाग)
3	माहेश्वरम (हैदराबाद)765/400 केवी पूलिंग एस एस के लिए कनेक्टिविटी लाइनें/
4	नैवेली में 2x500 मेगावाट की नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड टीएस-एलटीए के (एनएनटीपीएस) (परिवर्तन) लिए पारेषण प्रणाली
5	विंध्याचल-V के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण

2. बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता: पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

क्रम सं.	परियोजना का नाम
1	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना -XXXV
2	सीपत एसटीपीएस के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढीकरण
3	पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ एवं अन्य उत्पादन परियोजनाओं में आईपीपी के लिए प्रणाली सुदृढीकरण
4	छत्तीसगढ़ आईपीपी के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढीकरण योजना

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2304

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

सबके लिए विद्युत

2304. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

श्री अनंत कुमार हेगड़े:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री पी.सी. गद्दीगौदर:

श्री निशिकान्त दुबे:

डॉ. संजय जायसवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लक्ष्य देश में 2022 तक सभी को चौबीस घंटे विद्युत प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विद्युत का हानि पारेषण और वितरण कितना है और ऐसी हानियों को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विश्व बैंक ने आशंकाएं व्यक्त की हैं कि देश में खराब विद्युत वितरण प्रणाली उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति में एक रुकावट बन सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में इस क्षेत्र में नवीन तकनीकी के प्रयोग द्वारा विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है और उक्त की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): सभी उपभोक्ताओं को विद्युत का वितरण सम्बंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बिजली की आपूर्ति करना वितरण लाइसेंसियों का दायित्व है। केन्द्र सरकार 2022 तक सभी के लिए चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध करवाने में राज्य सरकारों/विद्युत यूटिलिटियों के प्रयासों को बढ़ावा देती रहेगी।

(ग) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए भारत के 18वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अखिल भारतीय स्तर पर 18.89% पारेषण एवं वितरण हानियों का अनुमान लगाया है।

सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए टी व सी) हानियों को कम करने के लक्ष्य से, भारत सरकार वैद्युत अवसंरचना के उन्नयन, वृद्धि एवं सुदृढीकरण के लिए पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) नामक अपनी स्कीम के माध्यम से राज्य सरकारों की सहायता करती है।

(घ) : विश्व बैंक ने भारत सरकार को "मोर पावर टू इण्डिया: द चैलेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन" नामक शीर्षक की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें वितरण प्रणाली में अपेक्षित सुधार पर प्रकाश डाला गया है।

(ङ.) : 12वीं योजना के दौरान 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण किए जाने की योजना बनाई गई है जिसमें इस क्षेत्र में उपलब्ध नवीनतम प्रोद्योगिकी का उपयोग भी किया जाएगा। वितरण प्रणाली संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आती है, तथापि भारत सरकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और आर-एपीडीआरपी स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों को बढ़ावा देती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2307

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को बंद करना

2307. श्री अनंतकुमार हेगड़े:

श्री जैदेव गल्ला:

श्री सी.एन. जयदेवन:

कुँवर हरिवंश सिंह:

श्री प्रेमसिंह चंदमाजरा:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

श्री रवनीत सिंह:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

श्री विजय कुमार हांसदाक:

श्री पी.पी. चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ईंधन आपूर्ति तथा उत्पादित विद्युत के खरीददारों के अभाव में पहले से आरंभ हो चुकी तथा नवनिर्मित दोनों विद्युत उत्पादन परियोजनाएं बंद हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी तथा उक्त परियोजनाओं के निर्माण पर कितना व्यय हुआ;
- (ग) इन संयंत्रों को पर्याप्त ईंधन प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि इन्हें चालू किया जा सके;
- (घ) क्या ईंधन की कमी के कारण अनेक कोयला आधारित और गैस आधारित विद्युत संयंत्र अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र के इन संयंत्रों की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है एवं प्रत्येक संयंत्र की क्षमता उपयोगिता की वर्तमान दर कितनी है तथा सरकार द्वारा इनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए इन संयंत्रों के लिए ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड) : जहाँ तक कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का संबंध है, 7230 मेगावाट की क्षमता पहले ही चालू है परंतु इनके पास कोयला आपूर्ति नहीं है। 5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की संकेतात्मक लागत पर विचार करते हुए इन परियोजनाओं के निष्पादन में लगभग 36,150 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2009 के पश्चात चालू की गई 42,480 मेगावाट की क्षमता इस समय उनके आश्वासन-पत्र (एलओई) वचनबद्धता के केवल 65% के लिए ही पात्र है।

इसके अतिरिक्त, 26,560 मेगावाट की कुल गैस आधारित क्षमता में से 5,349 मेगावाट चालू किए जाने के लिए तैयार है तथा गैस आवंटन की प्रतीक्षा कर रही है। इसके अतिरिक्त, 24,149 मेगावाट की संस्थापित एवं चालू की गई क्षमता पीएलएफ के 23% के बहुत कम औसत पर चल रही है।

ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

कोयला:

- (i) कोल इंडिया लि. को देश में घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है।
- (ii) विद्युत क्षेत्र को कोयले का पर्याप्त आवंटन।
- (iii) कोयला आयात करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक परामर्शिका जारी की गई है जिसे एलओए/एफएसए में दर्शायी गई मात्रा में कमी की सीमा तक विनियामकों द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर पास-थ्रू बनाया जाएगा।

गैस:

गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएण्डएनजी) द्वारा उठाए गए कुछ कदम नीचे दिए गए हैं:

एमओपीएण्डएनजी ने व्यापक जनहित को पूरा करने के आशय से एक ही स्वामी के विद्युत संयंत्रों के बीच गैस को मिलाने/पथ-परिवर्तन करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) में सुधार करने के लिए उपलब्ध गैस का प्रयोग अधिक दक्षता से किया जा सके और विद्युत उत्पादन में तदनुसूची

वृद्धि हो सके। एमओपीएण्डएनजी ने ऊर्जा समता आधार पर दो पक्षों के बीच प्राकृतिक गैस की अदला-बदली करने के संबंध में भी दिनांक: 14.03.2012 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।

इसके अतिरिक्त, अधिकार-प्राप्त मंत्रीसमूह (ईजीओएम) ने दिनांक 23.08.2013 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान, उर्वरक क्षेत्र को गैस आपूर्तियां 31.5 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) के स्तर पर बनाए रखी जाएं तथा अन्य सभी अतिरिक्त नव अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) गैस, यदि कोई हो तो, की विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति, उर्वरक क्षेत्र को 31.5 एमएमएससीएमडी के आपूर्ति स्तर को पूरा करने के पश्चात ही की जाए ।

स्टैंडेड प्रोजेक्टस की सूची (चालू और सीआईएल द्वारा कोयला आपूर्ति नहीं दी गई)

क्र.सं.	विस्तृत परियोजनाएं	क्षमता (मे.वा)
1.	चन्द्रपुर, डीवीसी, यू-8	250
2.	डीवीसी मेजिया टीपीएस चरण-II, यूनिट सं.-8 (टैपरिंग), डीवीसी	500
3.	उकाई टीपीपी, यूनिट-6 (टैपरिंग), जीएसईसीएल	500
4.	बेल्लारी टीपीएस, यूनिट-2 (टैपरिंग), केपीसीएल	500
5.	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी लि. (एमएडीसी) का अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी (प्रा.) लि.	240
6.	बूटीबोरी टीपीपी-II, यूनिट-1 एवं 2, विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लि.	600
7.	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी, यूनिट-1 एवं 2, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि.	600
8.	तिरोदा पावर प्लांट महाराष्ट्र अदानी (800 मे.वा., जो उस ब्लॉक के साथ जुड़े हैं जो निरस्त हो गए)	800
9.	तिरोदा पावर प्लांट महाराष्ट्र अदानी चरण-II, यू-2	660
10.	कवई पावर प्रोजेक्ट, अदानी, राजस्थान	1320
11.	महान पावर प्लांट, एस्सार पावर	600
12.	बाढ़ एनटीपीसी चरण-1वी	660
कुल		7230

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2308

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत का आवंटन

2308. श्री जैदेव गल्ला:

श्री बंडारू दत्तात्रेय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को विद्युत आवंटन के लिए गाडगिल सूत्र का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विद्युत का आवंटन करने के लिए इस सूत्र को लागू किया गया था;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या नवगठित राज्य तेलंगाना गंभीर विद्युत संकट का सामना कर रहा है और उसने केंद्र सरकार से अतिरिक्त विद्युत के आवंटन की मांग की है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

- (क) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत के आवंटन के लिए गाडगिल फार्मूले का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।
- (ख) और (ग) : आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना को विद्युत का आवंटन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की बारहवीं अनुसूची के भाग-ग के अनुसार किया गया है।
- (घ) और (ङ) : तेलंगाना राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जून, 2014 के दौरान ऊर्जा कमी तथा व्यस्ततमकालीन कमी क्रमशः 5.6% तथा 13.4% थी।

तेलंगाना राज्य ने, केंद्रीय पूल में से न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि के लिए एनटीपीसी से 500 मेगावाट का अतिरिक्त विद्युत आवंटन किए जाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय सरकार ने विद्युत के संकट से निपटने के लिए इंदिरा गांधी सुपर ताप विद्युत केंद्र, झज्जर से जुलाई, 2014 के माह के लिए 100 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से 1992 मेगावाट की सहायता दी जाती है।

लोक सभा में दिनांक 24.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2308 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से विद्युत का आबंटन, विद्युत-आबंटन के फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसे अप्रैल, 2000 से दिशा-निर्देशों के रूप में माना जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन दो भागों में किया जाता है अर्थात् 85% का निश्चित आबंटन तथा तात्कालिक/समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आबंटित किए जाने हेतु 15% अनाबंटित विद्युत। निश्चित आबंटन में जल विद्युत स्टेशनों के मामले में प्रभावित राज्यों को 12% निःशुल्क विद्युत का आबंटन तथा स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% विद्युत और ताप एवं नाभिकीय विद्युत स्टेशनों के मामले में गृह राज्य को 10% (निःशुल्क नहीं) विद्युत का आबंटन शामिल है। शेष (क्रमशः 72%/75%) विद्युत उस क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच केंद्रीय योजना सहायता तथा विगत पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत की पद्धति के अनुसार, दोनों कारकों को समान महत्व देते हुए, वितरित की जाती है। केंद्रीय योजना सहायता गाडगिल फार्मूले के अनुसार निर्धारित की जाती है जिसमें राज्यों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी का अंशदान करने वाले राज्य अपने इक्विटी अंशदान के अनुरूप निश्चित आबंटन में लाभ प्राप्त करते हैं।

केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से विद्युत के आबंटन के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देश उन उत्पादक केंद्रों पर, जिनके लिए पीपीए पर 5 जनवरी, 2011 तक हस्ताक्षर किए गए हैं; तथा मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए लागू होते हैं। 5 जनवरी, 2011 के पश्चात, वितरण कंपनियों/यूटिलिटीयों द्वारा प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की अधिप्राप्ति की जानी होती है। एनटीपीसी की 13 नई परियोजनाओं में केंद्रीय सरकार ने जनवरी, 2011 में 50% विद्युत का 'गृह' राज्य को आबंटन करने, भारत सरकार के विवेकाधिकार पर 15% अनाबंटित विद्युत और उस क्षेत्र के अन्य संघटकों को ('गृह' राज्य को छोड़कर) 35% विद्युत के आबंटन के मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर, केंद्रीय योजना सहायता तथा विगत 5 वर्षों में उस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा की गई ऊर्जा खपत को समान रूप से महत्व देते हुए विद्युत का आबंटन किए जाने को अनुमोदन कर दिया है। इसी प्रकार की व्यवस्था सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में नाभिकीय विद्युत निगम की नई परियोजनाओं के संबंध में भी प्रदान की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2310

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

बिजली उत्पादन का निजीकरण

2310. श्री कीर्ति आजाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बिजली उत्पादन के निजीकरण से देश के सीमित संसाधनों के उपयोग द्वारा बिजली के उत्पादन में मदद मिल सकेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या जल विद्युत, परमाणु, सौर और पवन ऊर्जा में बड़े पैमाने के उद्यम देश को कोयले के आयात से बचा सकते हैं; और
- (ग) यदि हां, तो आसन्न ऊर्जा संकट से देश को बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता संबंधी उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दे रही है । विद्युत अधिनियम, 2003, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र के सभी खंडों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है तथा निवेश के लिए सहायक माहौल सृजित करता है । 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 2,43,030 मेगावाट में से 82,715 मेगावाट निजी क्षेत्र में है ।

(ख) और (ग) : विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार विद्युत उत्पादन हेतु जल विद्युत, नाभिकीय, सौर और पवन ऊर्जा के विकास पर जोर दे रही है । तथापि देश में विद्युत की कुल मांग को पूरा करने के लिए जल विद्युत, सौर, पवन ऊर्जा के साथ-साथ कोयला आधारित

विद्युत केंद्रों (तटीय क्षेत्रों पर स्थित आयातित कोयला आधारित सहित) जैसे सभी स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है । 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन की हिस्सेदारी निम्नवत है:

i)	तापविद्युत	-	69.23%
ii)	जल विद्युत (नवीकरणीय)	-	16.68%
iii)	अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	-	12.12%
iv)	नाभिकीय	-	1.97%

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2311

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

2311. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के कुछ भागों में बिजली प्रदान करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस समस्या को हल करने के लिए कुछ वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य संतोषजनक हैं । तथापि, कुछ राज्यों के कुछेक जिलों में निम्नलिखित कारणों से आरजीजीवीवाई का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है:-

- कुछ जिलों, मुख्य रूप से असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा ओडिशा में एलडब्ल्यूई समस्या ।
- मुख्य रूप से झारखण्ड और ओडिशा में वन एवं रेलवे संबंधी स्वीकृति।
- कुछ राज्यों में दुर्गम क्षेत्र ।
- कुछ राज्यों में विशेष रूप से झारखण्ड में, बहुत ही खराब प्रतिप्रवाह ग्रामीण विद्युत अवसंरचना ।
- कुछ राज्यों में आरओडब्ल्यू तथा कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या ।
- राज्य द्वारा बीपीएल लाभग्राहियों की सूची तथा उप-केन्द्रों के लिए भूमि उपलब्ध करवाने में विलंब ।

(ग) और (घ): 10वीं तथा 11वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर महसूस की गई कठिनाइयों को 12वीं योजना में आरजीजीवीवाई स्कीम को जारी रखे जाने का अनुमोदन करते समय ध्यान में रखा गया है तथा निम्नलिखित वैकल्पिक उपाय किए गए हैं:-

- राज्यों/डिस्कॉम्स के द्वारा प्रत्येक गांव तथा वासस्थल के वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी है, जिन्हें ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया है ।
- भारत सरकार को परियोजना की संस्वीकृति के लिए सिफारिश करने, प्रगति की निगरानी करने और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का समाधान करने के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, वित्त, पंचायत राज, वन, राजस्व के सचिवों तथा आरईसी के प्रतिनिधि इत्यादि वाली राज्य स्तरीय स्थायी समिति गठित की गई ।
- विद्युत मंत्रालय के अनुरोध पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के क्षेत्र का विस्तार किया है ताकि संबंधित संसद सदस्य की अध्यक्षता में होने वाली जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकों में नियमित कार्यसूची मद के रूप में "आरजीजीवीवाई की समीक्षा" की है।
- गुणवत्ता निगरानी तंत्र को और सख्त बनाया गया है ।

भारत सरकार ने सितम्बर, 2013 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरजीजीवीवाई को जारी रखे जाने का अनुमोदन कर दिया है जिसमें 273 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिनमें 12468 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण तथा 1.33 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी करना शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2317

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत की निर्बाध आपूर्ति

2317. श्री रत्न लाल कटारिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दरों में वृद्धि किए बिना निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने की पर्याप्त संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या नीति बनाई गई है;

(ग) वहनीय लागत पर देश में संपूर्ण विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए समेकित दृष्टिकोण हेतु विद्युत श्रृंखला में प्रत्येक क्षेत्र जैसे विद्युत संसाधनों, पारेषण और वितरण इकाइयों तथा साथ ही कोयला कंपनियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत का प्रशुल्क उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रशुल्क का निर्धारण करते समय, उपयुक्त आयोग सभी पहलुओं को ध्यान में रखता है जिनमें विद्युत यूटिलिटीयों को बेहतर करना भी शामिल है। तथापि, कुछ सुधार उपायों में, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में कमी विद्युत की खरीद की लागत में कमी, यूटिलिटी के ऊपरी खर्चों में कमी, ऊर्जा दक्षता सुधार तथा ऊर्जा संरक्षण शामिल हैं। इन कारकों से प्रशुल्क पर प्रभाव की मात्रा एक डिस्काम से दूसरे डिस्काम में भिन्न हो सकती है। भारत सरकार द्वारा विद्युत की खरीद में दक्षता लाने के

लिए अधिसूचित प्रशुल्क नीति में, डिस्कामों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की खरीद किए जाने जैसे पर्याप्त प्रावधान रखे गए हैं ।

(ग) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय है और राज्य में विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है । केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों को बढ़ावा देती है ।

देश की संपूर्ण विद्युत आवश्यकताओं को वहनीय लागत पर पूरा करने के लिए; विद्युत प्रणाली के विकास के लिए अनुकरण समेकित सोच का पहले से ही अनुकरण किया जा रहा है । 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, अठारहवें विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार विद्युत की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई जा चुकी है । विद्युत की निकासी के लिए अनुरूप पारेषण नेटवर्क की योजना भी बनाई जा चुकी है, जिसमें अंतरराज्यीय तथा अंतःराज्यीय नेटवर्क्स, शामिल हैं । सरकार कोयला कंपनियों के माध्यम से, विद्युत उत्पादन के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास कर रही है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2334

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

2334. श्री जय प्रकाश नारायण यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिहार के बांका, जमूई, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्रों के गांवों जिनका राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण किया गया है की संख्या कितनी है और इस पर कुल कितना व्यय किया गया है;
- (ख) क्या बारहवीं योजना अवधि के दौरान क्षेत्र के शेष गांवों के विद्युतीकरण हेतु अनुमति प्रदान की गई है;
- (ग) यदि हां, तो गांवों के उक्त विद्युतीकरण हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
- (घ) क्या आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों में केवल बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान है; और
- (ङ) यदि हां, तो विद्युतीकृत किए गए गांवों में रह रहे अन्य ए.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : दिनांक 30.06.2014 के अनुसार, आरईसी द्वारा जारी की गई सब्सिडी सहित बांका, जमूई, मुंगेर और भागलपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	जिला	गैर-विद्युतीकृत गांव		संवितरित राशि (केवल सब्सिडी): रु. करोड़ में
		कवरेज	उपलब्धि	
10वीं योजना				
1.	बांका	1276	1276	133.65
2.	जमूई	953	953	107.69
3.	मुंगेर	201	201	23.40
4.	भागलपुर	525	525	62.75

उपर्युक्त उल्लिखित जिलों में शेष बचे गांवों को शामिल करने के लिए 91 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण को शामिल करने के लिए 11वीं योजना में आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत बांका जिले की परियोजना 2011-12 में संस्वीकृत की गई थी। दिनांक 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार बांका जिले के लिए सब्सिडी के रूप में 55.01 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

भारत सरकार ने सितम्बर, 2013 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरजीजीवीवाई को जारी रखने का अनुमोदन किया है जिसमें 410, 438 एवं 596 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए क्रमशः जमूई, मुंगेर और भागलपुर की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

(घ) और (ङ) : आरजीजीवीवाई की 12वीं योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) एवं गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए प्रावधान किया गया है। तथापि, स्कीम के अंतर्गत, गैर-विद्युतीकृत बीपीएल घरों के विद्युतीकरण के लिए 100% पूंजी सब्सिडी के साथ वित्तपोषित किया जा रहा है। एपीएल घरों को अपने विद्युत कनेक्शन के लिए राज्य डिस्कॉम के निर्धारित कनेक्शन प्रभारों का भुगतान करना होता है और इस उद्देश्य के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है।
